द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५५

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१
७ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक) पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

**अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०६ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	६०८१—६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६१०१—६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा

गुरुवार २७ अप्रैल, १९६१

७ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेट्रो-केमिकल परियोजना

+

†*१७५४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री न० म० देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूलभूत पेट्रो-कैमिकल बनाने के लिए एक पेट्रो-कैमिकल परियोजना स्थापित करने की प्रस्थापनाओं पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). पेट्रोलियम फ्रैकशन्स और गैसों के कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग पर आधारित रसायनिक पदार्थों के निर्माण के कुछ प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। कुछ के संबंध में अभी विचार किया जा रहा है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनका अभी तक अनुमोदन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

व्योरे में उन के स्थान, कार्यक्षमता और विदेशी सहयोग का विशेष निर्देश किया जाना चाहिए।

†**श्री मनुभाई शाह :** इतनी विस्तृत जानकारी प्रश्नों के घण्टे में नहीं दी जा सकती है। परन्तु संक्षेप में मैं यह बता सकता हूं कि नाहरकटिया की गैस के उपयोग के लिए हम ने चार एककों को लाईसेंस दिए हैं—एक को पालीथीन के निर्माण के लिए, दूसरे को विशेष प्रकार के संश्लिष्ठ रबड़ के लिए, तीसरे को कार्बन ब्लैक के लिए और चौथे को पेट्रोलियम कोक के लिए।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इन में से कोई प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभी प्रस्ताव तीसरी पंचर्षीय योजना में क्रियान्वित किए जायेंगे

†**श्री नारयणन् कुट्टि मेनन :** क्या पेट्रोलियम रसायनों के निर्माण के लिए प्रस्तावित संयंत्र केवल सरकारी उद्योग क्षेत्र में होंगे अथवा किसी गैर-सरकारी पक्ष से भी बातचीत चल रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये योजनायें तो गैर सरकारी क्षेत्र में हैं परन्तु सरकारी उद्योग क्षेत्र को भी स्वतंत्रता है यदि वह वैसा कर सके।

†**डा० विजय आनन्द :** क्या ऐसा कारखाना विजागापटनम् शोधनशाला में स्थापित किया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी कुछ निश्चित नहीं है। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आए हैं। परन्तु यदि कोई प्रस्ताव आएगा तो हम स्वागत करेंगे।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता की रूपरेखा

+

†*१७५५. { **श्री दामानी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री पहाड़िया : }

क्या योजना मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचर्षीय योजनाओं के बारे में किये गये खर्च के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रूप रेखा और प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों की मुख्य बात क्या हैं ;

(ख) क्या इन सुझावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव मुख्यतः सहायता दिए जाने और व्यय में समायोजन से संबंधित हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सहायता के रूप और प्रक्रियाओं से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। प्राप्त निष्कर्षों का विवरण कालान्तर में सभा पटल पर रखा जाएगा ।

†**श्री दामानी** : क्या योजना आयोग ने सहायता के रूप को सरल बनाने की दृष्टि से उस के पुनरीक्षण पर विचार किया है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : निस्संदेह उस पर योजना आयोग ने राज्य सरकारों के साथ मिल कर विचार किया है और वह प्रायः अंतिम रूप दिए जाने की अवस्था में है ।

†**श्री दामानी** : योजना आयोग ने इस के लिए क्या कदम उठाए हैं कि राज्य केन्द्रीय सहायता पर कम निर्भर करें और योजना के लिये अपने साधन स्वयं जुटायें ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रयोजन यह नहीं था। प्रश्न केन्द्रीय सहायता के रूप को सरल बनाने का था ताकि कार्य में देर न हो । हम ने उस पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या व्यय के एक शीर्षक से दूसरे में स्थानान्तरण किया जा सकेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : ऐसा अभी होता है। राज्य योजना आयोग की सहमति ही से ए ; शीर्षक से दूसरे में स्थानान्तरण कर सकते हैं

†**डा० विजय आनन्द** : क्या सरकार को इस मामले के संबंध में आन्ध्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : बिहार को छोड़ कर अन्य सभी राज्य हमें प्रस्ताव भेज चुके हैं।

†**श्री बासप्पा** : क्या केन्द्रीय सहायता का रूप प्रत्येक राज्य द्वारा प्रबंधित आन्तरिक संसाधनों पर निर्भर होगा और क्या सभी राज्यों ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए आनुपातिक संसाधनों का प्रबन्ध कर लिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक भिन्न प्रश्न है । जिस आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई है उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसका विचार किया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि सहायता देते समय राज्यों की जनसंख्या का भी ख्याल रखा जाय ? यदि हां, तो इस के बारे मे क्या कोई निर्णय किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी हां, यह सुझाव दिया था कि इसका भी ख्याल रखा जाए लेकिन केवल जनसंख्या के आधार पर सहायता नहीं दी जाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा भी है कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, यानी जहां इंडस्ट्रीज कम लगी हुई हैं और जहां ज्यादा गरीबी है, उन राज्यों को सेंटर और स्टेट्स की अपेक्षा ज्यादा सहायता देगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी हां, इस बात से भी उनको हक हो जाता है कि जो पिछड़े हुए हैं उनको ज्यादा मदद दी जाए।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार का ध्यान प्रक्रिया में होने वाली देर की ओर आकर्षित किया गया है जिस में कभी कभी मंजूरियां वर्ष के अन्त में प्राप्त होती हैं और परिणाम यह होता है कि उनको काम में नहीं लाया जा सकता है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह ठीक है मंजूरी मिलने में देरी होने की अनेक शियकायतें आई थीं इसीलिए ये समस्त प्रयत्न किए गए हैं हम १९५८-५९ से उसे सरल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्वास किया जाता है कि ऐसी देरी पूर्णत खत्म की जा सकेगी।

†**श्री त्यागी** : राज्यों को ऋण दिये जायेंगे अथवा सीधे अनुदान ही ? विशेषत हस्तान्तरित विषयों में आने वाली योजनाओं के संबंध में इन राशियों को ऋण समझा जाएगा या अनुदान ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हम, अनुदान, ऋण और कभी कभी राजसहायता भी देते हैं जहां तक हस्तान्तरित विषयों के अन्तर्गत योजनाओं को सहायता का प्रश्न है, यह बात नहीं है कि हस्तान्तरित विषय होने के कारण उसे अनुदान न दिया जाये।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या जो राज्य ७५ प्रतिशत से अधिक खर्च कर सके हैं या कुछ मामलों में लगभग लक्ष्य के बराबर ही, उन्हें योजना आयोग ने उन राज्यों की अपेक्षा जो ५० प्रतिशत भी खर्च नहीं कर सके हैं, अधिक महत्व दिया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कार्य का भी विचार किया गया था ।

†**श्री त्यागी** : क्या पुनर्भुगतान करने की क्षमता का भी विचार किया जायेगा ?

डाक तथा तार विभाग का भवन-निर्माण-कार्य

+

*१७५६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री पांगरकर :

क्या **निर्माण, आवस और संभरण मंत्री** १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक-तार विभाग के भवन-निर्माण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक विशेष शाखा स्थापित करने का जो निश्चय किया गया था, उसे कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस नई व्यवस्था से डाक-तार विभाग के भवन-निर्माण कार्यक्रम में कहां तक तेजी आई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग में एक अपर मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में डाक और तार स्कन्ध १५ नवम्बर १९६० से बनाया गया था। निर्माण कार्यों को निष्पन्न करने में अपर मुख्य इंजीनियर की सहायता करने के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ४ सिविल प्रभाग (डिविजन), दिल्ली में एक बिजली प्रभाग और एक आयोजना प्रभाग हैं। बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता म सिविल प्रभागों ने काम शुरू कर दिया है। मद्रास में सिविल प्रभाग और दिल्ली म बिजली प्रभाग शीघ्र ही काम शुरू कर देंगे। इन प्रभागों के लिए कार्यकारी इंजीनियरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) अभी इतना अल्प समय व्यतीत हुआ है कि डाक और तार स्कन्ध के बनने के फलस्वरूप हुए सुधारों का कुछ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह नया स्कन्ध बनने के बाद से इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि निर्माण कार्यों को वर्तमान एकांशों से सुचारू-रूप से इस नये स्कन्ध को हस्तान्तरित कर दिया जाये। और दो या तीन महीनों में यह नया स्कन्ध डाक और तार विभाग के सब निर्माण कार्यों को संभाल लेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि यद्यपि नवम्बर में यह निर्णय हो चुका था लेकिन अभीतक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और इसकी वजह से जो काम पहले से रुके पड़े थे वह और भी रुक गए हैं। अतः क्या इस सम्बन्ध में कोई शीघ्रता की जाएगी?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि पांच डिवीजनों में से तीन में आदमी नियुक्त किए जा चुके हैं और शेष दो के लिऐ नियुक्ति आदेश जारी किए चुके हैं। जो कार्य हो रहा था वह वर्तमान लोगों द्वारा जारी रखा जा रहा है क्योंकि आधा कार्य हो जाने पर संबंधित अधिकारियों को बदलना वांछनीय नहीं है। परन्तु समस्त शाखा (विंग) शीघ्र चालू हो जाएगी।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या निर्माण कार्य सीधे इस डिवीजन द्वारा किया जाएगा। अथवा ठेकेदारों के माध्यम से किया जाएगा?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस समय अधिकांश निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। है।

†**श्री तंगामणि** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि मद्रास डिवीजन अभी चालू होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कब तक चालू हो जाएगा और क्या १९५६ के बाद का एकत्रित कार्य भी किया जाएगा और यदि हां, तो मद्रास डिवीजन को किस प्रकार का कार्य दिया जायेगा क्योंकि मद्रास में बहुत कार्य एकत्रित हो गया है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक मद्रास डिवीजन का संबंध है, एक्सीक्यूटिव इंजीनियर की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा चुका है। वहां चार सब-डिवीजन हैं जो कार्य तो कर रहेहैं परन्तु सामान्य केन्द्रीय लोक कार्य विभाग के संगठन के अन्तर्गत।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारियों को मकान दिए गए है और बनाए गए क्वार्टरों की संख्या कितनी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : जहां तक कर्मचारियों के रहने के मकानों का संबंध है, वह संचार मंत्रालय का कार्य है; हम केवल निर्माण अभिकर्ता हैं।

†श्री यादव नारायण जाधव : इस विभाग में विभिन्न डिवीजनों में कितनी निर्माण योजनायें पड़ी हुई हैं ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह पता लगाना असंभव है। देश में ऐसी सैंकड़ों योजनायें होंगी।

†श्री बासप्पा : माननीय मंत्री ने पहले के एक उत्तर में यह कहा था कि १ करोड़ रुपए से २ करोड़ रुपए तक के निर्माण-कार्य समाप्त होंगे। क्या इस वर्ष भी २ करोड़ रुपए की लागत का निर्माण कार्य हो सकेगा ?

श्री अनिल कु० चन्दा : उस उत्तर में मैंने यह कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में डाक तथा तार विभाग द्वारा औसतन १ करोड़ रुपए का निर्माण कार्य किया गया है। तीसरी योजना में विभाग दो करोड़ रुपए के निर्माण कार्य से शुरूआत करने का विचार कर रहा है जो धीरे धीरे बढाया जाकर योजना अवधि के अन्त तक छै करोड़ रुपए तक पहुंच जायेगा। मुझे विश्वास है कि चालू की गई शाखा की सहायता से यह कार्य पूरा किया जा सकेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि डाक तार विभाग ने यह राय दी है कि इन चार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स से पूरा काम नहीं हो सकेगा और इसलिए प्रत्येक सर्किल में और कम से कम बड़े सर्किल्स में जैसे कि उत्तर प्रदेश के सर्किल में जहां कि सैंकड़ों मकान बनाये जाने हैं, एक एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रक्खा जाय और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई विचार किया जा रहा है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : इस शाखा के कर्मचारियों के संबंध में डाक तथा तार विभाग के उच्च अधिकारियों से परामर्श करके निर्णय किया जा चुका है और मैं समझता हूं कि उन्होंने आवश्यक संख्या के लोग ही रखे होंगे।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या प्रत्येक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अन्तर्गत नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी बकाया और नए कार्यों के लिए पर्याप्त होंगे ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं उत्तर दे चुका हूँ कि आशा यही है कि ये कर्मचारी पर्याप्त होंगे।

ट्रांजिस्टर रेडियो

+

†*१७५७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अधिकांश रेडियो निर्माताओं ने ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। १९६० के अन्तिम भाग में ९,००० ट्रांजिस्टर रेडियो बनाये गये। १९६१ के लिए १,०००,००० ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने के लक्ष्य निश्चित किए गए हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब १९६० में कुछ हजार रेडियो ही बनाये गये हैं तब १९६१ में एक लाख ट्रांजिस्टर रेडियो का लक्ष्य किस प्रकार पूरा होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कार्यक्रम पिछले वर्ष के मध्य में बनाया गया था। इसके बाद यंत्र तथा संयंत्र का आयात किया गया और यह निर्माण केवल एक अथवा डेढ़ महीने का है। इसलिए १९६१ के बाद के वर्षों में यह आंकड़े एक लाख जरूर हो जायेंगे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : अब तक बनाये गये ट्रांजिस्टर सैटों के मूल्य क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह भिन्न-भिन्न निर्माताओं के भिन्न भिन्न मूल्यों के ह । यह १२५ रुपये स १५० रुपये तक के मूल्य के रेडियो बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं हैं । यह एक दम अलग परियोजना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन ट्रांजिस्टर सैटों की किस्म की जांच की गई है तथा यदि हां, तो क्या यह विदेशों के ट्रांजिस्टर सैटों से अच्छे पाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या इन ट्रांजिस्टर सैटों को भारत इलैक्ट्रानिक्स से बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत इलैक्ट्रानिक्स में ट्रांजिस्टर सैट नहीं अपितु ट्रांजिस्टरर्स बनाये जाते हैं।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या झंकार ट्रांजिस्टर-रेडियो भारत में बनाया गया है?

†**श्री मनुभाई शाह** : कितनी ही किस्में हैं।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : झंकार एक भारतीय ट्रांजिस्टर रेडियो हैं जो बाजार में बिक रहा है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक प्रकार का है।

†**श्री तिमय्या** : मुझे पता चला था कि ट्रांजिस्टर सैटों के निर्माण के लिए रैम्को (Remco) को लाइसेंस दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने रेडियो बनाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई अलग से लाइसेंस नहीं दिया गया है। अधिनियम के अधीन प्रक्रिया को हमने सरल बना दिया है तथा उसमें बता दिया है कि कोई भी रेडियो निर्माता अपनी क्षमता का पचास प्रतिशत ट्रांजिस्टर रेडियो बना सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों को प्रसारण की सुविधाएं

+

१७५८. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हेम बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सरकार को यह परामर्श दिया है कि आकाशवाणी को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए प्रसारण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : (क) से (ग). चुनाव आयोग ने बताया है कि १८ फरवरी को संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रवक्ताओं से हुई चर्चा में दलों ने, मान्यता प्राप्त अथवा अन्यथा किसी भी दल को प्रसारण सुविधाएं देने के सुझाव का समर्थन नहीं किया था।

आयोग ने समाचार पत्रों को दिए गए समाचार की ओर ध्यान दिलाया है जिस में उस बैठक में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उस में बताया गया है कि 'दलों ने मान्यता प्राप्त अथवा अन्यथा किसी भी दल को प्रसारण सुविधा देने के सुझाव का समर्थन नहीं किया था। वह नहीं चाहते थे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस प्रश्न पर पुनः विचार करे।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या राज्यों से कोई परामर्श लिया गया था ; और यदि हां, तो उनकी इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया थी ?

†**श्री आ० चं० जोशी** : राज्यों से कोई परामर्श नहीं लिया गया था ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस कान्फ्रेंस में किस किस पार्टी के लोग आये थे और उनकी इस बारे म क्या क्या राय है ?

†**श्री आ० चं० जोशी** : विभिन्न राजनैतिक दलों की जो इस बारे में राय थी वह मैं ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता ला दी। इस सम्मेलन में जिन-जिन पार्टियों ने भाग लिया उन के नाम इस प्रकार हैं :—कांग्रेस, पी० एस० पी० , कम्युनिस्ट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, सोशलिस्टस , रिपब्लिकन, गणतंत्र परिषद हिन्दू महासभा व स्वतंत्र पार्टी ।

†**श्री विभूति मिश्र** : जब कि और देशों में पोलिटिकल पार्टीज को अपना चुनाव प्रचार करने के वास्ते यह ब्राडकास्टिंग की सहूलियत मिलती है तो क्या यहां की किसी पार्टी ने भी इसकी सहूलियत लेनी नहीं चाही ?

†**श्री आ० चं० जोशी** : एलेक्शन कमिशन ने बलतलाया है कि यहां की राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के वास्ते ब्राडकास्टिंग की फैसेसेलेटीज नहीं चाहती हैं और इसलिए वह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा** : यद्यपि राजनैतिक दलों ने चुनाव के लिए रेडियो पर प्रसारण सुविधाओं की मांग नहीं की है, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यदि बाद में राजनैतिक दल अपनी राय बदल दें इस आधार पर सरकार प्रसारण की एक खुलासा नीति बनायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक काल्पनिक प्रश्न है ।

†**श्री कालिका सिंह** : जब स्वतंत्र दल को चुनाव ने आयोग ने मान्यता नहीं दी है तो उनको इस सम्मेलन में क्यों बुलाया गया था ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : माननीय सभा-सचिव ने बताया कि विभिन्न राजनैतिक दल इस के विरोधी थे । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से राजनैतिक दल थे जो रेडियो से प्रसारण के सुझाव के विरोधी थे ?

†**श्री ग्रा० चं० जोशी** : बात चीत चुनाव आयोग के साथ हुई थी । सूचना और प्रसारण मंत्रालय से बात चीत नहीं हुई थी । हमें चुनाव आयोग के विचार ही मालूम हैं ।

†**श्री नारयणन् कुट्टिमेनन** : क्या यह सच है कि दलों ने इस सम्मेलन में इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि एक विशेष राजनैतिक दल को अधिक समय दिया गया था जब कि अन्य दलों को बहुत थोड़ा समय दिया गया था ?

†**श्री त्यागी** : प्रयोग अभी किया नहीं गया है । ऐसा वह कैसे कह सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : राजनैतिक दल ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं ।

नागालैंड

†*१७६०. { +**श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री कालिका सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये नागालैंड राज्य के लिए सलाहकार परिषद की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) क्या नागा राष्ट्रीय परिषद के अतिरिक्त अन्य किसी जाति अथवा गुट ने इसकी स्थापना का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस जाति और गुट का क्या नाम है और उन के द्वार विरोध किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस जाति अथवा गुट के विरोध से नागा हिल्स और त्यूनसांग क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नागालैंड की अन्तरिम व्यवस्था कर दी गई है । १८ फरवरी, १९६१ को अन्तरिम संस्था ने शपथ ले ली थी । पांच 'कांउसिलर्स' की कार्य पालिका परिषद ने १६ मार्च, १९६१ को शपथ ले ली थी ।

(ख) और (ग). किसी भी आदिम जाति ने अन्तरिम व्यवस्था का विरोध नहीं किया है । सभी ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधि अन्तरिम संस्था में भेजे हैं । विरोधी तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

उन के समर्थकों ने इस नई व्यवस्था का विरोध किया है । उनका उद्देश्य इस के कार्यों को नष्ट करने के, विरोधी आन्दोलन चलाते रहने का है ।

(घ) दिल्ली में समझौता हो जाने पर विरोधियों के कार्य कलाप बढ़ गये हैं। परन्तु ग्राम-वासी विरोधी प्रचार और धमकियों से डरे नहीं हैं। स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निर्वाचित पांच सदस्यों की परिषद पर किन विषयों की जिम्मेदारी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सामान्य नीति तथा विकास योजनाओं संबंधी प्रशासन के मामलों के कई विषय तथा नागालैंड प्रशासन में गवर्नर की सहायता करने की जिम्मेदारी हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : गवर्नर, अन्तरिम संस्था तथा कार्य पालिका समिति की संवैधानिक स्थिति क्या है क्या इन दोनों संस्थाओं तथा गवर्नर की कोई बैठक हुई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समस्त प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर पर होती है । सारी बातें नागालैंड (अन्तर्कालीन व्यवस्था) विनियमन, १९६१ (१९६१ का संख्या २) , जो सभा पटल पर रख दिया गया है, में दी गई है ।

†**श्री कालिका सिंह** : नागालैंड वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन कब तक रहेगा क्योंकि आसाम राज्य का अंग होने के कारण इसको गृह-मंत्रालय के अधीन होना चाहिए ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह प्रश्नभी उठा नहीं है । अभी इस परिवर्तन की कोई तिथि निश्चित नहो की गई है तथा नहीं यह निर्णय किया गया है कि यह परिवर्तन किया जाये। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की इच्छा इसे अपने अधीन रखने की नहीं थी अपितु नागा प्रतिनिधि इस को पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही रहने देना चाहते थे। हमने उनकी मांग स्वीकार कर ली ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं समझता हूं कि नागाओं की यह इच्छा थी कि उनका मामला किसी मंत्रालय के हाथ में न रह कर वर्तमान प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत हाथों में रहे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का विचार ठीक नहीं है । संभव है ऐसी बात उन के अन्तर में हो परन्तु उन्होंने ऐसा कहा नहीं । उन्होंने इतना लिखा था कि वैदेशिक-कार्य मत्रालय के हाथ में यह रहे ।

†**श्री हेम बरुआ** : उप मंत्री ने बताया है कि नागा विरोधियों ने नवीन नागालैंड का विरोध किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सकार का ध्यान डा० हम्कोंगलिबो आव के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि नागा विरोधी लड़ाई चाहते हैं तो उन के साथ लड़ाई की जायेगी ; तथा यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसी ही नीति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने डा० आव का यह वक्तव्या नहीं देखा है । मैं 'लड़ाई करने का' भी मतलब नहीं समझा हूं । हम विरोधियों का विरोध कर रहे हैं । उसमें छोटी मोटी मुठ भेड हो सकती हैं । मैं नहीं जानता कि डा० आव का मतलब राजनैतिक लड़ाई से था अथवा सैनिक लड़ाई से था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : नागालैंड नागाओं के एक भाग से राजनैतिक समझौता है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार तथा नागालड के अधिकारियों ने नागा विद्रोहियों को इस राजनैतिक समझौते में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उन्हें रास्ता कैसे दिखा सकता हूं। गत कुछ वर्षों से समस्त नागा प्रश्न राजनैतिक तथा सैनिक बन गया है। जो समझौता हुआ है वह जिनके साथ हुआ है उनके साथ राजनैतिक समझौता है। कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं परन्तु हम उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयन कर रहे हैं। सैनिक पहलू का जहां तक संबंध है उसमें जिन लोगों ने समझौता कर लिया है वह जिस प्रकार भी संभव हो उस प्रकार विरोधियों को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं।

शार्क मछली के तेल (शार्क लीवर आयल) का कारखाना

†*१७६१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में शार्क मछली के तेल (शार्क लिवर आयल) का कोई कारखाना है; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर और इसमें प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हां श्रीमान। भेषजीय स्तर का शार्क मछली का तेल तैयार करने की मुख्य फैक्टरियां बम्बई, कोजीकोड और त्रिवेंद्रम में हैं। संयुक्त औसत वार्षिक उत्पादन लगभग ४८,००० गैलन है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : अपने देश की वास्तविक मांग कितनी है और इसका आयात करने में हम कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : केवल विभिन्न विशिष्ट किस्मों क तेलों को छोड़ कर हम आयात नहीं करते, अन्यथा देश स्वावलंबी है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि केरल की दो शार्क लिवर आयल फैक्टरियां, जिनका मा० मंत्री ने उल्लेख किया है, पूंजी की कमी तथा बाहर माल बेचने की सुविधाओं की कमी के कारण विपत्ति में हैं और यदि ऐसी बात है तो क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है तथा यदि उत्तर हां है तो क्या सहायता दी गई है?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई कठिनाई नहीं थी, यह विकास का प्राकृतिक तरीका है। केरल सरकार ने तीसरी योजना में विस्तार के लिये ४ लाख रुपये का तथा उनकी कालीकट फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिये तथा उसके लिये १५ लाख रुपये की लागत की एक उदजनीकरण इकाई का उपबंध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जलपाइगुड़ी-भूटान सड़क

†*१७६२. **श्री नं० रं० घोष** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी को भूटान के साथ मिलाने वाला एक पुराना रास्ता है जो जलपाइगुड़ी के चुमुरची चाय बागान से हो कर गुजरता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले भूटान सरकार इस मार्ग को मोटर गाड़ियों के यातायात के योग्य बनाना चाहती थी और उसने सरकार से अनुरोध किया था कि इस रास्ते के उस भाग का, जो जलपाइगुड़ी जिले में स्थित है, सुधार किया जाये और उसे चौड़ा किया जाय; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) हां श्रीमान्।

(ग) प्रार्थना पश्चिम बंगाल को भेज दी गई थी जिसके क्षेत्राधिकार में सड़क थी। उसने सड़क को सुधारने और चेंगभारी के पास दैना नदी के ऊपर मोटर गाड़ियों के यातायात के लिये एक उपयुक्त स्थायी पुल बनाना स्वीकार कर लिया। तीसरी योजना में इन कामों के लिये भारत सरकार की वित्तीय सहायता विचाराधीन है।

†**श्री नं० रं० घोष** : क्या बहुत बड़ी संख्या में उन व्यापार मार्गों, अश्व-मार्गों और पगडंडियों को सुधारने का कोई कार्यक्रम है, जो भूटान को जलपाईगुड़ी से मिलाते हैं, क्योंकि भूटान और पश्चिम बंगाल के बीच बहुत अधिक व्यापार होता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे बहुत से छोटे मार्गों का पता नहीं है, किन्तु भूटान और भारत के बीच कुछ मुख्य सड़कें बनाई जा रही है, पश्चिम बंगाल की ओर तथा आसाम की ओर, और ये यातायात के मुख्य मार्ग होंगे।

†**श्री नं० रं० घोष** : मैं बहुत अधिक पगडंडियों और अश्व-मार्गों का उल्लेख कर रहा हूं जो जलपाईगुड़ी तथा भूटान को मिलाते हैं, क्योंकि जलपाईगुड़ी ठीक भूटान की सीमा पर है और जलपाईगुड़ी तथा भूटान के बीच बहुत व्यापार होता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने कहा है कि मुझे पगडंडियों का पता नहीं हैं। वहां क्या किया जा रहा है, मैं इस का पता करवा सकता हूं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि भूटान को भारत से मिलाने के लिये पश्चिमी बंगाल और आसाम से दो तीन सड़कें बनाने की योजना कई बरसों से चल रही है और उनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ ? क्या मैं जान सकता हूं कि उस में प्रगति क्यों नहीं हो रही है और क्या अब वह काम तेजी से होगा ? जहां तक मुझे ज्ञात है, उसकी चाल बहुत धीमी है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। मैंने अभी इसका जवाब दिया है। कई बरसों से तो नहीं, लेकिन इसको चर्चा डेढ़, दो यबरस से खास है और डेढ़, पौने दो बरस से वह बात

---

†मूल अंग्रेजी में

शुरू की गई है। एक खास सड़क ने, जो कि राजधानी तक जाती है, बहुत तरक्की की है और वह बहुत तेजी से बनी है। जो वक्त उसके लिये दिया गया था, उससे कम वक्त में वह बनी है। मेरा ख्याल है कि सितम्बर तक वह पूरी हो जायेगी और राजधानी तक पहुंच जायेगी। और सड़कों को बनने का भी इन्तजाम हो रहा है।

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

†

†*१७६३. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ मार्च, १९६१ को मोकोचुंग जिले के चांगकी नामक स्थान में स्थित ग्राम रक्षक शिविर पर नागा विद्रोहियों के एक सशस्त्र दल ने गोलियां चलायी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ग्रामरक्षकों के साथ मुकाबला होने के पश्चात् विद्रोहियों ने उन पर काबू पा लिया और सेना की १८ राइफलें छीन लीं;

(ग) यदि हां, तो ग्रामरक्षकों को और क्या क्षति उठानी पड़ी; और

(घ) नागालैंड में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (घ). २७ मार्च, १९६१ की रात्रि को विद्रोही नागाओं ने एक ग्राम रक्षा संतरी के साथ मिलकर, जो उस स्थान से कई दिनों से दूर गया हुआ था और उस समय ड्यूटी पर था, नागालैंड के मोकोकचुंग जिला में चांग की ग्राम रक्षा चौकी पर पहुंचने का प्रबंध कर लिया।

विद्रोहियों ने अन्य संतरियों पर बलपूर्वक काबू पा लिया और उस ग्राम रक्षक को लेकर भाग गये जो उनके साथ मिला हुआ था तथा १८ राइफलें और बंदूकें ले गये।

दूसरा ग्राम रक्षक, जो विद्रोहियों द्वारा पकड़ा गया था, चौकी पर वापिस आने में सफल हो गया किन्तु जब वह उनसे छुड़ा कर भाग रहा था तब उसके हाथ पर एक गोली लगी।

नागालैंड प्रशासन ने सुरक्षा प्रबंध मजबूत कर दिया है और गश्त तेज कर भी दी है तथा नागा विद्रोहियों का सामना करने के उपाय भी मजबूत कर दिये हैं। सरकार सरवती से अशान्ति को कुचलने और उस क्षेत्र में शान्ति कायम करने के लिये दृढ़ है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : अभी मा० उपमंत्री ने जो उत्तर दिया है और पिछले प्रश्नों के जो उत्तर दिये थे उनसे यह स्पष्ट होता है कि कभी कभी ग्राम रक्षक और संतरी भी विद्रोहियों से मिले हुए थे। उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार ग्राम गार्डों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न का अंतिम भाग क्या है ?

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** संतरी उन से मिले हुए थे और वे उस समय ड्यूटी पर नहीं थे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह सच है कि कभी कभी, बल्कि कभी ही, ऐसी बात हुई है, कि ग्राम गार्डों के लोग विद्रोहियों के साथ मिले हैं और स्वभावतः जब ऐसा होता है हम उन के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं यदि हम उन को पकड़ सकें। किन्तु मैं नहीं समझता कि ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि अधिकांश या काफी बड़ी संख्या में ग्राम गार्ड ऐसा करते हैं, बल्कि बात यह है कि उन में से अधिकांश लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** ग्राम गार्ड एक साधन है जिन से विद्रोही नागाओं को समय समय पर शस्त्र और गोला बारूद मिलता है। एक पिछले अवसर पर, मा० प्रधान मंत्री ने बताया था कि बर्मा की ओर से भी शस्त्र और गोला बारूद आए थे। क्या प्रधान मंत्री बर्मा से आने वाले शस्त्रों और गोला बारूद के बारे में प्रकाश डालेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पुरुष बर्मा में आते हैं और तब वहां आते हैं ? उनका क्या आशय है ?

†**श्री हेम बरुआ :** मुझे खेद है कि मुझे गलत समझा गया है । एक पिछले अवसर पर जब मैं ने नागा विद्रोहियों को शस्त्र और गोला बारुद मिलने के बारे में एक निश्चित प्रश्न पूछा था तो मा० प्रधान मंत्री ने इस के दो स्रोत—एक ग्राम गार्ड और दूसरा बर्मा की ओर से आने का साधन बताये थे । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री बर्मा की ओर से आने वाले शस्त्रों और गोला बारूद के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह भिन्न प्रश्न है । हमारा ग्राम गार्डों से संबंध है, कि उनका विद्रोहियों से कितना सम्पर्क है ।

†**श्री त्यागी :** क्या ये ग्राम गार्ड आसाम राइफल्स से हैं या वे उन्हीं गांवों के निवासी हैं जो स्वयमेच्छा से गार्ड का काम करते हैं या वे नियमित नौकरी में हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वे आसाम के नहीं हैं बल्कि नागा क्षेत्र के हैं और नागा प्रशासन ने तीन साल पहले उन को भर्ती किया था । उन्हें वेतन दिया जाता है वे अवैतनिक नहीं । यह आवश्यक नहीं कि उन्हें उन के अपने गांव में ही रखा जाये —किन्तु आस पास के गांवों में तैनात किया जाता है ।

श्री अजराज सिंह : इस प्रश्न का अभी जो उत्तर दिया गया है और इस से पहले एक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उस से पता चलता है कि सरकार ने जो राजनीतिक, फौजी या पुलिस कार्रवाई की है, नागा समस्या को हल करने के लिए, उसका कोई संतोष जनक परिणाम नहीं निकला है । इस को देखते हुए क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि आचार्य विनोबा भावे या और किसी ऐसे ही प्रमुख हिन्दुस्तानी के नेतृत्व में कोई पीस मिशन इस स्थान पर भेजा जाए और उस से काम कराया जाए ताकि जिस तरह की

---

†मूल अंग्रेजी में

सफलता मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश , इत्यादि के डकैत ग्रस्त क्षेत्रों में मिली है, उस तरह की सफलता यहां पर भी मिल सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और मुझे खुद भी अच्छा मालूम नहीं देता कि आचार्य विनोबा भावे को इस तरह से एक्सप्लायट किया जाये। उनकी मदद तो हम को बहुत मिलती रहती है और उनका कहीं होना ही हमारे लिए मुफीद है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार नागा लैंड के नये राज्य की सलाहकार परिषद् को यह मंत्रणा देने का विचार रखती है कि वह अपनी नागा सेना तैयार करे और उन को यह बतायेगी कि वहां हमारी जो सेनाएं हैं वे विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिये नहीं अपितु रक्षा के लिये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ग्राम गार्ड उनकी सेना हैं। यह वेतन पाने वाली अर्ध-प्रशिक्षित सेना है, पूर्णतया अर्थात् १०० प्रतिशत प्रशिक्षित नहीं है, किन्तु कुछ प्रशिक्षित हैं। यह उन के पास है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या वे सीधे नागालैंड की सलाहकार परिषद् के अधीन काम करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सलाहकार परिषद् को प्राय: सभी काम, विकास संबंधी, प्रशासन आदि संबंधी काम सौंपे गये हैं, हालांकि इस समय अन्तिम अधिकार राज्यपाल के पास है। यह स्वीकार किया गया था । वे, इस के उपयोग और भर्ती आदि के बारे में लगातार सलाह करते रहते हैं। किन्तु उनको कम से कम इस समय राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन रहना चाहिये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या यह सच है कि श्री फिजो ने नागालैंड की तुलना अल्जीरिया से की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं श्रीमान्। मुझे पता नहीं। परन्तु ऐसी तुलना दोनों के अज्ञान के कारण ही की जा सकती है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इन ग्राम गार्डों को सब प्रकार के आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया जाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निस्संदेह नहीं। आधुनिक शस्त्रास्त्रों में अणुबम आदि बहुत कुछ शामिल हैं। उनको इनका उपयोग करना नहीं सिखलाया जाता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या श्री फिजो का प्रभाव समाप्त हो गया है और वह लन्दन में है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक मैं न बुलाऊं, मा० मंत्री को उत्तर देने की जरूरत नहीं । श्रीमती मफीदा अहमद : ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या यह सच है कि विद्रोही वर्ग चाहे छोटे हों या बड़े, उनकी संख्या कुछ भी हो, नागा लैंड के अन्दर और बाहर भारी अरक्षा का कारण बने हुए हैं ? क्या सलाहकार परिषद् ने सरकार को उन के हिंसात्मक कृत्यों को रोकने का कोई सुझाव दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे राज्यपाल या आयुक्त के साथ हुई उनकी बातचीत का पता नहीं है । वे निश्चय ही शांति और व्यवस्था बनाये रखना चाहते हैं। किन्तु शांति और व्यवस्था का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व राज्यपाल का है ?

†**श्री हेम बरुआ** : जहां तक नागालैंड के भागों पर श्री फिजो के प्रभाव का संबंध है, क्या नागाओं के एक वर्ग के साथ किये गये नये राजनीतिक समझौते के पश्चात्, यह समाप्त हो सा गया है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि श्री फिजो क्या अनुभव करते हैं और क्या नहीं करते ? मैं समझता हूं कि वह अभी लन्दन में हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

+

†*१७६६. { **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अगले पांच वर्षों में भारत से लौह अयस्क का निर्यात दुगुना करने की योजनायें बनायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क के लिए किन किन देशों से 'आर्डर' दिये हैं ; और

(ग) इस संबंध में शर्तों का क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). राजकीय व्यापार निगम विदेशी नेताओं को लौह अयस्क की बिक्री बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न करता रहता है । जापान, चैकोस्लोवाकिया, रुमानिया, पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविया और इटली को काफी मात्रा में निर्यात किये जाने की आशा है ।

(ग) समय समय पर राजकीय व्यापार निगम और विदेशी क्रेताओं के बीच बात चीत से तय हुए मूल्यों पर निर्यात किया जाएगा ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या विभिन्न देशों को दिये गये लोह अयस्क के मूल्य समान हैं या वे प्रत्येक देश के मामले में भिन्न भिन्न होते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये मूल्य ग्रेड आदि के अनुसार भिन्न २ होते हैं क्योंकि प्रत्येक देश का किराया भाड़ा भिन्न २ होता है । इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ?

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या संविदाएं भारत में रेल पर्यन्त निःशुल्क के लिये हैं या उन देशों में माल पहुंचाने के लिये हैं ? यदि संविदाएं भारत में रेल पर्यन्त निःशुल्क हैं, तो प्रत्येक स्थान के लिये किराया भाड़ा में अन्तर क्यों होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** मूल्यों का फैसला भारत में रेल पर्यन्त निश्शुल्क होता है किन्तु वे उन देशों को ले जाने पड़ते हैं । प्रत्येक देश को हिसाब लगाना होता है—खरीदने वाले को यह अनुमान लगाना होता है कि आया माल पहुंचने की कीमत उसे सस्ती पड़ेगी । और हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** अगले ५ वर्षों में इन सब देशों से भारतीय लोह अयस्क की कितनी अनुमानित मांग होगी ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** भारत से १९६० में लगभग ३५ लाख टन लोह अयस्क था और ४ या ५ वर्षों में इस के ८० या ९० लाख टन तक बढ़ने की आशा की जाती है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** आजकल विश्व बाजार में भारतीय लोह अयस्क को सब से अधिक खरीदने वाला देश कौन है और उस देश को कितना निर्यात किया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** इस समय जापान है और हम उसे २० लाख टन से कुछ कम माल भेजते हैं ।

†**श्री त्यागी :** क्या राजकीय व्यापार निगम विदेशों के साथ इस का सीधा व्यापार करता है या अयस्क अभिकर्त्ताओं द्वारा या खान मालिकों द्वारा भेजा जाता है ? यदि निगम को खान मालिकों को माल खरीदना पड़ता है, तो उन को कितने प्रतिशत लाभ मिलता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सारा निर्यात राजकीय व्यापार निगम द्वारा किया जाता है और ग्रेडों, रेलवे हालेज, पत्तन तक ले जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी आदि बातों के आधार पर विभिन्न स्थानों के लिये मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। स्थान स्थान और ग्रेड ग्रेड के अनुसार मूल्यों में अन्तर होता है । परन्तु इस में कोई शिकायत नहीं है । यह खान तथा अन्य लोगों के पूर्ण संतोष के अनुसार किया गया है ।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानने को उत्सुक था कि खान मलिकों का वास्तविक व्यय के ऊपर कितने प्रतिशत लाभ दिया जाता है जब वे खानों से माल खरीदते हैं ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** विस्तृत अनुमान लगाये गये हैं । और जैसा कि मैंने बताया, कोई समान दर नहीं है क्योंकि यदि पत्तन से दूरी कम है, तो संभवतः खान मालिक को थोड़ा अधिक लाभ मिलता है, परन्तु यदि अन्तर अधिक है और हालेज ३०० या ४०० मील है, तो अधिक रेलवे भाड़ा देना पड़ता है और उस स्थान पर खान मालिक अधिक लाभ की अपेक्षा नहीं कर सकता ।

†**श्री त्यागी :** यह सब व्यय करने के पश्चात् राजकीय व्यापार निगम कितने प्रतिशत लाभ अपने पास रखता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** खान मालिकों के साथ संविदा प्रतिशत आधार पर उनको दिये जाने वाले लाभ पर निर्भर नहीं होते । प्रतियोगिता के आधार पर खरीद होती है और सरकार विभिन्न टेंडर देने वालों तथा खान मालिकों से यथासंभव कम से कम मूल्य या अधिकतम उचित मूल्य पर माल खरीदती है । यह खान मालिकों के लिये कुछ लाभ अवश्य छोड़ता है । राजकीय व्यापार निगम को बहुत बड़ा लाभ होता है, जो उस के संतुलन पत्रों में दिखाई देता है । इस निगम के संविदा दर संविदा लाभ को बताना कठिन होगा ।

---

†हिन्दी अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : क्या अपने देश की मूल्यों के बारे में दक्षिण अमरीकी देशों से कोई भारी मुकाबला करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: जहां तक पश्चिम यूरोपीय बाजारों—जर्मनी, इटली और अन्य स्थानों का सम्बन्ध है, स्वीडन और ब्राजील से प्रतियोगिता होती है—मुख्यतया स्वीडन से, क्योंकि लोह अयस्क की किस्म अच्छी है और भाड़ा बहुत कम है । जब तक पश्चिमी यूरोपीय देशों का सम्बन्ध है, भारत मूल्यों के रूप में तीसरा है क्योंकि उन के लिये स्वीडन से खरीदना सब से सस्ता है और तब ब्राजील से फिर भारत से ।

†**श्री शिवनंजप्पा**: क्या निर्यात अभ्यंश प्रदेश वार आवंटित किया जाता है और यदि हां, तो तीसरी योजना में मैसूर के लिये कितना अभ्यंश है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कोई निर्यात अभ्यंश नहीं । समूचा निर्यात राजकीय व्यापार निगम द्वारा शत प्रतिशत किया जाता है । सीमित करने का पहलू हमारी परिवहन क्षमता और पत्तनों की क्षमता है । हमें रेलवे जो कुछ क्षमता देती है हम उसका पूर्ण उपयोग करते हैं ।

†**श्री बासप्पा** : क्या घटिया किस्म के लोह अयस्क के निर्यात की कोई सम्भावना है और यदि हां तो प्रत्येक स्थान के लिये क्या अभ्यंश है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : घटिया किस्म का लोह अयस्क रेडी पत्तन से निर्यात किया जाता है और प्रयत्न उस के लिये अधिक बाजार बनाने का किया जा रहा र ।लगभग ४ लाख टन घटिया किस्म का लोह अयस्क १९६० में रेडी से निर्यात किया गया था ।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : कुछ समय पहले राजकीय व्यापार निगम १० लाख टन वार्षिक के निर्यात के लिये रुमानिया सरकार से बात चीत कर रहा था । क्या वह बातचीत पूरी हो चुकी है ? पत्तनों में माल रखने व चढ़ाने की क्षमता की कमी के कारण हमारे निर्यात में कमी हो गई है इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पत्तनों में रखने की क्षमता को बढाने के लिये कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: पत्तन क्षमता बढ़ाने का प्रश्न बड़ा मामला है, और इस पर योजना आयोग तथा परिवहन तथा संचार मंत्रालय विचार कर रहे हैं । यह सच है कि रुमानिया को पश्चिमी पत्तनों से लोह अयस्क की बड़ी मात्रा की जरूरत थी और पश्चिम घाट के पत्तनों से हम इस समय माल नहीं दे सके । अतः उन के साथ स्थायी आधार पर कम मात्रा में माल भेजने का संविद किया गया है । परन्तु संविदा में यह उपबन्ध है कि यदि पत्तन क्षमता का विकास हो गया तो अधिक माल भेजा जा सकता है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या कोचीन पत्तन के प्राधिकारियों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि कोचीन पत्तन के द्वारा माल भेजने के लिये लोह अयस्क प्राप्त किया जा सकता है और क्या उस पेशकश पर विचार किया गया था ? क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस पर विचार किया जायेगा । परन्तु यह देखना पड़ता है कि क्या उस पत्तन तक खानों से लोह अयस्क भेजने की लागत बहुत अधिक नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्भरण और निपटान के महानिदेशक के कार्यालय का पुनर्गठन

†*१७६७. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भरण और निपटान के महानिदेशालय का पुनर्गठन करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) त्रुटिपूर्ण खरीद के सिलसिले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि भण्डार क्रय समिति ने कुछ सिफारिशें कीं और उन के आधार पर भारतीय सम्भरण सेवा तथा भारतीय निरीक्षण सेवा ६-१-६१ से अब चालू हो गई हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हां श्रीमान् ।

†**श्री तंगामणि :** क्योंकि डी जी एस डी ने १६५६-६० में १८२.६ करोड़ रुपये का स्टोर स्थानीय तौर पर खरीदा, क्या इस सेक्शन का कक्षों, अर्थात् सम्भरण निर्धारक कक्ष, योजना, निरीक्षण एवं निपटान कक्ष को, प्राप्त होने वाली शिकायतों के कारण बढा दिया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : नहीं, श्रीमान् । भण्डार क्रय समिति की मंत्रणा पर कई नये कक्ष अर्थात् प्रगति, मूल्य निर्धारण इकाई और योजना तथा विवरण इकाई कई नये कक्ष खोले गये थे ।

†**श्री तंगामणि:** इस सभा को दो या तीन अवसरों पर बताया गया है कि रेलवे के लिये सिंह इंजीनियरिंग कम्पनी आदि कतिपय फर्मों से डी जीएस डी के द्वारा की गई बहुत सी खरीदें, अर्थात् स्लीपर, चाबियां, आदि खराब थीं । रेलवे मंत्रालय के साथ उचित पड़ताल करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है और क्या भारतीय रेलों के भण्डार नियंत्रक एवं डी० जी० एस० डी० के दफ्तर ने किसी प्रकार का परामर्श किया था और क्या यह भी सच है कि चूंकि ऐसा कोई समन्वय नहीं है, ये चीजें मूल्यतः पास कर दी गई थीं किन्तु त्रुटियां अलीपुर या किसी दूसरे निरीक्षण स्थानों पर ही देखी गईं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह बड़ा अन्तर्ग्रस्त प्रश्न है किन्तु मैं सामान्य चित्र देखता हूं । हमारी रेलवे संभवतः सबसे अधिक इंडैंट देती है और १६५७ में हमने लगभग १०० करोड़ रुपये का माल भेजा तथा शिकायतें कुछ माल के .००१ प्रतिशत भण्डार के बारे में थीं। संविदा की शर्तें सरकार के बहुत अनुकूल हैं और यदि खराबी होती है तो माल देने वाले को अपनी लागत पर माल बदल कर देना होता है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या यह सच है कि विदेशों को डी० जी० एस० डी० द्वारा दिये गये आर्डरों का माल बाद में भेज जाता है जबकि सीधे दिये गये आर्डरों का माल कम समय में आ जाता है और यदि हां तो कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे पक्का विश्वास नहीं कि आया मा० सदस्य की सूचना ठीक है। कुछ माल के बारे में कुछ विलम्ब अवश्यंभावी है। लोगों को विशिष्टि आदि के बारे में बहुत सतर्क होना पड़ता है, विशेष कर जब माल विदेश से आता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि हाल में सिंह इंजीनियरिंग कारखाना द्वारा बनाई गई कुछ चीजें जिन्हें निरीक्षण महानिदेशक ने पास कर दिया था उस बारे में कोई जांच की जा रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हां श्रीमान् । आ० सदस्य ने कुछ दिन पहले एक प्रश्न रखा था परन्तु वह पूछा नहीं गया हमने कुछ जांच की है । कुछ दूसरी जांच भी अभी चल रही है। इस समय प्रतीत होता है कि हमारे निरीक्षणालय का कोई दोष नहीं था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** बहुत से मामलों में हमने देखा है कि रेलवे या हमारे विभागों द्वारा जो आर्डर सीधे दिये गये हैं उनका माल जल्दी दिया जाता है जबकि डी जी एस डी द्वारा दिये गये आर्डर का माल बाद में भेजा गया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे पता नहीं कि आया रेलवे ने विदेशी सम्भरण कर्ताओं को कोई आर्डर सीधे दिया था ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि हम भी भारत संभरण मिशन तथा भारतीय स्टोर विभाग लन्दन से स्टोर खरीदते हैं ? क्या ये दोनों विभाग भी सीधे डी जी एस डी के अधीन आ गये हैं और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक भारत संभरण मिशन और भारतीय भण्डार विभाग का सम्बन्ध है, वे डी जी एस डी के अधीन नहीं, बल्कि सीधे मंत्रालय के अधीन हैं ।

†**श्री मुरारका :** मा० उपमंत्री ने कहा है कि १९५७ में १०० करोड़ रुपये का माल रेलवे को दिया और शिकायतें केवल .००१ प्रतिशत के बारे में आईं अर्थात् १ लाख रुपये के माल के बारे में ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे उस विभाग द्वारा यही बतलाया गया है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** डी जी एस डी ने औसतन कितना माल खरीदा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** २ करोड़ रुपये से कुछ अधिक लागत का ।

प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया

†*१७६८. **श्री गोरे :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के दिल्ली कार्यालय के कर्मचारियों ने ५ अप्रैल, १९६१ को 'अन्दर बैठे रहने की' हड़ताल की थी ;

(ख) क्या सरकार को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों और प्रबन्ध-बोर्ड के सम्बन्धों के बिगड़ जाने का पता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिये प्रबन्ध बोर्ड को क्या सलाह दी है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) हां, ११ बजे से १ बजे तक दो घंटे के लिये ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री गोरे : क्या प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रबन्धकों ने सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में जो अपील दायर की थी उसे वापस ले लिया गया ?

†श्री आबिद अली : जी नहीं । अपील दायर की गयी है किन्तु अभी तक स्वीकार नहीं हुई । मुझे पता नहीं कि यह वापस ली गयी है ।

†श्री जोकीम आल्वा : श्रम तथा सूचना मंत्रालय में कैसा सम्पर्क है ? उस मंत्रालय ने प्रतिद्वंदी संस्थाओं को लाइसेंस दिये हैं और पी० टी० आई० की हालत बिगड़ गयी है ?

†श्री आबिद अली : हमारा सम्बन्ध औद्योगिक सम्बन्धों से है । जहां तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है यह दूसरे मंत्रालय का काम है ।

†श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा : कर्मचारियों की मुख्य शिकायतें क्या थीं और हड़ताल क्यों की थी । सरकार ने मालिक मजूर सम्बन्धों के सुधार के लिए क्या किया ?

†श्री आबिद अली: कुछ मास से मासिक वेतन देर से दिया जाता था । मार्च का वेतन ४ दिन बाद दिया गया । आगे से मासिक वेतन १ तारीख को देने का आश्वासन मिला है ।

श्री विभूति मिश्र : म जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था और उनको प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के मैनेजमेंट को पैसा देने में क्यों दिक्कत हुई और वह उनको समय पर पैसा क्यों नहीं दे सके ?

श्री आबिद अली : इसमें १०२ कर्मचारियों ने भाग लिया था और उनको पैसा देने में दिक्कत यह हुई कि उनको बैंक से पैसा मिलने में देरी हो गई ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : अभी श्रीमान ने फरमाया कि वेतन देने में चार पांच रोज की देरी हुई है । इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्रवाई की ?

श्री आबिद अली : उनको समझा दिया और उनसे वायदा ले लिया कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : मैं तो विधान की बात कर रहा था ।

†श्री गोरे : क्या कर्मचारियों ने अभी हाल ही में एक संकल्प के द्वारा पी० टी० आई० के प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की मांग की थी । यदि हां, तो क्या सरकार ने पी० टी० आई० के प्रबन्धकों से मांग स्वीकार करने के लिये कहा है ?

†श्री आबिद अली : हड़ताल का इस बात से कोई सम्बध नहीं । संकल्प हमें प्राप्त हो गया है और सामान्य कार्यवाही की जायेगी ।

†श्री ब्रजराज सिंह : प्रैस आयोग ने भी यही सिफारिश की थी । सरकार ने इस बारे में क्या किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली:** हम केवल प्रबन्धकों से अनुरोध कर सकते हैं और यदि कर्मचारी मांग करेंगे तो उस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा जा सकता है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विधान

+

†*१७६९ { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अमजद अली :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में प्रस्तावित विधान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों से विचार-विमर्श किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित चर्चा में भाग लेने के लिए कितनी यूनियनों और फेडरेशनों को आमंत्रित किया गया है और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कोई तिथि निश्चित की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो यह चर्चा कहां और कब होगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि विचार-विमर्श के लिये किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं बुलाया गया था ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** किसी भी संस्था का कोई भी प्रतिनिधि श्रम मंत्री से मिलने के लिये नहीं आया है । संभव है कि व्यक्तिगत रूप में कुछ कर्मचारी आये हों ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सरकार प्रस्तावित विधान को अधिनियम के रूप में पारित करने से पहले सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों से बातचीत करने का विचार रखती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सरकार अनौपचारिक रूप से कर्मचारियों से बातचीत करने का विचार रखती है । यह चर्चा संघों के प्रतिनिधियों से नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों से की जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कुछ कर्मचारी श्रम मंत्री से मिले थे। उन्हें किस हैसयित में निमंत्रण पत्र दिये गये थे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** व्यक्तिगत रूप में कर्मचारी श्रम मंत्री से मिलने के लिये आये थे और श्रम मंत्री से उनकी भेंट हुई थी ।

†**श्री नारयणन कुट्टि मेनन :** इस बात को देखते हुए कि कर्मचारी संघों की मान्यता समाप्त कर दी गयी है और बातचीत करने के लिये कोई संस्था नहीं है, सरकार इसे संसद में कब पेश करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सभी सघों की मान्यता को समाप्त नहीं कर दिया गया है। जिन संघों ने अवैध हड़ताल में हिस्सा लिया था, केवल उन्हीं की मान्यता समाप्त की गयी है। व्यक्तिरूप से कर्मचारी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। जहां तक इस विधान का सम्बन्ध है, इसे भविष्य में किसी समय संसद में पेश किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या व्हिटले परिषदों की स्थापना तथा उसके गठन को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है। और यदि हां, तो वे परिषद् किस प्रकार की होंगी और क्या उन्हें किसी विधान में सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** एक विधेयक सभा में पेश किया जायेगा। आशा है ये उपबन्ध उसी में होंगे।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : सरकार अगर कर्मचारियों से चर्चा नहीं करती तो क्या कल जो इंडियन लेबर स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें इसकी चर्चा करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : इंडियन लेबर कानफ्रेंस में इसकी चर्चा हुई है लेकिन कल जो मीटिंग हो रही है उसमें इसकी चर्चा नहीं होगी।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमान को यह ज्ञात है कि जो लेबर आरगेनाइजेशन के ११ सेंटर हैं उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर बन्दिश लगाने के बजाए न्याय दिलाने के सरल रास्ते का सुझाव दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : उनकी राय मुझे मालूम है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार ने उन व्यक्तियों से भी कोई विचार विमर्श किया है जिनका पहले कभी प्रतिनिधि कर्मचारी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा था और क्या सरकार को उस बात से तसल्ली है कि प्रत्युत्तर अनुकूल है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कुछ दिन पूर्व श्रम मंत्री की डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप में भेंट हुई थी। वे व्यक्ति किसी भी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे क्योंकि उन संस्थाओं की मान्यता समाप्त हो गयी थी।

†**श्री प्रभात कार :** उन व्यक्तियों से क्या क्या बातचीत की गयी थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उस पर प्रकाश डालना लोक हित में नहीं है क्योंकि चर्चा अभी तक चल रही है।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। सरकार विधान पेश करने का यत्न कर रही है और वह सभा में पेश कर दिया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन :** माननीय उपमंत्री ने कहा है कि उनका संघों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन कार्मिक संघ अभी विद्यमान है और सरकार को उनकी मान्यता स्वीकार करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारी

†*१७५९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारियों को धीरे धीरे विस्तार कर रही दण्डकारण्य परियोजना में खपा लेने की प्रस्थापना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) अब तक इस परियोजना में छंटनी किये गये कितने कर्मचारियों को काम दिया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) दण्डकारण्य परियोजना में कर्मचारियों की भर्ती कुछ समय से रूकी हुई है। परन्तु यदि वहां कार्य बढ़ गया और अधिक कर्मचारियों की जरूरत हुई तो पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी में निकाले हुए कर्मचारियों के दावों पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

(ख) ३ छंटनी में निकाले हुए व्यक्तियों को और १२ ऐसे व्यक्तियों को जो छंटनी में निकाले जाने वाले थे ।

नागालैंड में स्थित सशस्त्र सेनाएं

†*१७६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के कोहिमा और मोकोचुंग जिलों के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में नियुक्त सशस्त्र सेनाओं को प्रदत्त विशेष अधिकार बने रहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश के लागू रहने की अवधि में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अधिनियम, १९५८ के अधीन नागालैंड के कोहिमा और मोकोचुंग जिलों के उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों मे सशस्त्र सेनाओ के अधिकारियों को गड़बड़ को दबाने के लिये विशेष अधिकार प्राप्त हैं । नागा विद्रोहियों को दबाने के लिये उक्त अधिकारों को जारी रखने की अभी भी जरूरत है । अतः उक्त अधिनियम को ४ अप्रैल, १९६१ के बाद एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया है ।

जापान को लोह अयस्क की बिक्री

†*१७६५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान भारत से तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लोह-अयस्क खरीदने पर राजी हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा कितनी खरीद किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यह खरीद किन निबन्धनों और शर्तों के अनुसार की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बातचीत अभी चल रही है।

प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना

†*१७७०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य कुशलता में वृद्धि और किफायत करने की दृष्टि से नियम और विनियमों तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये किया जा रहा विचार-विमर्श पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). योजना आयोग अभी हाल ही में तृतीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित प्रशासनिक मामलों पर चर्चा पूरी की है। उन पर शीघ्र ही मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किया जायेगा।

पटसन कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

†*१७७१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मकारों को नकद अन्तरिम सहायता देने के बारे में पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिश को अभी तक कितने पटसन कारखानों ने क्रियान्वित नहीं किया ;

(ख) इस सिफारिश को क्रियान्वित न किये जाने के लिए यदि कोई कारण दिये गये हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) इस सिफारिश को क्रियान्वित करवाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). कुल ८८ पटसन मिलों में से ८२ ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। शेष ६ मिलों पर राज्य सरकारें जोर दे रही है।

(ग) फिलहाल प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निष्क्रान्त सम्पत्ति की अलाटमेंट सम्बन्धी फाइल का गुम हो जाना

†*१७७२ { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में निष्क्रान्त सम्पत्ति की अलाटमेंट सम्बन्धी कुछ फाइलें गुम हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या इस सिलसिले में अब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की खोज राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है और कुछ फाइलों का पता लग गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

दण्डकारण्य में भमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य के लिये ट्रेक्टर

†*१७७३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हेम बरूआ :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक सहयोग मिशन के एक विशेषज्ञ, श्री आर० एफ० कोकन, ने जो आजकल केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के निर्माण और योजना उपकरण सलाहकार हैं और जिन्हें लगभग दो महीने पहले दण्डकारण्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए १९६० में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय को सप्लाई किये गये डी-८० और डी-१२ ट्रैक्टरों में से बहुत से ट्रेक्टरों के टूट जाने और तसल्लीबख्श न निकलने के कारणों की जांच करने के लिए कहा गया था, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस की उपत्तियों का क्या ब्योरा है ;

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) दण्डकरण्य में इन ट्रेक्टरों को कितने घण्टे इस्तेमाल किया गया और इनकी सहायता से अब तक कितने एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) ३१ मार्च, १९६१ तक २६,८८७ घण्टे ।

पूर्व कृष्यकरण . . .	२,१५५ एकड़
आंशिक कृष्यकरण . .	७५९९ ,,
सड़क निर्माण . . .	१४५ मील
तालाब खोदना . .	३,०५,७०० घन फुट
बन्ध लगाना . .	८२,००० घन फुट तथा ६४० एकड़
तालाबों के स्थान की सफाई	२१ एकड़

†मूल अंग्रेजी में

यूरोपीय सामान्य मार्केट

†*१७७४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १३ दिसम्बर, तारांकित प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने यूरोपीय सामान्य मार्केट से सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निश्चय का भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यात पर, विशेषत: चाय के बारे में, क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) ज्ञात हुआ है कि कोई भी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कारखाने की इमारत की रूपरेखा

†*१७७५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत कारखानों की इमारतों की रूपरेखा और निर्माण की विधि का अध्ययन करने के लिये भेजे गये दल की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). दल की सिफारिशें इस समय सम्बन्धित विभागों के विचाराधीन हैं जिन्हें हाल ही में रिपोर्ट की प्रतियां भेजी गयी हैं । रिपोर्ट की २५ प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी गयी हैं ।

कोयला खनन यंत्र

†*१७७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयला खनन यंत्रों के फालतू कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

कुछ एक उपक्रम कोयला खनन यंत्रों के फालतू कल-पुर्जों जैसे कि कालेज, कानवेयर, बिजली द्वारा चलने वाले पम्पों आदि का निर्माण कर रहे हैं और कोयला खनन यंत्रों तथा उनके पुर्जों के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्माण की योजनाओं को भी मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे कोयला खनन यंत्र कारखाने से भी न ही केवल सम्पूर्ण यंत्रों के लिये फालतू पुर्जे तैयार किये जायेंगे, परन्तु देश में विद्यमान यंत्रों के लिये भी पुर्जे तैयार किये जायेंगे। यह परियोजना दो प्रावस्थाओं में पूरी की जायेगी। प्रथम में ३०,००० टन प्रतिवर्ष की क्षमता होगी और दूसरी में ४५,००० टन प्रतिवर्ष की क्षमता होगी।

महाराष्ट्र में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा

†*३९८०. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में इस समय बिना बिका हथकरघे के कपड़े का कुल कितना स्टाक है ; और

(ख) उन्हें शीघ्रता से बेचने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) नवम्बर, १९६० के अन्त में महाराष्ट्र में लगभग ३६.२५ लाख रुपयों की कीमत का ३१.९४ लाख गज़ स्टाक बिना बिका पड़ा हुआ है ?

(ख) क्योंकि स्टाक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और आशा है कि तेज़ मौसम में वह बिक जायेगा, इसलिये राज्य सरकार उसके लिये कोई विशेष कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझती।

महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां

†३९८१. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) महाराष्ट्र में अभी तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयी हैं ;

(ख) उन में से कितनी बस्तियां पूरी तरह से चल रही हैं ; और

(ग) बस्तियों के आंशिक रूप से चलने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) महाराष्ट्र में अभी तक पांच बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। वे हैं—कोल्हापुर, हड़पसर (पूना के निकट), कराद, नागपुर, और अमरावती में।

(ख) कोल्हापुर में औद्योगिक बस्ती पूरी तरह से चल रही है। शेष आंशिक रूप से चल रही हैं। कराद, नागपुर, और अमरावती में औद्योगिक बस्तियां अभी हाल ही में पूरी हुई हैं।

(ग) आवंटियों को सभी प्रारम्भिक कार्यों को पूरा करने जैसे परिवहन तथा मशीनें लगाने में कुछ समय लग जाता है। इन कार्यों के लिये आवंटियों को तीन महीने का समय दिया गया है।

मध्य प्रदेश में आर्थिक तथा औद्योगिक सर्वेक्षण

†३९८२. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में किये गये आर्थिक तथा औद्योगिक सर्वेक्षण की कोई रूपरेखा प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली ने राज्य सरकार के कहने पर मध्य प्रदेश का एक प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । वह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गयी है और वह मेसर्स एशिया पब्लिशिंग हाउस कान्ट्रक्टर बिल्डिंग निकल रोड, बल्लार्ड एस्टट बम्बई से खरीदी जा सकती है ।

(ख) रिपोर्ट में मुख्यतया निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(१) राज्य के उपलब्ध तथा भावी सामग्री संसाधनों के सम्बन्ध में एक प्रविधिक तथा आर्थिक अनुमान ।

(२) वर्तमान तथा भावी सामग्री संसाधनों तथा अन्य सहायक तत्वों जैसे परिवहन, विद्युत प्रविधिक प्रशिक्षण सुविधायें, उपक्रम चलाने की योग्यता तथा आवश्यक पूंजी आदि की उपलब्धि की पृष्ठ भूमि में राज्य में आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की सम्भावनायें ।

(३) आगामी दस वर्षों के लिये विकास कार्यक्रम का रूप निर्धारित करना ।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†**३९८३. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र में कितने और किस-किस स्थान पर लघु हथकरघा उद्योग आरम्भ किये गये थे;

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋण और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी थी; और

(ग) १९५९–६० और १९६०–६१ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडो-चाइना

†**३९८४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षक तथा नियन्त्रण आयोग ने अनिमितता की कितनी शिकायतों की ओर (१) वियतनाम अधिकारियों तथा (२) वियत मिह्न प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित था; और

(ख) कितनी शिकायतों को सन्तोषजनक ढंग से निबटा दिया गया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) और (ख). उक्त अवधि सम्बन्धी ११वीं अन्तरिम रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है और उसे जनेवा सम्मेलन के सह-

†मूल अंग्रेज़ी में

सभापति को पेश किये जाने के बाद उसे प्रकाशित कर दिया जायेगा। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर भी रख दी जायेगी।

'वेनिला' के पौधे लगाना

†३९८५. **श्री नारायणन स्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'वेनिला' के पौधे लगाने के कार्य की योजना को चाल किया है और देश में पौधे लगाने के कार्य के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) राज्यवार कितनी एकड़ भूमि में ये पौधे लगाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने केरल राज्य की गंगलम कार्य एस्टेट में ५ एकड़ भूमि को पटटे पर लेकर उसमें 'वेनिला' पर अनुसन्धान कार्य के लिये एक योजना मंजूर की है। योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसन्धान के द्वारा 'वेनिला' के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये। यह योजना १९५८ में ८७,००० रुपयों की लागत पर ५ वर्षों के लिये मंजूर की गयी थी और इसका कार्य दिसम्बर, १९५९ में प्रारम्भ हुआ। यद्यपि 'वेनिला' के केरल में लगभग एक शताब्दी पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु उसकी फसल का उत्पादन अभी तक उचित सीमा तक नहीं पहुंचा है, सम्पूर्ण वाइनाद में केवल मेसर्स टेक्नो केमिकल्स इण्डस्ट्रीज कालिकट ही व्यापारिक आधार पर इसका उत्पादन कर रहे हैं।

साइकलों का निर्माण

†३९८६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक भारत में कितनी साइकलों का निर्माण किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी साइकलों का निर्यात किया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) बड़े उद्योग क्षेत्र ५,००,००० साइकलें (लगभग) लघु उद्योग क्षेत्र, कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नवम्बर, १९६० से जनवरी, १९६१ में १५०६ साइकलों का निर्यात किया गया था।

पंजाब में उद्योगों की स्थापना

†३९८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६० तक की अवधि में पंजाब में २ लाख से अधिक पूंजी से उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में कितने सुझाव प्राप्त हुए थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने उद्योगों के लिये लाइसेन्स दिये गये थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेन्स के लिये आवेदन करने के लिये किसी भी पार्टी के पास कम से कम १० लाख रुपयों की पूंजी होनी चाहिये । इसलिये दो लाख से अधिक पूंजी के आधार पर उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) प्रतिमास जारी किये गये लाइसेन्सों के ब्यौरे उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में छपाये जाते हैं ।

पुस्तकों का आयात

†३९८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पुस्तकों के आयात के लिये कितने परमिट जारी किये गये थे; और

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १२३० ।

(ख) ३,८१,७६,००० रुपये ।

उक्त आंकड़े १–४–६० से ४–३–६१ तक के सम्बन्ध में हैं और उन पुस्तकों के सम्बन्ध में हैं जो कि क्रम संख्या १६९–१७०/४ के अधीन आती हैं ।

रूस को कच्ची ऊन का निर्यात

†३९८९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने हाल में कच्ची ऊन की ५००० गांठें खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) १९६० और १९६१ में रुस को कुल कितनी ऊन बेची गयी है और किस भाव पर बेची गयी है; और

(घ) उक्त अवधि में और किस-किस देश ने कच्ची ऊन खरीदी है और किस भाव पर ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख).सरकार को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यापार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८**]

उड़ीसा में कृषि उपकरणों का निर्माण

†३९९०. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य की स्थानीय स्थितियों के अनुकूल और किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले कृषि उपकरणों के निर्माण के लिये छोटे कारखाने स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने अभी तक कोई कारखाना स्थापित किया है; और

(ग) यदि वे वहां स्थापित किये गये हैं और कितना उत्पादन किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) . जी, हां । उड़ीसा सरकार द्वारा कटक में 'उड़ीसा एग्रिको लिमिटिड' नाम की एक सरकारी कम्पनी स्थापित की है जिसमें कृषि उपकरण तैयार किये जायेंगे । इस कारखाने ने आवश्यक यन्त्र खरीदे हैं और उन्हें लगा लिया है । आशा है कि इसमें शीघ्र ही उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा । राज्य सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भुवनेश्वर में बढ़िया किस्म के कृषि उपकरणों के निर्माण का भी विचार रखती है । लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को अनुदान और ऋण देने की सामान्य योजना में कारखाने स्थापित करने के लिये सहायता देना भी सम्मिलित है ।

सिन्दरी में मेथानोल संयंत्र

†३९९१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सिंदरी में मेथानोल संयंत्र को बेच देने के सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). इस संयंत्र को इस रूप में बेच देने का निर्णय कर लिया गया है । समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर उसके लिये प्रस्ताव मांगे गये थे । कुछ प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं और वे विचाराधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश का पूंजी व्यय

३९९२. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री कालिका सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **योजना** मन्त्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत धनराशियों में से प्रत्येक मद म कितना वास्तविक व्यय हो पाया ;

(ख) जो रकम खर्च नहीं हो सकी, उनके क्या कारण थे; और

(ग) विभिन्न मदों के लिये वर्ष, १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशियां स्वीकृत की गई हैं ?

श्रम, और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) और (ख). १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में हुए वास्तविक व्यय की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) १९६१–६२ में वित्त मन्त्रालय ने ५१ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होने का संकेत किया है । इसके विस्तृत ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार

†३९९३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में मध्यपूर्व देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(ख) क्या इन देशों से व्यापार बढ़ रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) हमारे निर्यात की परंपरागत वस्तुओं के सम्बन्ध में अनेक प्रतिकूल बातों के बावजूद इन देशों के साथ व्यापार प्रायः स्थिर है ।

विवरण

मध्यपूर्व देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) कुछ देशों के साथ व्यापार-करार किये गये हैं ।

(२) फिलहाल देश में निर्मित वस्तुओं का विस्तृत क्षेत्र देखने के लिए व्यापार तथा सद्भावना शिष्टमंडलों को भारत में आमंत्रित किया गया था । अधिक निर्यात की संभावना का अनुमान लगाने के लिए भारतीय व्यापार मडलों को वहां भेजा गया था ।

(३) भारतीय वस्तुओं के दृश्य प्रचार के लिए कुछ देशों में व्यापार केन्द्र, प्रदर्शन कक्ष आदि खोले गये थे ।

(४) हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधि भारतीय व्यापारियों को सलाह देते हैं और मदद देते हैं, उन्हें लाभदायक जानकारी देते हैं, व्यापार सम्बन्धी झगड़े निबटाते हैं और इन देशों के व्यापारियों को भारतीय निर्यातयोग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं ।

इथियोपिया को प्रविधिक सहायता

†३९९४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथियोपिया की सरकार ने अभी हाल में कोई प्रविधिक सहायता या टैक्निशियनों की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी थी और दी गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) इथियोपिया सरकार ने अपने छः कर्मचारियों को सामुदायिक विकास कार्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की थी । उसने उसी क्षेत्र में दो विशेषज्ञों की सेवाए भी हमसे मांगी थीं । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उस सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्योग

†३९९५. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक की अभी हाल में चालू की गयी क्रेडिट गारंटी योजना के अधीन कुछ चुने हुए क्षेत्रों में वित्त-सस्थाओं की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) पंजाब में स्थिर परिसम्पद्, साजसामान या कार्यकारी पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में कितनी पेशगी दी गयी; और

(ग) संपूर्ण देश में इस योजना के अधीन कुल कितनी रकम लगायी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) ३१ मार्च, १९६१ तक १८,२७,००० रुपये की पेशगी गारंटी संगठन ने पंजाब में प्रत्याभूत की थी । प्रत्येक श्रेणी के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) ३१ मार्च, १९६१ तक, संपूर्ण देश में गारंटी संगठन ने कुल १,७४,७९,३०० रुपये की पेशगी प्रत्याभूत की थी ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†३९९६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पांच खंडों में क्रय-अवक्रय आधार पर मशीनों की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने कुल कितनी रकम लगायी है; और

(ख) अब तक दिल्ली और पंजाब में कुल कितना निवेश हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३१ जनवरी, १९६१ तक क्रय-अवक्रय आधार पर छोटे उद्योगपतियों को ४,००,४५,०९१ रुपये की ४३९४ मशीनें दी गयी थीं ।

(ख) दिल्ली और पंजाब में ३१ जनवरी, १९६१ तक क्रमशः ५३.२१ लाख रुपये के मूल्य की ६६६ मशीनें और २८.९२ लाख रुपये के मूल्य की ३२० मशीनें दी जा चुकी हैं ।

दिल्ली अग्रिम केन्द्र[1]

†३९९७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्रिम केन्द्र के आधार पर निर्माताओं और व्यापारियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की अग्रिम केन्द्र योजना के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) दिल्ली अग्रिम केन्द्र प्रयोग कहां तक सफल हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Delhi Pilot centre

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लघु उद्योगों की वस्तुएं बेचने के लिए दिल्ली अग्रिम योजना लगभग १० महिने से चल रही है। अभी उस योजना के परिणामों के विषय में छानबीन चल रही है। देश के दूसरे भागों में यह योजना लागू करना इस छानबीन के निष्कर्षों पर निर्भर होगा।

कोयला धोने के कारखानों की लागत

†३९९८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक वॉशरी की लगभग लागत क्या है;

(ख) उसमें विदेशी मुद्रा कितनी लगी हुई है; और

(ग) पुर्जे आदि स्थानीय तौर पर तैयार कर उसकी लागत कितनी कम की जा सकती है इस बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त करने की कोई योजना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). प्रति घंटा २५० टन कच्चा कोयला धोने के लिए बनायी गयी कोल वॉशरी की लागत करीब १.८ करोड़ रुपये है और उसमें १ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च है। यदि भारतीय पार्टियां अपने देश में ही यह संयंत्र तैयार करें तो उस वॉशरी की लागत और उसमें विदेशी मुद्रा का हिस्सा क्रमशः २ करोड़ रुपये और ६३.८८ लाख रुपये होगा।

(ग) कोल वॉशरी के स्थानीय निर्माण के प्रश्न की छानबीन करने के लिए तकनीकी समिति नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। कोल वॉशरी का देश में निर्माण करने के लिए सरकार एक वर्तमान इंजीनियरिंग कारखाने को पहले ही लाइसेंस दे चुकी है। कोयला धोने का संयंत्र निर्माण करने के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में एक दूसरी पार्टी की योजना पर सरकार विचार कर रही है। ये कारखाने स्थापित हो जाने पर कोल वॉशरीज के लिए होने वाला विदेशी मुद्रा का खर्च संभवतः काफी कम हो जायेगा।

दंडकारण्य परियोजना में लघु उद्योग

†३९९९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में छोटे उद्योग या कुटीर उद्योग कायम करने की योजना कहां तक कार्यान्वित की गयी है या सफल हुई है; और

(ख) खेती योग्य बनाये गये क्षेत्र में ऐसे कितने उद्योग शुरू किये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दंडकारण्य में कुछ छोटे और कुटीर उद्योग चालू किये गये हैं और कुछ और उद्योग चालू किये जाने की आशा है। इन उद्योगों के कार्य के बारे में इतने शीघ्र नहीं बताया जा सकता। अब तक ये उद्योग चालू किये गये हैं :—

(१) बढ़ई के काम के साथ साथ लकड़ी के काम का केन्द्र

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) हथकरघा बुनाई केन्द्र

(३) बांस की टोकरियां और चटाई बनाने का केन्द्र

(४) अम्बर चरखा योजना, और

(५) धान साफ करना ।

लाओस

†४०००. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखने के लिए किसी कार्यवाही के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या राय है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) राजकुमार बून ऊम की सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे गये कुछ पत्र और १९ फरवरी, १९६१ को लाओस के राजा की घोषणा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के उल्लेख के अतिरिक्त जिसमें बर्मा, कम्बोडिया और मलाया से निर्मित आयोग के बारे में उसका प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रों के सम्मुख रखने के लिए उनसे कहा गया था, भारत सरकार को ऐसी किसी कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है जो लाओस का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखने के लिए की गयी हो ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुटीर उद्योगों में भारतीय निजी बुनकर

४००१. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय निजी घरेलू उद्योगों में काम करने वाले बुनकरों का धन्धा ९० प्रतिशत ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बुनकरों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सहकारिता के दायरे में आने वाले खादी और हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों की हालत में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । और न सरकार को इसकी जानकारी है कि निजी हथकरघा बुनकर काफी संख्या में बेकार हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाहन फाउन्डरी लिमिटेड

†४००२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहन फाउन्डरी लिमिटेड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का विस्तार होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी हां। नाहन फाउन्डरी लिमिटेड सालाना १८०० टन ढलाई (कास्टिंग) क्षमता बढ़ा कर दो दौरों में सालाना ५००० टन करने वाला है। विस्तार का पहला दौर पूरा हो चुका है जिसमें क्षमता ३००० टन तक बढ़ा दी गयी है। विस्तार के दूसरे दौर के लिए मशीने लगायी जा चुकी हैं। अपने विविध कार्यक्रम के अन्तर्गत नाहन फाउन्डरी लिमिटेड ने $^{1}/_{4}$ हार्स पावर से १० हार्स पावर तक की बिजली की मोटरें, दशमिक तोल, मोटराइज्ड मोनोब्लाक पम्प, सेन्ट्री फ्रूगल मशीन और हारिजेन्टल केनक्रशर्स तैयार करने का काम शुरू किया है। खेती के अधिक अच्छे ढंग के औजार तैयार करने की संभावना का भी अंदाजा लगाया जा रहा है।

पंजाब में कपड़ा मिलें

†४००३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कपड़ा मिले चालू करने के लिए लाइसेंस के कुछ आवेदनपत्र विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां तो कितने हैं और वे मिल कहां बनायी जायेगी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी हां। कुछ आवेदनपत्र विचाराधीन हैं। उन पर विचार हो रहा है।

निष्क्राम्य भमि का कपटपूर्ण आवंटन

†४००४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन साल में निष्क्राम्य भूमि के कपटपूर्ण आवंटन के कितने मामले अभी तक सरकार की नजर में लाये जा चुके हैं; और

(ख) इस मामले की जांच के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) अभी तक ऐसे २३७६ मामले सरकार की नजर में आये हैं। पिछले तीन साल के लिए अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कपटपूर्ण आवंटन रद्द कर दिये गये हैं और जहां संभव था, उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने कपट से आवंटन प्राप्त किया था, अभियोग भी चलाये गये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†४००५. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ऐसे कोई स्थायी नियम हैं कि विभागीय पदोन्नति समिति (डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन्स कमेटी) की नियमित वार्षिक बैठकें हों, वह विभागीय सेक्शन अफसरों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति के लिए पहले से ही एक सूची तैयार करे और जब कभी कोई जगह खाली हो उस स्वीकृत तालिका में शामिल व्यक्तियों की ही पदोन्नति करे;

(ख) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पदोन्नति के लिए व्यक्तियों पर विचार करने के लिए पिछले तीन साल से नहीं हुई है;

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अब भी बैठक स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) वर्तमान तथा संभावित रिक्त स्थानों पर पदोन्नति के लिए चुने हुए पदाधिकारियों की एक सूची तैयार करने के लिए प्रत्येक विभाग में विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक करने की एक सामान्य प्रथा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए अलग कोई स्थायी नियम नहीं हैं। सामान्यतया ऐसी सूचियां साल में एक बार तैयार करनी होती हैं। जब सूचियां समाप्त हो जाती हैं तब विभाग में तुरन्त रिक्त स्थानों पर भरती अस्थायी पदोन्नति द्वारा होती है और बाद में विभागीय पदोन्नति समिति नयी सूची तैयार करती है। इसमें कुछ समय लगता है।

(ख) असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) श्रेणी में पदोन्नति के लिए योग्य सेक्शन अफसरों की एक सूची तैयार करने के लिए पिछली बार अक्तूबर, १९५८ में विभागीय पदोन्नति समिति की एक बैठक बुलायी गयी थी। असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) श्रेणी में पदोन्नति के लिए योग्य सेक्शन अफसरों की एक सूची तैयार करने के लिए उस समिति की एक दूसरी बैठक जुलाई, १९५९ में बुलायी गयी थी। अगली बैठक भी शीघ्र ही होने वाली है।

(ग) और (घ). सरकार को सेक्शन अफसरों के विभिन्न समुदायों से (विश्वविद्यालय स्नातकों और ए० एम० आई० ई० व्यक्तियों से) असिस्टेंट इंजीनियर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अधिकारी होने की कसौटी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। संघ लोक सेवा आयोग तथा गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से इन अभ्यावेदनों पर विचार करना था। इसमें कुछ समय लगा और आखिर में असिस्टेंट इंजीनियर की श्रेणी में पदोन्नति के लिए अधिकारी होने के सम्बन्ध में नियम बदल देने पड़े। इसी कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से बुलाने में देर हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

बस्ती में रोजगार दफ्तर

†४००६. **श्री रामशंकर लाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के गोंडा और गोरखपुर जिलों के बीच बस्ती में कोई रोजगार दफ्तर है;

(ख) यदि हां तो क्या रेलवे में वर्ग ४ के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बस्ती रोजगार दफ्तर से उम्मीदवारों को बुलाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी स्थापना से अब तक, इस दफ्तर में रजिस्टर्ड कितने व्यक्तियों को बुलाया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, जब रोजगार देने वाला बस्ती जिले से भरती करना चाहता है ।

(ग) अभी तक कोई नहीं ।

कर्मचारी भविष्य निधि

†४००७. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय ट्रस्टीज बोर्ड ने भविष्य निधि के संग्रह पर ब्याज की दर बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कितना प्रतिशत; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशें मंजूर कर ली हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पुरानी अमरीकी मशीनों का आयात

†४००८. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पिछले तीन साल में पुरानी अमरीकी मशीनों का आयात किया है; और

(ख) यदि हां तो यह पुरानी मशीनों की खरीद पर कितनी रकम खर्च की गयी और किन किन उद्योगों के लिये यह खर्च किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). वास्तविक उपभोक्ताओं को तदर्थ आधार पर पुरानी मशीनों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था आयात नीति में की गयी है । पुरानी मशीनों का अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता और उस आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एमरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (राजस्थान)

†४००९. **श्री यादव नारायण जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में मेसर्स एमरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कंपनी (राजस्थान) को खादी-ग्रामोद्योग आयोग ने राइस शेलर्स और दूसरी चक्कियों के लिए कितनी राजसहायता दी;

(ख) उपर्युक्त कम्पनी द्वारा तैयार की गयी चक्कियों की उत्पादन लागत क्या है और उसका बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त संस्था चक्कियों के साथ 'एमरी' नाम का प्रयोग अब भी कर रही है यद्यपि आयोग ने इस नाम का प्रयोग बंद करने की सूचना पहले ही दे दी थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) केवल ११,९१० रुपये ।

(ख) मेसर्स एमरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (राजस्थान) द्वारा तैयार की गयी चक्कियों की उत्पादन-लागत ५३ रुपये ३२ न० पै० है और उसका बिक्री मूल्य ५५ रुपये (पैकिंग, भाड़ा, परिवहन आदि सहित) है ।

(ग) जी हां ।

(घ) यद्यपि खादी ग्रामोद्योग आयोग 'एमरी' नाम का प्रयोग बन्द करने का सुझाव इस कम्पनी को पहले ही दे चुका है फिर भी कम्पनी ने इस आधार पर इस नाम का प्रयोग जारी रखा है कि वह केवल व्यापारिक नाम है ।

कनाट सर्कस में सेन्ट्रल पार्क

†४०१०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में गाड़ियों को रखने की ओर अधिक जगह (पार्किंग स्पेस) देने के उद्देश्य से कैंनाट सर्कस के सेण्ट्रल पार्क को और छोटा बनाने की योजना किस दशा में है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** सरकारी जमीन के उपयोग के लिये मन्त्रणा समिति इस विषय पर विचार कर रही है ।

राज्य उपक्रमों में जनता का सहयोग

†४०११. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए सरकारी उपक्रमों की पूंजी में जनता के सीमित सहयोग की अनुमति के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस बीच तय किया है कि अभी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में उद्योगपतियों को दिये गये ऋण

†४०१२. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा प्रशासन के उद्योग विभाग ने त्रिपुरा के व्यक्तिगत उद्योगपतियों को कितना ऋण दिया था;

(ख) उन उद्योगपतियों की संख्या कितनी है;

(ग) उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है;

(घ) प्रत्येक से कितना ऋण वसूल किया गया है; और

(ङ) शेष ऋण वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दूसरी योजना में त्रिपुरा प्रशासन के उद्योग विभाग ने त्रिपुरा के व्यक्तिगत उद्योगपतियों को ९ लाख रुपये के ऋण दिये ।

(ख) २०१

(ग) ९२६

(घ) अब तक लगभग २४,००० रुपये का ऋण वसूल किया गया है ।

(ङ) बन्ध पत्रों की शर्तों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है । सभी देनदारों के नाम नोटिस जारी कर दिये गये हैं और ३४ देनदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट मामले जारी किये गये हैं ।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की कार की चोरी

†४०१३. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की एक कार की अभी हाल में चोरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: : (क) जी हां । एक हम्बर हाक स्टाफ कार, जिसे १९५६ में खरीदा गया था, २८ मार्च, १९६१ को गुम हो गयी ।

(ख) इस कार की मौजूदा कीमत ३०० पौण्ड है ।

(ग) इस चोरी की जानकारी तत्काल ही स्थानीय पुलिस को दे दी गयी थी । पुलिस इस बारे में जांच कर रही है ।

आकाश वाणी द्वारा संसद् की कार्यवाही की समीक्षा

†४०१४. **श्री तंगामणि :**
श्री धर्मलिंगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा "आज संसद् में" शीर्षक के अन्तर्गत संसद् की कार्यवाही की समीक्षा में और रात्रिकालीन प्रसारण में कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि २९ मार्च, १९६१ को निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का बिल्कुल कोई विवरण नहीं दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९६१ को गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों इत्यादि का विवरण बिल्कुल नहीं दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि पांच मिनट की समीक्षा का उद्देश्य संसद् की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देना नहीं किन्तु महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक देना है। सभी बातों का विवरण देना सम्भव नहीं। इस बारे में अपने विवेकानुसार निर्णय करने का कुछ अधिकार तो समीक्षक को देना ही होगा।

१५ मिनट के समाचार बुलेटिन में भी यह सम्भव नहीं कि संसद् में हुई कार्यवाही की सभी मदों को शामिल किया जाये क्योंकि इस बुलेटिन का उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण समाचारों का विवरण देना है, जिनमें संसद् की कार्यवाही भी शामिल है।

जब तक संसद् की कार्यवाही के प्रसारण के लिये निर्धारित समय में वृद्धि नहीं की जाती, और इस बारे में जांच की जा रही है, तब तक संसद् की कार्यवाही की प्रत्येक बात का विवरण देना सम्भव नहीं है।

(ख) जी नहीं। २९ मार्च को २१-०० बजे के समाचार बुलेटिन में इस चर्चा की मुख्य बातों का विवरण दिया गया था।

(ग) और (घ). १ अप्रैल, १९६१ को बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं के असाधारण रूप से अधिक समाचार आये थे। अतः उस दिन जिन गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई थी उन्हें २१-०० बजे के बुलेटिन में शामिल नहीं किया जा सका। किन्तु उस दिन के अन्य बुलेटिनों में, जैसे हिन्दी के बुलेटिन में, इस चर्चा का विवरण दिया गया था।

चीनी सैनिकों की गिरफ्तारी

†४०१५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम-तिब्बत सीमा और भूटान-तिब्बत सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा अब तक कुल कितने चीनी सैनिक गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) क्या उनसे पूछताछ की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) केवल एक।

(ख) उससे पूछताछ की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थी

†४०१६. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर मार्च, १९६१ तक कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) भारत में दलाई लामा और उनके साथियों के रहन सहन पर मार्च, १९६१ तक कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) कितने तिब्बती शरणार्थियों को दक्षिण में पुनर्वास के लिये जमीन दी गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) दलाई लामा और उनके साथियों पर ३१ मार्च, १९६१ तक कुल ६,६६,७५२ रु० व्यय किये गये ।

(ग) अब तक १४०९ तिब्बती शरणार्थियों को, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं, मैसूर राज्य के पेरिया पन्ना ताल्लुका की जमीन पर बसने के लिये भेजा गया है ।

भू-दृश्य समिति[1]

†४०१७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-दृश्य समिति ने सिफारिश की है कि नई दिल्ली में स्थित उद्यानों को उद्यान-विभाग से नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरण करना स्थगित किया जाये ।

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उनकी सिफारिशों के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) से (ग). भू-दृश्य समिति ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान परिस्थितियों में पहले वाली को बनाये रखना चाहिये क्योंकि उसका विचार है कि मौजूदा व्यवस्था सन्तोषजनक है इस समय कोई परिवर्तन करने से, जबकि महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार किया जा रहा है, इन कार्यों की क्रियान्विति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

अमृतसर के निकट मारे गये पाकिस्तानी

†४०१८. { **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री मुहम्मद इलियास:

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ अप्रैल, १९६१ को अमृतसर के निकट भारत-पाकिस्तान सीमा पर पुलिस के साथ मुकाबले में दो पाकिस्तानी मारे गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Landscape Committee.

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ७ और ८ अप्रैल, १९६१ के बीच की रात को दो पाकिस्तानी तस्कर-व्यापारी, जब वे भारत में घुसने का यत्न कर रहे थे, भारत-पास्किातान सीमा पर पाकिस्तानी सतलज रेंजर्स के साथ मुकाबले में पाकिस्तानी क्षेत्र के अन्दर मारे गये । यह घटना पाकिस्तानी क्षेत्र के अन्दर हुई और इसका सम्बन्ध पाकिस्तानी राष्ट्रजनों से है अतः भारतीय प्राधिकारियों द्वारा जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कालका में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

†४०१९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालकाजी में प्रस्तावित बस्ती की रूपरेखा सम्बन्धी योजना बनाने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को स्थान अलाट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) दिल्ली नगर निगम की "रूपरेखा योजनाओं सम्बन्धी स्थायी समिति" ने इस योजना को सामान्य रूप से मंजूरी दे दी है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निगम के परामर्श से सेवा-योजनायें तैयार कर रहा है । इस बस्ती के विकास के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है । अनुमान है कि इन प्राक्कलनों को शीघ्र ही मंजूरी दे दी जायेगी ।

(ख) प्लाट अलाट करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश म भारी उद्योग निगम

†४०२०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भारी उद्योग निगम स्थापित करने के लिए, जो बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता देगा, केन्द्रीय सहायता मांगी गयी है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें १९५६ के औद्योगिक संकल्प के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों को वित्तीय सहायता दे सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) उत्तर प्रदेश की तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भारी उद्योग निगम की स्थापना की एक प्रस्थापना शामिल की

†मूल अंग्रेजी में

गयी है और उसमें राज्य सरकार के योगदान के रूप में १०० लाख रु० की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने इस निगम की स्थापना के लिए केन्द्र से किसी विशिष्ट सहायता की मांग नहीं की।

(ख) और (ग). १९५६ के औद्योगिक संकल्प में राज्य सरकारों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों का वित्त पोषण करने के मामले में कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये। इस वित्त पोषण की मात्रा बहुत सी बातों जैसे परियोजना का स्थायित्व, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

नमक का उत्पादन

†४०२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अभी हाल में यह निश्चय किया है कि छोटे पैमाने पर नमक के उत्पादन का सारा कार्य औद्योगिक सहकारी समितियों को सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अलसी की खली का निर्यात

†४०२२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ब) क्या अलसी की खली का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९६० में अलसी की खली का कितना निर्यात करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे और कुल कितना निर्यात किया गया ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५९ की तुलना में १९६० में अलसी की खली का निर्यात कम हुआ।

(ख) अलसी की खली का निर्यात नौवहन बिलों पर करने की अनुमति है। इसके निर्यात के लिए वैसे कोई लाइसेंस नहीं दिये जाते। १९६० में ४४,८५४ टन अलसी की खली का निर्यात किया गया।

(ग) विदेशी मंडियों में संभरण के वैकल्पिक स्रोतों के साथ कड़ी प्रतियोगिता।

लौह धातु नियंत्रण आदेश

†४०२३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातु नियंत्रण आदेश का प्रशासन संतोषजनक नहीं है और क्या देश में इस समय इन धातुओं की चोरबाजारी हो रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). अलौह धातु नियंत्रण आदेश पर २ अप्रैल, १९५८ से लेकर, जब से इसका प्रख्यापन हुआ है, कुल मिला कर सन्तोषजनक रूप से काम हो रहा है। अधिकांश धातु सीधे वास्तविक प्रयोग कर्त्ताओं को अलाट की जा रही है अतः इसको खुले बाजार में बेचे जाने की संभावनायें सीमित हैं।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिए पैंशन

†४०२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सचिवालय/मंत्रियों के स्तर पर कोई समझौता हुआ था कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने एक सरकार की २५ वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा की थी, उन्हें दूसरी सरकार, जिसके इलाके में वे अब बस गये हैं, पैंशन के पूरे लाभ प्रदान करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना अर्द्ध-सरकारी विभागों जैसे नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). जनवरी, १९५८ में भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर सहमत हो गई थीं कि अविभाजित प्रान्तों, केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों और भूतपूर्व रियासतों के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने एक देश से दूसरे देश में जाने से पहले उतनी नौकरी अथवा आयु पूरी कर ली हो जिससे वे सामान्य नियमों के अनुसार सेवा-निवृत्ति अथवा अधिवार्षिकी पैंशन के अधिकारी हो जाते हों, किन्तु जो सेवा-निवृत्ति का औपचारिक आवेदन-पत्र दिये बिना एक देश से दूसरे देश में चले गये हों अथवा जिनके आवेदन-पत्रों को दोनों में से किसी भी देश के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वीकार न किया गया हो, पैंशन की अनुमति दे दी जानी चाहिए जो कि उन्हें नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो सकती थी, यदि उन्हें सेवा-निवृत्त होने की अनुमति दे दी जाती।

जनवरी, १९६१ में इस समझौते का विस्तार स्थानीय निकायों (पंजाब, बंगाल और आसाम के भूतपूर्व राज्यों के स्थानीय निकायों को छोड़ कर) के कर्मचारियों के मामलों पर भी कर दिया गया। इन मामलों में पैंशनों की अदायगी एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार की ओर से की जानी है बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को ३० जून, १९५५ से पहले चले आये हों।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों के लोगों को दिल्ली में सीमेंट बेचने के लाइसेंस

†४०२५. **श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के बहुत से लोगों ने दिल्ली में सीमेंट बेचने के लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सीमेंट का लाइसेंस दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये लाइसेंसिंग आदेश के अन्तर्गत सीमेंट की प्राप्ति, वितरण, भांडागार और बिक्री का विनियमन नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कासाब्लांका में व्यापार मेला

†४०२६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कासाब्लांका में इस मास में हो रहे व्यापार-मेले में भाग ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की मुख्य विशेषता क्या है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात की परम्परागत चीजों के अतिरिक्त हमारे विकासोन्मुख उद्योगों के उत्पादों अर्थात् इंजीनियरी सामान, शीशे और चीनी के बर्तन, रसायन और औषधियां, खाद्य पदार्थों, चमड़ा, रबड़ और प्लास्टिक का सामान, खेलकूद का सामान, सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री आदि का प्रदर्शन करने का विचार है । उस देश की आवश्यकताओं का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है । उदाहरण के तौर पर परम्परागत काली चाय के साथ हरी चाय भी भेजी गयी है ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सियांग नदी पर झूलता हुआ पुल

†४०२८. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियांग सीमान्त जिले में एनगोपोक अथवा पामक में सियांग नदी पर झूलता हुआ पुल बनाने का काम हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सियांग सीमान्त जिले में पामक नामक स्थान पर सियांग नदी के ऊपर झूलता हुआ पुल बनाने के विस्तृत नक्शे और नमूनों की जांच की जा रही है । वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही काम शुरू किया जायेगा और अनुमान है कि यह कार्य अगले वर्ष तक पूरा हो जायेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख के अन्तर्गत बिजली घर

†४०२९. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम, लखनऊ, बमरौली, क्यू ब्लाक (नई दिल्ली), बेगमपेट, चाकुलिया, गया, मोहनबाड़ी, अगरताला, और लोदी रोड वायरलेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन (नई दिल्ली) कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उपरोक्त बिजली घर कारखाना अधिनियम, १९४८ में दी गयी "कारखाने" की परिभाषा के अधीन नहीं आते ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†४०३०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रिक जेनरेटिंग पावर हाउस ड्राइवरों, इंजन ड्राइवरों और डीजल इंजन ड्राइवरों, और खलासियों तथा क्लीनर्स के काम में कोई अन्तर होता है; और

(ख) यदि हां, तो इनके नामकरण में यह अन्तर क्यों है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता । किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की वर्गीकरण समिति को सभी वर्गों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के नामों को युक्तियुक्त बनाने का काम सौंपा गया है । यह समिति यह कार्य कर रही है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारी

†४०३१. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान भवन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम्मेलन के, जो अक्तूबर, १९६० में हुआ था, कार्य के सिलसिले में मानदेय दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों को कोई मानदेय नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) इन कर्मचारियों को भी मानदेय दिया गया है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

मीटर रीडर

†४०३२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मीटर रीडर्स की संख्या कितनी है और उनके वेतन-क्रम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनका कार्य मुख्यत: क्लर्कों जैसा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें लोअर डिवीजन क्लर्कों का वेतन-क्रम दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) (एक) पांच ।

(दो) ७५--१--८५--ई० बी०--२--९५ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग क कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवा सूचियां

†४०३३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की कितनी सेवा-सूचियों की जांच तदर्थ समिति द्वारा की जा चुकी है;

(ख) कितनी सेवा-सूचियों को ठीक करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या ऐसी सभी सेवा-सूचियों को ठीक किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ६०८० ।

(ख) ३९२३ ।

(ग) २१५७ सूचियों को ठीक किया जा चुका है । शेष की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

(घ) पुरानी सेवा-सूचियों की सभी मदों को बहुत पुराने रिकार्डों को देखे बिना ठीक नहीं किया जा सकता । इस समय इसकी गति धीमी है क्योंकि विभिन्न डिवीजनों को केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने के लिए इन सेवा-सूचियों की आवश्यकता है इसलिए समिति इन्हें अपने पास नहीं रख सकती ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारी

†४०३४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ डिवीज़नों में कुछ वर्गों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इनको क्रियान्वित करने में देर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को सम्भवतः कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). संभवतः प्रश्न का सम्बन्ध दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपनाये गये पुनरीक्षित वेतन-क्रमों के अनुसार कुछ वर्गों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने से है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य केवल आंशिक रूप से किया गया है। इस धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन-क्रम की जानकारी देने वाली अधिसूचना केवल १४ नवम्बर, १९६० को जारी की गयी थी। इसका एक कारण यह भी है कि वेतन निर्धारित करने के तरीके के बारे में कुछ शक पैदा हो गये थे। वेतन-क्रमों को शीघ्र निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

एन्ड्रयूज़ गंज कालोनी, नई दिल्ली में बाजार

†४०३५. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ड्रयूज़ गंज कालोनी नई दिल्ली में बाज़ार में अब दूकानों का आवंटन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) निवासियों की कठिनाइयों के अतिरिक्त क्या सरकार को दूकानों के आवंटन न करने के कारण कुछ वित्तीय हानि हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) १० जनवरी, १९६१ से।

(ग) बाजार को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण करने के बारे में बातचीत हो रही है। निगम बाद में दूकानों का आवंटन करेगा तथा किराया उगाहेगा। इसलिए दूकानों को आवंटित न करने के कारण सरकार को वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश में 'मिक्सोलीन' के निर्माण के लिये संयंत्र

†४०३६. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती लकड़ी के बजाये काम में आने वाली वस्तु 'मिक्सोलीन' के निर्माण के लिए पश्चिम जर्मन फर्म के सहयोग से लोनी में एक संयंत्र स्थापित होने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के लिए कितनी पूंजी चाहिए तथा संयंत्र की क्षमता क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विशाखापटनम से लौह अयस्क का निर्यात

†४०३७. **डा० विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखपटनम बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात अनुसूची के अनुसार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी से मार्च १९६१ में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (ख) जी हां ।

(ख) ४२,१२२ टन ।

विशाखापटनम में छोटे पैमाने के उद्योग

†४०३८. **डा० विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० तथा ६१ में विशाखपटनम में छोटे पैमाने के उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्था ने कितनी सहायता दी है; और

(ख) दी गई सहायता के ब्यौरे क्या हैं ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

नारियल का उत्पादन

†४०३९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ तथा १९६० में भारत में कितनी मात्रा में नारियल का आयात किया गया तथा किन स्थानों से आयात किया गया ;

(ख) इन वस्तुओं की देश की वार्षिक आवश्यकता क्या है तथा देश के उत्पादन से कितनी पूरी हो जाती है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल के उत्पादन लक्ष्य क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) नारियल की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः ५७,५०० लाख नारियल है । १९५८–५९ में उत्पादन लगभग ४४५०० लाख नारियल था ।

(ग) १९६५–६६ के उत्पादन लक्ष्य अस्थाई तौर पर ५७५०० लाख निश्चित कर लिए गए हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†४०४०. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए कोई धनराशि विशिष्टतया निश्चित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) मद्रास राज्य का अंश क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय बजट १९६१–६२ में ४१० लाख रुपये के ऋण तथा १५० लाख रुपये के अनुदान दिए गए हैं ।

(ग) केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार आवंटन अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी शिक्षा-फिल्म[1]

†४०४१. **श्री तंगामणि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग में सहकारी समितियों के प्रचार के लिए मद्रास राज्य में कांजीवरम पर १९६० में सहकारी शिक्षा-फिल्म बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) फिल्म को पूरा करने के लिए कुछ और "शूटिंग" होना बाकी है ।

औद्योगिक बस्तियां

†४०४२. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक स्थापित औद्योगिक बस्तियों को चालू वर्ष में अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की होगी तथा उसके ब्योरे क्या होंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दूसरी योजना में अपूर्ण, स्वीकृत औद्योगिक बस्तियों को चालू वर्ष में अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ।

(ख) इन औद्योगिक बस्तियों तथा नई बस्तियों को सहायता देने के लिए १९६१-६२ के केन्द्रीय बजट में ४०० लाख रुपये के ऋण देने की व्यवस्था की गई है ।

समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का परिचालन

†४०४३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन के लिए समाचार पत्र तथा पत्रिका के परिचालन की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्र में की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पदाधिकारी डाकघरों से डिस्पैच के आधार पर परिचालन की उसी स्थल पर जांच करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी जांच करने वाला पदाधिकारी किस पद का होता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) विज्ञापन के लिए समाचार पत्र, एबीसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखापरीक्षा परिचालन का प्रमाणपत्र देते हैं अथवा पोस्टल विभाग के एक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित डाकघर से डिस्पैच का प्रमाणपत्र देते हैं ।

सामान्यतः परिचालन आंकड़ों की जांच का कार्य समाचारपत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा किया जाता है । वह कार्यालय नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय के एक विशेष

---

[1] Cooperative Educational Film.

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारी की सहायता से उसी स्थान पर जांच करता है। विज्ञापन के निदेशक रजिस्ट्रार के परामर्श से परिचालन आंकड़ों की जांच करते है ।

(ख) और (ग). विज्ञापन के निदेशक डाकखाने से डिस्पैच की विशेष जांच नहीं करते हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले पदाधिकारी

४०४४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रधान कार्यालय में कितने सूचना तथा सांस्कृतिक अफसर नियुक्त हैं ;

(ख) उन में से कितने भली भांति हिन्दी जानते हैं और शेष अफसरों में से कितने हिन्दी कक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं ; और

(ग) ऐसे अफसर जो अच्छी तरह हिन्दी नहीं जानते हैं और न हिन्दी कक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं क्या उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनकी नियुक्ति किसी विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में करने से पूर्व उनके लिये हिन्दी का समुचित ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) २० ।

(ख) १७ अधिकारी अच्छी तरह हिन्दी जानते हैं और दो को काम चलाऊ हिन्दी आती है । बाकी एक अधिकारी ने, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, हिन्दी सीखना शुरू कर दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी कक्षायें

४०४५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छै मास में कौन-कौन से देशों में भारतीय दूतावासों से विदेशियों द्वारा हिन्दी कक्षाओं का प्रबन्ध करने का निवेदन किया गया ;

(ख) उनमें से किन-किन देशों में इसके लिए उचित व्यवस्था कर दी गई है ;

(ग) दूतावास के जिन कर्मचारियों से इन कक्षाओं के संचालन का भार संभालने की अपेक्षा की जाती है उनको किस प्रकार के प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया है ; और

(घ) सरकार के उस निश्चय के अनुसार कितने कर्मचारियों ने अपनी सेवायें हिन्दी पढ़ाने के लिए अर्पित की हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (घ). इस संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

केरल में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के लिये सरकारी विज्ञापन

†४०४६. **श्री कुन्हन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में केरल में कितने भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को भारत सरकार विज्ञापन देते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: केरलमें ३४ भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को १९६०–६१ में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन मिले हैं ।

नई दिल्ली के खादी तथा ग्रामोद्योग भवन में काम के घंटे

†४०४७. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के खादी तथा ग्रामोद्योग भवनों के काम के घंटे क्या हैं ;

(ख) कनाट प्लेस की अन्य दूकानों से इन काम के घंटों की किस प्रकार तुलना की जा सकती है ;

(ग) क्या भवनों के काम के घंटे अन्य दूकानों से कम हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) रविवार, जोकि छुट्टी का दिन है, के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के काम के घंटे १०-३० से १-०० तथा ३-०० से ८-०० हैं ।

(ख) कनाट प्लेस की दूकानों के काम के घंटे अलग अलग हैं । कुछ दूकानें ९-३० पर खोली जाती हैं तथा ८-३० पर बन्द की जाती हैं । १-०० से ४-०० के बीच ३ घंटों का इंटरवल होता है । कुछ १०-०० पर खोली जाती हैं तथा ८-०० पर बन्द की जाती हैं । (१-३० से ३-३० के बीच २ घंटे का इंटरवल होता है) । खादी तथा ग्रामोद्योग भवन के काम के घंटे अन्य दूकानों से भिन्न प्रकार के नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता में बिजली का बन्द होना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे निम्नलिखित विषय पर तीन स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

"दुर्गापुर में दामोदर घाटी निगम के तापीय बिजली घर के खराब होने के कारण कलकत्ते में २५ अप्रैल की रात्रि से कलकत्ता नगर के तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में, जिन्हें उस क्षेत्र से बिजली मिलती थी, के गहुत बड़े भाग में बिजली का बिल्कुल बन्द हो जाना"

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में सभा को जानकारी देवें ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मुझे इस दुर्घटना का समाचार कल प्रातः मिला और तब से मैंने इस सम्बन्ध में दुर्गापुर से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । तथापि मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी जिसे सभा पटल पर रखा जा सके । कल मैंने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य को मौके पर जा कर दुर्घटना के सम्बन्ध में एक पूरा विवरण तैयार करने को कहा है । वह कल या परसों आ जायेगा । अतः मैं उस विश्वसनीय जानकारी के आधार पर आगामी सोमवार को इस सम्बन्ध में पूरा विवरण सभा पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : पिछले दिन माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उससे ऐसा प्रतीत होता था कि कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम का एक प्रमुख बिजली घर खराब हो गया है । तथापि मुझे पश्चिम बंगाल विधान सभा के एक उत्तरदायी सदस्य से यह जानकारी मिली है कि दुर्गापुर तापीय विद्युत् घर बिल्कुल खराब हो गया है और भयावह स्थिति पैदा हो गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को सोमवार तक धैर्य रखना चाहिये इस बीच यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो वह मंत्री महोदय को दे सकते हैं ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मेरा सुझाव है कि इस दुर्घटना की जांच के लिये सरकार को एक उच्च शक्तियुक्त समिति नियुक्त करनी चाहिये ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद से स्थिति और भी बिगड़ गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस परिस्थिति का सामना करने के लिये और क्या कार्यवाही की है ? सरकार को चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे उक्त दोनों सदस्यों के सुझावों को अपने ध्यान में रखें तथा सोमवार को इस सम्बन्ध में पूरा विवरण देवें । मैं स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

१९५९–६० की हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनीज़ एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २९०१/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १७ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २९०२/६१]

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही-सारांश और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय—नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति की एक-सौ-पच्चीसवां प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

---

२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में बक्तव्य

†**योजना तथा श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : २२ अप्रैल, १९६१ को असानसोल के निकट पूर्वी कजोरा खान में ४ बजे प्रातः एक दुर्घटना हुई, जिसमें पांच व्यक्ति मारे गये और एक व्यक्ति आहत हुआ।

यह दुर्घटना खम्भे गिराये जाने वाले क्षेत्र में, ७०'×४०'×४' क्षेत्रफल वाली छत के गिर जाने के कारण हुई उस क्षेत्र से खम्भे गिराने का काम हो चुका था तथा खम्भे गिराये जाने के बाद उसके बाहर घेरा लगा दिया गया था। ६ खनिक जो एक नये खम्भे पर काम कर रहे थे वे गिरे हुए कोयले को चुनने के लिए अपना वैध स्थान छोड़ कर घेरा हटा कर प्रतिषेधित क्षेत्र में चले गये। जब वे कोयला भर रहे थे छत गिर पड़ी। पांच व्यक्ति पूरी तरह और एक अंशतः दब गया। उस व्यक्ति को निकाल कर अस्पताल भेज दिया गया।

इस दुर्घटना का समाचार क्षेत्रीय खान निरीक्षक को २ बजे सांय मिला। एक निरीक्षक तत्काल खान को रवाना हो गया। खानों के उप-मुख्य निरीक्षक जो कि धनबाद में थे वे भी तत्काल खान के लिये रवाना हो गये।

इस खान की सब से आखिरी जांच २८ जनवरी १९६१ को हुई थी उस समय यह छत खुली हुई नहीं थी। पिछले तीन वर्ष से खान में कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई थी।

दुख की बात है कि वर्तमान दुर्घटना सिमलाबहल और बदरुचक कोयला खानों की दुर्घटना, जिनके सम्बन्ध में २१ मार्च, १९६१ को लोक-सभा में एक विवरण रखा गया था, उसके तत्काल बाद हुई। तथापि हाल के वर्षों में खानों में मृत्यु संख्या कम हुई है। १९५४ में मृत्यु संख्या की दर प्रतिहजार व्यक्तियों में .७२ थी। १९५९ में यह दर घट कर .४७ रह गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

खान अधिनियम के अधीन ऐसी सभी दुर्घटनाओं में, जिनमें प्राणहानि होती है, उनकी जांच खान निदेशालय द्वारा की जाती है। उसके कारण तथा दायित्वों का निश्चय किया जाता है और जहां इसका दायित्व प्रबन्धकों पर होता है वहां उन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जहां दुर्घटना के कारणों और स्थितियों की अन्यथा जांच नहीं हो सकती है वहां खान अधिनियम के अधीन जांच न्यायालय की स्थापना की जाती है।

१९५९ में घातक दुर्घटनाओं की जांच से यह ज्ञात हुआ कि ५३ प्रतिशत दुर्घटनायें दुस्साहस, १८ प्रतिशत अधीनस्थ अधीक्षक कर्मचारियों की गलती तथा १५ प्रतिशत प्रबन्धकों की गलती तथा अवशेष अन्य विविध कारणों से हुई।

जहां तक निदेशालय की मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में सतर्कता का प्रश्न है पांच वर्षों के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश मामलों में सजायें दी गयीं। जिन मामलों का निर्णय हुआ उसमें ६७ से ९७ प्रतिशत मामलों में सजायें दी गयीं।

दुर्घटनाओं के कारणों की जांच से यह ज्ञात होता है कि खानों में ५० प्रतिशत दुर्घटनायें छतों तथा दीवारों के गिरने के कारण होती हैं। छतों का काफी बड़ा भाग प्रत्येक चालू खान में खुला रहता है। उसे रोकने के लिये उसके संभालने के लिये कानून द्वारा आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। यह दायित्व पूर्णतः प्रबन्धक का होता है। निदेशक अपनी जांच के समय झूठे खम्भों का पता लगा सकता है तथापि खान के प्रति दिन के काम में जो गलतियां होती हैं उनके सम्बन्ध में वह कुछ नहीं कर सकता है। खान अधिनियम के अधीन दंड में वृद्धि कर दी गयी है। कुछ दिन पूर्व जो विशेष सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था उसने इस बात पर जोर दिया था कि सभी को सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक होना चाहिये। आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में सुरक्षा के सम्बन्ध में काफी सुधार होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में एक उच्च शक्तियुक्त समिति नियुक्त होनी चाहिये। वस्तुतः श्रमिकों को उचित प्रतिकर न देना पड़े इस कारण खान मालिक लोग उनकी लाशों को भी बदल देते हैं, अतः मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पृथक चर्चा होनी चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रादेशिक निरीक्षक या खानों के उपमुख्य निरीक्षक के जांच के समय कोई कार्मिक संघ का प्रतिनिधि भी उपस्थित था या नहीं?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैंने इस बात का पता नहीं लगाया है। मैं इस सम्बन्ध में पता लगाने का प्रयत्न करूंगा।

सभा का कार्य

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : पांच बजे सायं से अशोक होटल पर आधे घंटे की चर्चा होनी निश्चित हुई है। राष्ट्रपति भवन में एक उपाधि वितरण समारोह है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त चर्चा ५ बजे के स्थान में ४॥ बजे से प्रारम्भ की जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद इस प्रकार के समारोहों के कारण स्थगित नहीं हो सकती है। जो समारोह में भाग लेना चाहें वे भाग ले सकते हैं।

उड़ीसा विनियोजन संख्या २) विधेयक, १९६१

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोजन प्राधिकृत करने वाले विधेयक के पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक के पुरस्थापित करने की **अनुमति** दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

विधि व्यवसायी विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री हजरतवीस द्वारा २६ अप्रैल १९६१ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

"कि विधि व्यवसायियों सम्बन्धी विधि को संशोधित और संक्रोकित करने तथा विधि व्यवसायी परिषद् (बार काउंसिल) तथा एक अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ (आल इण्डिया बार) स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : संयुक्त समिति ने विधेयक में जो परिवर्तन और संशोधन किये हैं वे बहुत उपयुक्त हैं तथापि विधेयक में और अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है।

सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हमारी न्याय व्यवस्था और प्रक्रिया में इस प्रकार परिवर्तन किये जायं कि वह समाज की बदलती हुई रूप रेखा के अनुरूप हो। तथापि इस पहलू पर विधि मन्त्रालय या विधि आयोग ने उपयुक्त ध्यान नहीं दिया है।

स्वयं गांधी जी ने वर्तमान विधि व्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहा था कि यह प्रणाली काफी शोषक और पीड़क है। निम्नतम स्तर में इस प्रणाली ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है जो कि बहुत दूषित और बेइमानी से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि विधि मन्त्री इस स्तर पर सुधार करने का प्रयत्न करें।

जिले में वकीलों की क्या अवस्था है ? वहां के वकील मजिस्ट्रेट और पुलिस आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं।

जिला स्तर पर अधिकांश राज्यों में यह स्थिति है कि कनिष्ठ वकीलों को केवल मद्य निषेध के मामलों पर निर्भर रहना पड़ता है। लोग विधि को अध्ययन केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि उनको

---

†मूल अंग्रेजी में

अच्छी शिक्षा या अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकेगी। आज भी विधि शिक्षा की यही हालत है। वस्तुत: हमें देखना चाहिये कि निम्नतम स्तर पर न्याय की क्या अवस्था है। आजकल की विधि प्रणाली का सबसे खराब पहलू यह है कि मुकदमेबाजी का वातावरण तैयार किया जाता है लोग उसमें अपना धन समय और शक्ति बर्बाद करते हैं। हमें चाहियें कि हम इसके स्थान में झगड़ों का निपटारा करने का प्रयत्न करें। यदि निम्नतम स्तर पर पंचायती फैसले या किसी अन्य प्रकार से झगड़ों के निपटाने का प्रयत्न किया जायेगा तो बहुत से मुकदमों का फैसला न्यायालय से बाहर ही हो जायेगा और समय और धन की बचत हो जायेगी।

सभी व्यक्तियों को वकील बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कम से कम कुशलता और व्यवसायिक अनुशासन बनाये रखने के लिये कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने अनिवार्य हैं।

वकालत शिक्षा का वर्तमान स्तर बहुत असन्तोषजनक है। इसलिये जो वकील निकलते हैं वे अपने व्यवसाय को प्रतिष्ठा देने में समर्थ नहीं होते हैं। अत: सबसे निचले स्तर पर ही उनके चुनाव के लिये कोई तरीका अख्तयार करना चाहिये।

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ट** (अल्मोड़ा) : विधेयक का उद्देश्य विधि व्यवसाय में एकरूपता तथा सुदृढ़ता लाना है। इसलिये विधि मन्त्री बधाई के पात्र हैं। तथापि विधेयक के खंड २४ से यह ज्ञात होता है कि हजारों व्यक्तियों को राज्य की एडवोकेट सूची में शामिल नहीं किया गया है, इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो विस्थापित हैं और जिन्होंने सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करने के पूर्व वकालत की थी।

वर्तमान विधि के अधीन वे नौकरी छोड़ने पर वकालत कर सकते हैं। इस विधेयक के द्वारा उनके अधिकारों को छीनना उचित नहीं है। इससे विधेयक का प्रयोजन असफल हो जायेगा।

उच्च न्यायालयों की सूची में जिन एडवोकेटों के नाम हैं उन्हें स्वत: ही सूची में शामिल कर लिया जाय। उनके लिये पुन: आवेदन करने का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। उन्हें शुल्क (कोर्ट फीस) देने के लिये बांध्य न किया जाय।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रवर समिति ने इस बिल में जैसा कि सदन में पहले पेश किया गया था, उसमें काफी संशोधन कर दिया है और उनका मैं स्वागत करता हूं। इसमें यह एक प्रयत्न है कि सारे देश के लिये एक तरह का ढांचा वकीलों का हमारे वकालत करने वालों का जो कि अदालतों में काम करते हैं, उनका कायम किया जाय। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन जहां पर संयुक्त प्रवर समिति ने इसमें कई परिवर्तन ऐसे किये हैं जिनका कि स्वागत किया जाना चाहिये, उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वकीलों के रास्ते में रुकावटें डाल सकती हैं और उनकी तरफ इस सदन का ध्यान जाना चाहिये।

खास तौर से एडवोकेट बनने के लिये जो इस बिल में व्यवस्था की गई है कि नये लोगों को बार कौंसिल को २५० रुपये बतौर एनरोलमेंट फीस देनी पड़ेगी। अब उसके लिये कानून मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि इसमें कानूनी रुकावट है इसलिये वह इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते कि स्टाम्प ड्यूटी उन लोगों से न ली जाय जो कि बार कौंसिल में फीस दे चुके होंगे। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने सरकार कम ध्यान इस ओर खींचा है और बतलाया है कि वास्तव में कानून में कोई इस तरीके की रुकावट नहीं है और यदि कानूनी रुकावट हो भी तो सिर्फ दो दृष्टिकोण रह जाते हैं। अब कानून मन्त्री महोदय कहते हैं कि कानूनी रुकावट हो तो भी वह उसके

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

बारे में इस वक्त कोई कदम नहीं उठाना चाहते, कोई कानून में व्यवस्था नहीं करना चाहते। अदालत में बाद में जाकर कोई टैस्ट केस लड़ कर इस बात को तय किया जा सकता है कि राज्यों को यह अधिकार है कि वह एडवोकेट्स से स्टाम्प ड्यूटी ले सकते हैं अथवा नहीं। मेरा कहना यह है कि टैस्ट केस अगर लड़ना है तो वह जरूर लड़ना चाहिये लेकिन यह पार्लियामेंट इस तरीके की व्यवस्था अभी कर दे कि कोई भी राज्य किसी ऐडवोकेट से स्टाम्प ड्यूटी नहीं ले सकेगा सिर्फ २५० रुपये की एनरोलमेंट फीस की जो व्यवस्था की है वही सिर्फ ले सकेंगे ; अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी राज्य ले सकता है अथवा नहीं, यह बाद का प्रश्न जिस पर कि बाद में विचार किया जा सकता है।

मैं कहना चाहूंगा कि वह इस सुझाव पर पुनर्विचार करें कि क्या यह उचित नहीं होगा कि स्टाम्प ड्यूटी को बन्द करने के लिये इस कानून में व्यवस्था कर दी जाय। कोई भी राज्य स्टाम्प ड्यूटी वसूल न कर सके। अब स्टाम्प ड्यूटी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। कहीं पर वह ५०० रुपये ली जाती है और कहीं कुछ ली जाती है और यदि यह स्टाम्प ड्यूटी देने की व्यवस्था बनी रहती है तो उसके माने यह होंगे कि नये लोगों को इस पेशे में प्रवेश पाने में बहुत दिक्कत होगी। ५०० रुपया तो उसे स्टाम्प ड्यूटी का देना होगा और २५० रुपये जैसी कि इस बिल में व्यवस्था है बार कौंसिल को देना पड़ेंगे। इस तरीके से शुरू में ही जो कोई भी इस पेशे में प्रवेश करेगा उसे ७५० रुपये निश्चित रूप से देने पड़ेंगे। ला कमीशन ने भी इसकी चर्चा की है कि किसी दूसरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है और इसलिये यह व्यवस्था हटनी चाहिये और यह स्टाम्प ड्यूटी लेने का अधिकार राज्य को नहीं रहना चाहिये। सिर्फ यह एनरोलमेंट फीस बार कौंसिल में ली जानी चाहिये। लेकिन २५० रुपये की जो यह एनरोलमेंट फीस लेने का सवाल है तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की वर्तमान आर्थिक दशा में यह बार कौंसिल द्वारा २५० रुपये की फीस लेना कुछ उचित नहीं है। अब इस २५० रुपये की फीस लेने के पक्ष में सरकार की ओर से दलील यह दी जाती है कि अगर बार कौंसिल को व्यवस्थित रूप से चलाना है, सुविधाजनक रूप से चलाना है तो बार कौंसिल के पास फंड्स रहने आवश्यक हैं। अब अगर आप बार कौंसिल के लिये फण्ड्स की व्यवस्था चाहते हैं तो मेरा अपना यह खयाल है कि २५० रुपये के बजाय १२५ रुपये या १०० रुपये अगर आप एनरोलमेंट फीस कर दें तो अधिक लोग इसमें शामिल होंगे और सम्भवतः आपको जितना २५० रुपया लेकर फण्ड मिल सकता है उससे अधिक मिल सकेगा। इस तरह से इस फीस को रखने में सरकार का जो इरादा है और जो उद्देश्य है वह १०० रुपया और १२५ रुपया रख कर अधिक हद तक पूरा हो सकता है और फण्ड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और यह फीस १०० रुपये या १२५ रुपये रक्खी जाय। २५० रुपया रख कर बहुत से अन्य लोगों को हम इस पेशे में प्रवेश पाने से वंचित कर देंगे।

मैं श्री खाडिलकर के इस सुझाव का विरोध करना चाहता हूं कि कोई इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि कोई सेलेक्टेड टैस्ट हम लागू कर सकें और किन्हीं लोगों को इस पेशे में आने से रोक दें। मैं समझता हूं कि आज की पृष्ठभूमि में कोई इस तरह का टैस्ट रखना, कोई जांच रखना जिससे कुछ ही लोग इस वकालत के पेशे में आ सके, यह उचित नहीं होगा। वैसे ही वकालत के पेशे में जो लोग डट नहीं सकते वे कुछ दिन बाद हट कर चले जाते हैं और दूसरे पेशे में चले जाते हैं। यह वकालत का पेशा खुद इस तरह का काम है कि जिसमें एफिशिएंसी न हो, अपना काम करने की शक्ति न हो और इस संगठन की उसे सही जानकारी न हो तो वह इस पेशे में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई भी सुझाव विरोध करने

लायक है जिसमें यह कहा जाय कि कोई सेलेक्टेड टैस्ट होना चाहिए और हर एक आदमी को वकालत के पेशे में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने १० साल, ५ साल या २ साल तक इस कानून बनने से पहले प्लीडर या वकील की हैसियत से वकालत कर ली है और उन्होंने जितना रुपया लेना चाहिए उतना वह राज्य सरकार को दे चुके हैं तो ऐसी हालत में अब उनको ऐडवोकेट बनाते वक्त कोई १२५ या २५० रुपये की फीस उनके लिए रखना ठीक नहीं है । उनसे अब कोई फीस नहीं लेनी चाहिए । एक इस तरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जिस दिन यह बिल ऐक्ट बनेगा उस दिन ऐसे लोग जो कि वकालत कर रहे होंगे जो कि प्लीडर या वकील होंगे उन्हें अपने आप ऐडवोकेट मान लिया जायगा । उन्हें किसी फीस को देने की आवश्यकता नहीं होगी । जो लोग अब तक वकील या प्लीडर की हैसियत से काम करते रहे हैं उन्होंने १० या २० साल में जब से कि वह काम कर रहे हैं, उससे ऐडवोकेट बनने की फीस लेनी उचित नहीं है क्योंकि वह जितना रुपया ऐडवोकेट बनने के लिए देते उससे ज्यादा रुपया वह दे चुके हैं । ऐसी सूरत में ऐडवोकेट होने के लिए और अधिक पैसा मांगना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । इसलिए जो लोग प्लीडर या वकील की हैसियत से कानून लागू होते समय काम कर रहे हैं उनको तो अपने आप ही बिना किसी फीस के दिए हुए ऐडवोकेट मान लेना चाहिए ।

ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी ने भी इस पर खूब विचार किया और अपनी राय प्रकट की है । सदन में भी इस बारे में बहुत गरमागरम चर्चा हुई है । डुएल सिस्टम जो कलकत्ते और बम्बई में चल रहा है वह क्या लोगों के रास्ते में रुकावट नहीं डालता है और क्या कुछ लोगों के निहित स्वार्थ कायम नहीं करता है ? सरकार इस सुझाव पर विचार करे कि क्या हम कलकत्ते और बम्बई में जो डुएल सिस्टम है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं ? कुछ लोगों के निजी स्वार्थ हो गये हैं और उनके कारण ही इस डुऐल सिस्टम को कायम रखने की बात की जा रही है । दरअसल अब कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं रह गई है कि यह जो बम्बई और कलकत्ते में डुऐल सिस्टम है वह वहां पर कायम रहे ।

कल सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने वकीलों द्वारा ली जाने वाली फीस का जिक्र किया था । अब चूंकि वकीलों की फीस के बारे में कोई निश्चित सीमा नहीं है इसलिए उसमें बहुत सी गड़बड़ हुआ करती है । अब कमजोर मुव्वकिल ज्यादा फीस होने की वजह से अच्छे वकील अपने लिए नहीं रख सकते हैं । मैं चाहता हूं कि कोई न कोई इस तरीके की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, चाहे तो राज्य उसमें बीच में दखल दे या कोई कानून की शक्ल हो जिससे कि वकीलों की और ऐडवोकेट्स की फीस की कोई सीमा बांधी जा सके । आज देखने में यह आता है कि बड़े वकीलों को अगर चैक से पेमेंट किया जाय तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं लेकिन अगर कैश की सूरत में पे किया जाय तो कम पैसों में ही काम चल जाया करता है । अब यह इस वजह से होता है कि वे कुछ पैसा इनकमटैक्स देने से बचा सकें । मैं समझता हूं कि इस तरह से एक भ्रष्टाचार उस वर्ग द्वारा किया जाता है जिस से कि आशा की जाती है कि वह देश को नेतृत्व देंगे और देश के नेता उसमें से निकलेंगे । अब आप ही सोचिए कि ऐडवोकेट्स और वकील लोग ही जब इस तरह की गड़बडी करें और इनकमटैक्स की चोरी करने का प्रयत्न करें तो उनसे कैसे इस बात की आशा की जा सकती है कि वह मुल्क को सही नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे और देश का सही मार्गदर्शन कर सकेंगे ? इसलिये इस कानून में कोई इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस से इस सम्बन्ध में कोई सीमा बांधी जा सके ।

जहां तक कानून की शिक्षा का सवाल है, मैं समझता हूं कि ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी ने इस विषय की ओर काफ़ी ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी शिक्षा के बारे में जो व्यवस्था की जाने की है,

[श्री ब्रज राज सिंह]

वह समय के अनुसार काफ़ी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ सरकार का अधिक ध्यान जाये और इस तरह की व्यवस्था हो कि कानून पढ़ने वाले लोग वास्तव में कानून के पंडित बन सकें और उन्हें न सिर्फ़ अपने राष्ट्र के कानून का बल्कि संसार के दूसरे देशों के कानूनों का भी अच्छा ज्ञान हो। कानून की शिक्षा के इस तरह के केसिज़ तैयार हों कि वे लोग आज की पृष्ठभूमि में दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की जा रही है, वह संतोषजनक नहीं होगी और मैं चाहूंगा कि उस को अधिक संतोषजनक बनाये जाने का प्रयत्न किया जाये।

मैं आशा करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान का जो यूनिफ़ाइड बार-सम्मिलित बार-बनाया जा रहा है, उस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आयेंगी और उस में ऐसी कोई राजनीति व्याप्त नहीं हो जायेगी, जिस की अक्सर लोग आशंका करते हैं। हम देखते हैं कि चुनी हुई संस्थाओं में गुटबन्दी, ग्रुपबन्दी और पार्टीबाज़ी चला करती है। मैं आशा करता हूं कि राज्यों में या आल-इंडिया स्तर पर जो बार कौंसिल बनेगी, उस में इस तरह की गुटबन्दी नहीं होगी और अगर होती है, तो सरकार उस पर निरीक्षण रखेगी और यह देखेगी कि कहीं भी गुटों के आधार पर यह बार कौंसिल न चले, जिस से उस का लक्ष्य कहीं पीछे पड़ जाये और पूरा न हो सके।

एक और बात की तरफ ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी ने ध्यान दिलाया है और मैं भी उस को दोहराना चाहता हूं। वकालत के पेशे में कुछ लोग, कुछ एडवोकेटस, ऐसे होते हैं, जिन को काम नहीं मिलता है, जब कि कुछ को बहुत अधिक काम होता है, जिस को वे संतोषजनक रूप से और उस के साथ न्याय करते हुए पूरा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए—चाहे वह लोगों को इकट्ठा कर के हो, फ़र्म या ग्रुप बना कर हो, जैसे भी हो—कि जो लोग इस पेशे में प्रवेश पाते हैं, उन को कुछ न कुछ काम मिल सके, ताकि उन की रोज़ी का गुज़ारा हो सके।

बहुत दिन तक इस पेशे में काम करते रहने के बाद जो लोग असमर्थ और अक्षम हो जाते हैं, जिन में काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है, उन के लिये भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जिस से ऐसा न हो कि ज़िन्दगी के आखिरी दिनों में, जब कि वे कोई काम नहीं कर सकते हैं, वे अपना गुज़ारा न कर सकें। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करेगी और इस सम्बन्ध में कोई फंड कायम करने की कोशिश करेगी।

अगर मोटे तौर से देखें, तो यह बिल स्वागत करने योग्य है, लेकिन अगर कुछ बातों पर, जिन की तरफ़ मैं ने इस सदन का ध्यान दिलाया है, सरकार पुनर्विचार कर के कोई निश्चय करे, तो मैं समझता हूं कि इस को और भी संशोधित, उपयोगी और अच्छा बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : इसमें सन्देह नहीं कि विधि व्यवसाय बहुत ऊंचा और प्रतिष्ठित व्यवसाय है। तथापि आज हम इस व्यवसाय को सच्चे रूप में नहीं अपना रहे हैं। किसी भी विधि जीवी परिषद ने यह प्रयत्न नहीं किया है कि इस व्यवसाय में जो बुराइयां घुस गयी हैं उन्हें दूर किया जाये। स्वायत्तता के नाम पर हमें विधि व्यवसायी परिषद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल नहीं किया है। मेरे विचार से इन्हें बने रहने देना चाहिये।

जहां तक विधि व्यवसायियों के स्तर को ऊंचा करने का प्रश्न है इस पर हमें गहन विचार करना चाहिये। वस्तुतः एक युवक वकालत शुरू करते ही तो पैसा कमाना शुरू नहीं कर देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसे पांच साल तक तंगी का समय गुजारना पड़ता है। पहले पहल तो उसे काम ही नहीं मिलता। जब ऐसी हालत हो जाती है तभी आचार विचार खराब होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में हमें खराबी को जड़ ही से पकड़ना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि जब तक एक वकील आयकर देने योग्य न हो जाय या पांच साल तक सरकार उसे कम से कम १५० रुपये मासिक दे ताकि उसका निर्वाह होता रहे। इससे स्तर में काफी सुधार होगा।

मैं समझता हूं कि कलकत्ता और बम्बई में जो दोहरी प्रणाली चल रही है उसे समाप्त कर दिया जाये क्योंकि आज के युग में यह चीज व्यावहारिक नहीं है।

†**श्री शंकरैया** (मैसूर) : इस विधेयक के लागू होने से निश्चित रूप में हालात में काफी सुधार होगा। परन्तु हमें वास्तविक सुधार देश की न्यायिक व्यवस्था में ही होना चाहिये। हमारे देश के न्यायाधीश अपने काम में बड़े दक्ष हैं किन्तु अभी भी निर्णयों में विलम्ब होता है और मुकदमेबाजी बड़ी मंहगी पड़ती है। इस कारण इन बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार को आवश्यक प्रयास करने चाहिएं।

यह अच्छी व्यवस्था है कि बार कौंसिलें अपंग वकीलों की सहायता किया करें परन्तु इसके साथ ही उनका यह कर्तव्य भी होना चाहिए कि निर्धन तथा अर्ह व्यक्तियों को वे विधि सम्बन्धी मंत्रणा भी मुफ्त दिलाने का उद्योग करें।

वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए २५० रुपये का शुल्क रखा गया है। यह शुल्क बहुत ज्यादा है। नये वकीलों को इस कानून के अनुसार पहले तो प्रशिक्षण लेना होगा और फिर परीक्षा देनी होगी। इसलिए नये वकील शुरू में २५० रुपये की भारी रकम कदापि अदा न कर सकेंगे। इस शुल्क को अवश्यमेव घटाया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात वस्तुतः ठीक जंचती है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : हमारे अधिकार की यह बात नहीं है। यह राज्यों का ही मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा के समस्त सदस्यों की यह इच्छा है कि शुल्क की राशि कम की जाये इसलिए माननीय मंत्री उन्हें लिखें।

†**श्री हजरनवीस** : आपके आदेश का पालन होगा।

†**श्री शंकरैया** : २५० रुपये शुल्क रखने से बहुत से लोग वकालत का काम शुरू न कर सकेंगे। इससे भी देश को काफी हानि होगी। आज तो वकालत पास करते ही लोग काम शुरू कर देते हैं और कानून को अच्छी तरह सीख लेते हैं। फिर बाद में वे लोग नौकरियां कर लेते हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्ति हर काम में अच्छे रहते हैं। यदि कालेज से सीधे ही नौकरी कर ली जाये तो अनुभव उतना नहीं रहता। इसी के साथ मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि वकालत में जाने के लिए परीक्षा न रखी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वरिष्ठ वकील, छोटे वकील से कभी शुल्क लेते हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : इंग्लैण्ड में इस तरह की प्रथा है पर हमारे यहां शायद ऐसा नहीं है। इस प्रथा में कोई बुराई तो नहीं। इंग्लैण्ड के अच्छे चैम्बर १०० गिनी तक की फीस लेते हैं। मेरे विचार में इन सारी बातों को बार कौंसिलों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज सदन के सामने उपस्थित है उसके लिये काफी साधुवाद दिया गया। कि बहुत दिनों का अपेक्षित विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया गया। इस सम्बन्ध में मुझे दो चार शब्द कहने हैं। क्या इस विधेयक की उतनी आवश्यकता थी जितनी कि देश के सामने आज और विधेयकों की आवश्यकता है। अभी हाल में हमारे एक हाई कोर्ट के जज ने बड़े सुन्दर शब्दों में हमारे न्याय के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि इस देश में न्याय उन्हीं को सुलभ हो सकता है जो अशोका होटल में रह सकते हैं। यानी आज इस देश में गरीबों को न्याय सुलभ नहीं है। तो उचित तो यह था कि सरकार पहले इस पर विचार करती और कांस्टीट्यूशन में भी यह रखा गया है कि न्याय को सुलभ करेंगे और सब के लिए सुगम करेंगे और न्याय के लिए चार्जेज नहीं लगेंगे, लेकिन आज कदम कदम पर न्याय के लिए खर्चा करना पड़ता है और गरीब तो न्याय के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तक जाना तो मुहाल है हाई कोर्ट तक ही जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। तो आवश्यकता तो यह थी कि पहले इस पर विचार करते। यह प्रश्न सदन के सामने और ला मिनिस्टर के सामने भी यहां लाया गया कि गरीबों को राहत देने के लिये या सही कानूनी सलाह देने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया होता। कुछ राज्यों में इस दिशा में कुछ किया गया है लेकिन फिर भी कोर्ट फीस आदि की बड़ी खर्चीली व्यवस्था है और गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम आज यह विधेयक तो पास करेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस पर भी विचार करें कि हम जनता को न्याय पाने में सहूलियत दें और न्याय को सस्ता बनावें जिसके बिना जनता में त्राहि त्राहि मच रही है। और जब तक यह खर्चीली व्यवस्था कायम है तब तक उन गरीबों के लिये जो कि पैसा न होने के कारण वकील नहीं कर सकते उनको मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था की जाए।

इसके बाद मैं आपका ध्यान स्टाम्प ड्यूटी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी आपने पूछा कि क्या कोई स्टाम्प ड्यूटी इसके अलावा भी स्टेट्स में ली जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने इस पर विचार करते हुए कहा है कि यह जो ड्यूटी ली जाती है यह डाउट-फुल है। प्रवर समिति की रिपोर्ट में लिखा है :

> "यद्यपि कानून में ऐसी व्यवस्था की मान्यता संदिग्ध होगी तथापि सरकारों को इस बात पर राजी किया जाय कि फीस के अलावा स्टाम्प शुल्क अनावश्यक है।"

मेरा सबमिशन है कि अगर वकीलों के प्रवेश के लिए स्टाम्प ड्यूटी देना डाउटफुल है तो इस डाउट को रिमूव किया जाना चाहिए। इस विधेयक को लाने से पहले इस शक को दूर कर लेना चाहिये था, आपको इसके लिए एडवोकेट जनरल या एटारनी जनरल की सलाह लेनी चाहिए थी ताकि यह शक दूर किया जा सकता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें शक कोई नहीं है। यह लीगल प्राफेशन कानकरेंट लिस्ट में आता है। डाकूमेन्ट्स पर स्टाम्प ड्यूटी लेने का कुछ अधिकार स्टेट्स को है और कुछ सेंटर को भी है। लेकिन वकीलों को प्रेक्टिस करने के लिये जो सनद मिलती है क्या वह कोई डाकूमेंट है, या सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है। डाकूमेंट तो वह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसको और डाकूमेंट्स की तरह अदालत में दाखिल नहीं करना होता। वह तो एक लाइसेंस है। तो इस फी को लाइसेंस फी कहा जा सकता है न कि स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी की परिभाषा दी हुई है स्टेट लिस्ट में और सेंटर की लिस्ट में भी। लिस्ट १ की एंट्री नम्बर ९१ में दिया हुआ है :

> "विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, हुंडियों आदि के बारे में स्टाम्प शुल्क की दरें।"

और लिस्ट २ की एंट्री नम्बर ६३ में इस प्रकार दिया गया है :

"अन्य दस्तावेजों के लिए स्टाम्प शुल्क की दरें।"

लिस्ट २ की एंट्री नम्बर ६० में दिया हुआ है :

"व्यवसायों तथा रोज़गार पर कर"

लेकिन यह कोई टैक्स तो है नहीं। तो फिर यह रुपया किस लिये लियाजा ता है। डाकूमेंट यह है नहीं। अगर इसको लाइसेंस माना जाये तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लग सकती या इस पर ड्यूटी लगनी चाहिये यह तै करना होगा। यूनियन लिस्ट में बिल्स, हुंडीज़ वगैरह पर स्टाम्प ड्यूटी के लिये प्रावीजन है। लेकिन उसमें यह नहीं आता। तो फिर यह जो स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है यह किस में आती है। लीगल और मैडीकल प्राफेशन स्टेट लिस्ट में भी आता है और कानकरेंट लिस्ट में भी आता है। हम अब कानून बना रहे हैं लीगल प्राफेशन के लिये कि कौन इसमें रहे और कौन न रहे और कैसे रहे। तो मेरा निवेदन है कि जो कानून बनाया जाय वह समुचित रूप से सर्वांगीण होना चाहिए। आपने बार काउंसिल के लिए तो २५० रुपये रखा लेकिन गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए या नहीं इस पर आप डाउटफुल हैं। तो इस शक को दूर करना चाहिये। अब आप कानून बना रहे हैं कि कौन प्रैक्टिश करेगा और कौन नहीं करेगा। हम देखते हैं कि चारटर्ड एकाउटेंट भी प्रैक्टिस करते हैं। उनको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। और लोग भी दूसरे व्यवसाय करते हैं। इसी तरह यह भी एक व्यवसाय है। अभी कल हमने इसेंशियल कमोडिटीज़बिल पास किया कि जो परमिट ले उससे सीक्योंरिटी डिपाजिट लिया जाये। तो क्या यह हमसे सीक्योरिटी डिपाजिट लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करके इसको निश्चित किया जाए। जब यह इस हाउस में से राज्य सभा में जाए तो इस पर विचार करके इसको कम्पलीट कानून बनाया जाए। मैं चाहता हू कि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारों से सिफारिश करे— आपने कहा है कि हम लिखेंगे— आप उनसे इस्तदुआ करें कि इस स्टाम्प ड्यूटी को माफ करो और साथ ही आप देख लें कि आपके अधिकार मे यह आती है या नहीं। मेरे ख्याल से तो यह आपके अधिकार में आती है।

अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस दफा २४ पर मुझे कुछ ऐतराज है। हमारे कानून मंत्री खुद एक बैरिस्टर हैं। कल एक हमारे बैरिस्टर मित्र श्री गुप्ता ने भी इस का विरोध किया और मैं उनका समर्थन करता हूं। इ समें आपने दिया है कि एडवोकेट के एनरोलमेंट के कौन कौन अधिकारी हैं। "वे व्यक्ति जिन्हें राज्य में एडवोकेट भर्ती किया जा सकता है।" इसमें आपने बैरिस्टरों को छूट दी है। ठीक है छूट दीजिए, लेकिन क्या हमारी यूनीवरसिटियों से जो डिग्री प्राप्त वकील हैं उनको भी इंगलैंड में इस तरह की छूट है। आज हम इंगलैंड की मातहती में नहीं हैं। किसी समय अलबत्ता हमारा देश इंगलैंड के अधीन था। उस समय हमारे कुछ भाई इंगलैंड में जाकर बैरिस्टरी की ट्रेनिंग लेते थे और वहां से बैरिस्टर बन कर लौटते थे। लेकिन आज जो हालात बदल चुके हैं और हम और इंगलैंड दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं और एक दूसरे के मातहत नहीं हैं। हम एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसी हालत में मेरी यह चीज समझ में नहीं आती कि वहां का बैरिस्टरी पास किया हुआ व्यक्ति यहां तो बैरिस्टरी करने के लिए इनटाइटैल्ड है लेकिन हमारे वहां का ला ग्रेजुएट वहां इंगलैंड में बैरिस्टरी करने के लिए इनटाइटैल्ड नहीं है .....

†**श्री अ० कु० सेन**: इस दिशा में मैं शीघ्र ही घोषणा करूंगा।

श्री सिंहासन सिंह : अब अगर यह हो गया है तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जैसा कि आप कहते हैं अगर ऐसा हो गया है तो मैं अपनी उस आपत्ति को वापिस लेता हूं लेकिन जब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

तक वह नहीं होती है तब तक के लिए यह आपत्ति वहां पर मेरी मौजूद है। हमारे में समता हो विषमता न हो और इसलिए यह इंगलैंड जाने या न जाने की विषमता और वहां से पास करने या न करने की विषमता नहीं रहनी चाहिए और इसको हटाना चाहिए और समता आनी चाहिए। दूसरी बात इस सम्बन्ध में एक और है जिसकी कि ओर मैं इशारा करना चाहता हूं और वह क्लाज नम्बर २४ का पार्ट डी० है जो कि इस प्रकार है :—

"उसने विधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और ऐसे प्रशिक्षण के बाद परीक्षा भी पास कर ली है।"

वकालत की सनद हासिल कर लेने के बाद भी उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग आज भी है लेकिन कोई ऐग्जामिनेशन नहीं है। अब आप यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रख रहे हैं जिसका इम्तिहान पास करने के बाद वह इनटाइटिल्ड हो सकेगा। लेकिन इसके बरखिलाफ जो इंगलैंड से बैरिस्टरी पास कर आये हैं उनके लिए इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का इम्तिहान पास करने की जरूरत नहीं है ...

†**श्री अ० कु० सेन** : परन्तु यह खंड उस व्यक्ति पर लागू न होगा जो बैरिस्टर है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले ली है तो मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। मेरा तो ऐतराज यह है कि इन दोनों के बीच में यह फर्क क्यों किया जा रहा है।

आजकल कानून की जो शिक्षा मिल रही है वह बड़ी अधूरी है, और सस्ती सी हो गई है और मंहगी भी है। पार्ट टाईम टीचर्स आते हैं और पार्ट टाइम विद्यार्थी रहते हैं। अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं वे भी पार्ट टाईम होते हैं और जो पढ़ने वाले हैं वह भी पार्ट टाईम होते हैं और जाकर प्रौक्सी से इम्तिहान पास कर लेते हैं। ऐसे आदमियों की संख्या आप बढ़ाते जा रहे हैं और हो यह रहा है कि जिन्हें और कोई प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती एम्पलायमेंट नहीं मिलता वह इसमें चले आते हैं। टीचरी और वकालत यह दो रास्ते ऐसे लोगों के वास्ते खुले हुए हैं।

बिल में यह क्लाज रक्खा गया है कि इस वकालत के पेशे में उन्हीं युनिवरसिटियों से डिग्रीयाफ्ता विद्यार्थियों को ऐडमिट करेंगे जिनको कि बार कौंसिल रेकगनाइज करेगी। अब बार कौंसिल को रेकगनाइज करते वक्त यह देखना चाहिए कि युनिवरसिटियों और कालिजों में लीगल टीचिंग की क्या हालत हो गई है। अब मैं आपको बतलाऊं कि युनिवरसिटियों और कालिजों में यह लीगल टीचिंग एक विजनैस सा हो गया है, एक व्यवसाय सा हो गया है। दो, तीन प्रोफेसर्स पार्ट टाइम रख लिये जाते हैं और फीस की शक्ल में काफी रुपया मिल जाता है। काफी लोग फीस देने के लिए मिल जाते हैं और कई कालिजों की यह आमदनी का एक जरिया हो गया है। लड़के भी पार्ट टाईम बेसिस पर आते हैं। दिन भर काम करते हैं और फीस देकर पार्ट टाईम बेसिस पर इसमें भी नाम लिखा लेते हैं। अब मेरा निवेदन यह है कि वह वकालत की पढ़ाई पार्ट टाईम बेसिस पर नहीं चलनी चाहिए। पूरे तरीके से लोग जो आयें वे अध्ययन करें। यह जो आनरेबुल प्रोफैशन कहलाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अध्ययनशील पुरुष आयें और कायदे से इसकी पढ़ाई चले। मेरा विचार है कि आप इसका ख्याल रखेंगे। हर एक कालिज की ला डिग्री रेकगनाइज्ड नहीं है ....

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य गरीबों को वकालत पढ़ने का मौका नहीं देना चाहते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह: गरीबों को हम अवश्य अवसर देना चाहते हैं लेकिन वह पढ़ें तो सही। हमें चाहिए कि वह गरीब विद्यार्थी जो कि ला पढ़ना चाहते हैं उनकी फीस माफ हो जाये। यह सही बात है कि गरीब विद्यार्थियों के लिए अपना गुजारा चलाना मुश्किल है और मैं चाहता हूं कि ऐसे गरीब विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाये। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़ी गड़बड़ी चलती है प्रौक्सी से पास करके आ जाते हैं और ऐसे लोग बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। आज इसके कारण हमारे पेशे की कोई वकअत नहीं रह गई है और आज इतने आदमी पढ़ गये हैं कि आपस में एक होड़ हो गई है और होड़ होने से बड़ी गड़बड़ होती है .....

अध्यक्ष महोदय: बी० ए० पास करने के बाद उनको अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता है इसलिए वह पार्ट टाईम काम करते हैं और ला पढ़ते हैं। अब हमारे देश में ९० फीसदी लोग गरीब हैं।

श्री सिंहासन सिंह: मैं उस पर आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गरीबों की फीस माफ कर दी जाय और उनको अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिएं। अब मेरा तो कहना यह है कि आप यह कानून पास करके गरीबों को इस पेशे में आने से महरूम कर रहे हैं। अब आप ही देखिये पहले तो लोग २५ रुपया सालाना देकर वकालत पढ़ लिया करते थे। पहले स्टाम्प ड्यूटी २५ रुपया थी अब आप स्टाम्प ड्यूटी के लिए २५० रुपये लेंगे और ५०० रुपया राज्य सरकार लेगी। इस तरह से ७५० रुपये देकर उसको ऐडवोकेट बनना पड़ेगा। अब आपके इस कानून के पास होने के बाद कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा जो कि ऐडवोकेट न हो और ऐडवोकेट होने के लिए उसे ७५० रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। अब इसको इतना ऐक्सपेंसिव बना कर गरीबों को महरूम कर रहे हैं और उनका रास्ता आप बंद कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह २५० रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को आप कम करें। इतनी भारी स्टाप्प ड्यूटी रख कर आप गरीबों का एक तरह से रास्ता ही बंद किये दे रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय: उसको भी माफ कीजिये।

श्री सिंहासन सिंह: स्टाम्प ड्यूटी माफ हो ताकि गरीबों के लिए इस पेशे में आने का रास्ता बना रहे।

दूसरी बात यह है कि आप ने इस बिल में जो यह प्राविजन रक्खा है कि इस कानून के पास होने के दो वर्ष के अन्दर तक प्रैक्टिसिंग प्लीडर्स और मुख्तार को इस बात की छट दी गई है कि वह दो वर्ष के अन्दर अन्दर स्टाम्प ड्यूटी पे करके ऐडवोकेट्स बन जायं, वह हमारे देश की आर्थिक हालत को देखते हुए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों की तरफ ध्यान दें ...

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को बोलते हुए लगभग २० मिनट हो चुके हैं। उन्होंने १३–३० से बोलना शुरू किया था।

श्री सिंहासन सिंह: बस मैं आपकी आज्ञा से केवल एक मिनट और लेकर समाप्त किये देता हूं।

वकीलों की फीस के बारे में सदन में जो चर्चा हुई है कि वकील लोग फीस अधिक चार्ज करते हैं मैं भी उससे इत्तिफाक करता हुं। लेकिन इस राज्य में अधिक आमदनी पर तो रोक लगी हुई नहीं है, किसी की आमदनी पर रोक नहीं लगी हुई है। अब यह आमदनी पर रोक वकीलों से लगाया जाना शुरू किया जाय। इसके सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २२७ में है कि हाईकोर्ट वकीलों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

की फीस नियत कर सकते हैं और रूल्स में भी है। दीवानी के मुकद्दमे में ७ या साढ़े ७ फीसदी लेते हैं लेकिन वकील लोग आधी लेते हैं। खैर आप वकीलों की आमदनी पर सीलिंग करें मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां बड़ी आमदनी वालों की सीमा बांधी जाये और हाईकोर्ट को चाहिए कि २२७ आर्टिकल के अन्दर इसको साफ कर दें कि इससे अधिक कोई फीस नहीं लेवेगा लेकिन जहां मैक्सिमम लिमिट आप बांध रहे हैं वहां मिनिमम भी तय हो जानी चाहिए। अब वकीलों की कोई मिनिमम फिक्स नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रोवाइड होनी चाहिएं। अब जिस वकील को ऐडवोकेट होने के लिए सर्टिफिकेट दे दें उसके लिए कम से कम डिसैंट लिविंग का तो इंतजाम होना ही चाहिए और मैं तो कहूंगा कि सरकार उनको इसके वास्ते अगर जरूरी हो तो सबसिडी दे। उनको १५० या २०० रुपया महीना दें, कर्ज के रूप में सहायता दें ताकि वह अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपना धंधा कर सकें और वह छोटेपन से काम न करें। इसलिए जहां आप मैक्सिमम सीमा बांधें वहां मिनिमम भी प्रोवाइड करें ताकि कम से कम जो आदमी सही तरीके से इस पेशे में आने को तैयार हों वह यह तो जान लें कि इतना मिनिमम उनको मिलने वाला है। जब तक कि लाइयर की कोई स्टैंडिंग न हो उसके पास किताबें न हों और वकालत की दूसरी सामग्री न हो तो मुवक्किल उसके पास जाता नहीं है और उसका काम बनता नहीं है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट इसके वास्ते उसे लोन दे। इस व्यवसाय को भी आवश्यकतानुसार लोन देने की सरकार व्यवस्था करे और जो शख्स इस लीगल प्रोफैशन को अपनाना चाहता है सरकार उसको लोन दे ताकि वह सही तरीके से अपने व्यवसाय को प्रारम्भ कर सके।

†**श्री अ० कु० सेन** : इस बात के लिए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस विधेयक के बारे में सारे लोगों ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई है। वस्तुतः लोगों की खुशी स्वाभाविक भी है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये १२ वर्ष का समय हो गया है पर अभी तक हम देश की एक बार स्थापित न कर सके थे। ऐसा करना बड़ा आवश्यक था।

सब से पहले मैं श्री सिंहासन सिंह की इस बात का उत्तर दूंगा कि निर्धन मुकदमेबाजों की भी कुछ सेवा की जानी चाहिए। हमें निर्धनों से सहानुभूति है पर दुनिया में कहीं भी ऐसी कानूनी व्यवस्था नहीं है जहां मुफ्त मंत्रणा दी जाती हो। परन्तु अन्य देशों में निर्धनों की सहायता के लिए तरीके निकाले गये हैं। इसका यह मतलब नहीं कि सारा व्यवसाय ही खैरायती बना डाला गया है। वस्तुतः इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा तभी रह सकती है जब कि इसमें अच्छे और योग्य लोगों का आधिक्य हो---ऐसे लोगों का जो समृद्ध हों। ऐसे पेशे को हम सन्यासियों का पेशा नहीं बना सकते। ईमानदारी के लिए यह जरूरी है कि वकीलों की हालत ठीक रहे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो।

साम्यवादी देशों के वकीलों को भी धन मिलता है। उनको पक्षों से ही फीस मिलती है। रूस में एडवोकेट कालेज हैं हर शहर में। इनका संचालन एक एक निर्वाचित निकाय करती है। मुकदमेबाज कालेज में जाते हैं और सहायता के लिए वकील मांगते हैं। यदि वह किसी का नाम न लें तो कालेज जिस को चाहे वह मुकदमा सौंप दे। यदि पक्ष किसी का नाम लें तो उसे दे दिया जाता है। वरिष्ठ वकीलों की फीस वहां भी ज्यादा होती है किन्तु छोटे और बड़े वकीलों की फीस में वहां इतना अन्तर नहीं जितना कि भारत, ब्रिटेन या अमेरिका में है।

अधिकतम और न्यूनतम शुल्क का विनियमन कालेज द्वारा किया जाता है। किन्तु वे इस बात का ध्यान अवश्य रखते हैं कि सभी वकील अपना गुजारा अच्छी तरह से चलाते रहें। वहां

†मूल अंग्रेजी में

पर अपंग वकीलों आदि की सहायता के लिए कोई पृथक निधि नहीं है क्योंकि वहां किसी की हालत खराब नहीं है। वे वास्तव में उतने ही वकील हर साल लेते हैं जितनों की आवश्यकता रहती है। हमें भी इस देश में इसी तरह का विनियमन करना होगा। अतैव हमें वकालत के पेशे को आत्म-निर्भर बनाने का भरसक यत्न करना चाहिए। इंग्लैंड में ऐसी चीज की गयी है।

इसी के साथ निर्धनों की सहायता भी की जाती है परन्तु वह इस पेशे को सन्यासियों का पेशा बना कर नहीं बल्कि और तरीके से।

जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं तब से मैं सदा यही प्रयास करता रहा हूं कि निर्धनों की सहायता का कोई उपयोगी तरीका निकाला जाय। तरीका तो चाहे वह कैसा भी क्यों न हो पर हम उसे आदर्श कभी नहीं कह सकेंगे। अभी यह प्रश्न निरंतर असंबद्ध नहीं है इस कारण यह कहना ठीक न होगा कि वर्तमान विषय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

निर्धनों की सहायता की प्रणाली रुपये के बिना चल नहीं सकती। हम ने एक तरीका निकाला था जिसमें पैसा राज्य सरकारों तथा न्यायालयों आदि से प्राप्त होगा। हम ने यह निर्णय भी किया था कि बार कौंसिल का कुछ चंदा इस प्रयोजन के लिए रखा जाना चाहिए। यद्यपि इस राशि से अधिक कुछ न बनेगा तथापि वकीलों का अंश इसमें जरूर शामिल हो जायगा।

अभी यह सम्भव नहीं है कि कितनी रकम इस काम के लिए वस्तुतः आवश्यक होगी पर राज्यों की सदा यही मांग रही है कि कम से कम ५० प्रतिशत तक की सहायता केन्द्र से उन्हें अवश्य प्राप्त हो। विधि मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में भी यह चीज उठी पर अभी तक कोई चीज तय नहीं हुई है।

जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है अभी तो इसकी अपेक्षा इस्पात के कारखाने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं पर हमें न्याय के पहलू पर से भी दृष्टि नहीं हटानी चाहिए। वस्तुतः जहां जन साधारण को न्याय नहीं मिलेगा वहां आर्थिक उन्नति से भी कुछ ज्यादा न बनेगा।

इसका यह अभिप्राय नहीं कि मैं उद्योगों के महत्व को घटा रहा हूं। उद्योग भी अत्यावश्यक हैं किन्तु बुनियादी चीजों का अर्थात न्यायालयों की स्वतंत्रता, संसद् की प्रभुत्व सम्पन्नता आदि का अपना महत्व है। इन्हीं मूलभूत चीजों के लिए हम ने परिश्रम किया था। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब जनसाधारण को न्याय आदि में समानता मिलेगी और जनसाधारण की आवाज को सुना जायगा।

तब भी आज की प्राथमिकताएं भिन्न हैं। अंग्रेजों की शक्ति का रहस्य उनकी सुदृढ़ सेना नहीं थी बल्कि यह था कि उन्होंने कानून का पालन करना जान लिया था। जहां भी वह गये उसी प्रणाली को उन्होंने लागू किया। उनसे पहले तो राजाओं की अपनी इच्छा ही चला करती थी। मैं अपनी परम्परागत व्यवस्था की निन्दा नहीं करता। पर मुगलों के ह्रास के बाद शक्तिशाली राजाओं की इच्छा ही कानून थी। वह जो चाहते थे करते थे।

परन्तु जहां तक निर्धनों को विधि सम्बन्धी सहायता देने का प्रश्न है उसके बारे में बात सीधी है। हमारे साधन सीमित हैं और हमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। सामान्य रूप से इसकी इतनी भारी प्राथमिकता नहीं है पर मेरे विचार में इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे कोई माने या न माने पर मुझे कहने का हक है।

इंग्लैंड में हर तरह के मामलों में गरीबों की कानूनी सहायता करने की व्यवस्था है।

[श्री अ० कु० सेन]

दूसरी चीज यह है कि बैरिस्टरों को यहां भर्ती की आज्ञा दी जाय या नहीं । माननीय सदस्यों ने कहा कि क्या यह ठीक है जब हमारे एडवोकेटों से वैसा व्यवहार नहीं हो रहा । मैंने खुद यह बात उठायी थी और इंगलैंड वालों से बातचीत भी की है । उनका पत्र आया है । लार्ड एवरशेड ने लिखा है कि इंग्लैंड में बार के मामलों में न्यायाधीश काफी रुचि लेते हैं । मेरा भी यही विचार है कि बार में जितना हिस्सा वकीलों का है उतना ही न्यायाधीशों का क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए अनुपूरक हैं । अतः इंग्लैंड में हर इन में न्यायाधीश भी बार के सदस्य होते हैं । बार कौंसिल में भी वह काफी हिस्सा लेते हैं । लिंकन इन में लार्ड एवरशेड स्वयं खजांनची हैं और लार्ड डेवरिन दूसरी इन के खजानची हैं ।

दुर्भाग्य की बात है कि न्यायाधीशों ने ऐसा फैसला किया है कि वकील संघ के कार्यों से उन्हें कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । मैं बता चुका हूं कि यह कोई अच्छा निर्णय नहीं है । अगर न्यायाधीश वकील संघ के सदस्य नहीं होंगे तो वकील संघ राजनैतिक प्रभाव से बच नहीं सकेगा । इंगलैंड में भी यही बात है लेकिन वहां न्यायाधीशों का वकील संघ में भाग लेना इसलिये आवश्यक है कि वह इस संघ को राजनैतिक प्रभाव से बचा सकें ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

जहां तक मेरा अपना विचार है मैं चाहता हूं कि न्यायाधीश वकील संघ में भाग लें । और उनका वकील संघ में रहना आवश्यक भी है । मेरी सदैव से ही यह धारणा रही है कि वकील संघ तथा न्यायपालिका दो स्तम्भ हैं । न्यायाधीशों के कार्य के प्रति वकील संघ का भी कुछ उत्तरदायित्व है । मुख्य न्यायाधीश का भी यही विचार है कि न्यायाधीश वकील संघ में भाग लें । लेकिन हम इसके लिये न्यायाधीशों पर दबाव नहीं डाल सकते । संसद भी उन लोगों पर दबाव नहीं डाल सकती जो कि वहां जाना नहीं चाहते । हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसके द्वारा न्यायाधीशों का सम्मान बना रहेगा । श्री फ्रेंक एन्थनी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ नियमों में संशोधन कर देना चाहिये । भले ही ऐसा करने का अधिकार हमें हो लेकिन हम उस समय तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि न्यायाधीशों से इसमें संशोधन करने की अनुमति हमें नहीं मिल जाती ।

जहां तक हमारे वकील संघ में विदेशी वकील को लेने की बात है मैंने इस सम्बन्ध में लार्ड एवरशेड से बातचीत की उनका विचार है कि अच्छा तो यह होगा कि हमारे वकील संघ में ब्रिटिश वकीलों को काम करने का अवसर दिया जाये । मेरा अपना भी ऐसा विचार है कि यदि ऐसा हो गया तो दोनों देशों के बीच दोस्ती और भी अच्छी हो जायेगी ।

जब लार्ड एवरशेड यहां से वापस गये तो वह बहुत सन्तुष्ट थे उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि भारत के न्यायालयों में अभी तक ब्रिटिश पद्धति अपनाई जा रही है । उन्होंने यह भी कहा कि जिन वकीलों ने भारत में तीन वर्ष तक वकालत कर ली है वे ब्रिटेन में वकालत कर सकते हैं । इस प्रकार का नियम उनके यहां है । लेकिन उनकी एक शर्त यह है कि उन्हें कम से कम कुछ सीमित दिनों तक वहां वकील संघ में भोजनालय में खाना खाना पड़ेगा । मैं यह बता देना चाहता हूं कि वकील संघ के भोजनालय में बाहर खाना खाने के अपेक्षा सस्ता पड़ता है । यह बात ठीक है कि हमारे यहां कोई ऐसी शर्त नहीं है। उसका कारण यही है कि हमारे यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । हम ने भी इस विधान में यह व्यवस्था की है कि ब्रिटेन के जो वकील यहां वकालत करना चाहते हैं उन्हें अमुक अवधि तक ब्रिटेन में प्रशिक्षण लेना

चाहिये उस के बाद ही उन्हें यहां वकालत करने की अनुमति दी जायेगी । जहां तक भारतीय वकीलों का इंगलैंड में वकालत करने का सवाल है हम नहीं चाहते हमारे कनिष्ठ वकील वहां जायें । अतः तीन साल की शर्त मेरे विचार से ठीक ही है। अतः हमें प्रसन्न होना चाहिये कि यह बात बड़े सम्मानपूर्वक तय हो गई है अतः हमें इसको विशेष महत्व नहीं देना चाहिये । स्टाम्प तथा प्रवेश फीस का जहां तक सवाल है इस बारे में हमने कई बार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्टाम्प की बात तो राज्यों का मामला है । अतः इस मामले में हम उन्हें कोई निदेश नहीं दे सकते । अगर कोई यह समझते हैं कि स्टाम्प लगाना अवैध है तो वे इस मामले को न्यायालय में ले जा सकते हैं। यहां उसकी चर्चा करना व्यर्थ है । इसके बारे में हम यहां कोई निर्णय नहीं कर सकते । वैसे संयुक्त समिति के सदस्यों को मैंने यह आश्वासन दिया था कि जो कुछ हो सकता है वह मैं करूंगा । विधि मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया गया था वकील संघ की फीस के द्वारा ली जाने वाली फीस ५०० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । मेरा विचार है कि यह राशि उचित ही है । फिर इस फीस से प्राप्त होने वाली राशि में से कुछ राशि निर्धनों की सहायता के लिये अलग से रखी जायेगी। ऐसा प्रस्ताव उस सम्मेलन में पारित कर दिया गया था अब यह राज्य सरकारों के हाथ की बात है कि वे इसे कार्यान्वित करें। यह ठीक है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग एटाम्प फीस है । लेकिन यह बात अच्छी नहीं है । मैंने यह सुझाव दिया था कि अलग अलग राज्यों में एक समान स्टाम्प फीस होनी चाहिए । मैं आशा करता हूं कि राज्य विधि मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्प का सम्मान करेंगे और एक समान ही स्टाम्प फीस रखेंगे ।

कलकत्ता तथा बम्बई में सोलीसिटर प्रथा को चालू रखने का भी प्रश्न उठाया गया है । लेकिन मुकद्दमा लड़ाने वाली जनता की ओर से यह प्रश्न नहीं उठाया गया है । जनता ने कभी यह नहीं कहा कि यह प्रथा समाप्त कर दी जाये । बल्कि इस बारे में जांच करने वाले आयोगों के सामने सदैव ही उन्होंने कहा है कि इसे जारी रखा जाय । क्योंकि इन दोनों नगरों में वकीलों के बस की बात नहीं है कि वह सब काते कर सकें जो कि सालिसिटर करते हैं । मान लीजिये कि इसे विधि द्वारा समाप्त कर दिया जाये तो भी यह प्रथा व्यवहार में चलती रहेगी । अब यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों व्यवस्थाओं को मिला दिय जाये । लेकिन यह बात कि उन्हें मिला दिया जाये काफी भ्रांति उत्पन्न करेगी क्योंकि एक वकील के लिए यह संभव नहीं है कि वह अदालत में तथा उससे बाहर अपने मुवक्किल की सहायता कर सके । सोलीसिटर का काम एक दो वर्ष तक नहीं चलता बल्कि पीढ़ियों तक चलता रहता है । अतः मेरे विचार में इनको समाप्त करना तो इनको बर्बाद करना होगा ।

दो आयोगों ने इस बात की जांच की है । विधि आयोग सहित दोनों आयोगों ने यह सिफारिश की है कि सोलीसिटर व्यवस्था को समाप्त करना क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है । संयुक्त समिति ने भी सोलीसिटर व्यवस्था के पक्ष में तथा विपक्ष में बातें सुन कर यही निर्णय किया है कि यह प्रथा चालू रहनी चाहिये । यह बात स्मरणीय है कि उच्च न्यायालयों में इन सोलीसिटरों को प्रेक्टिस करने की अनुमति है और यह अनुमति इनको उच्च न्यायालयों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके नियम बना कर प्रदान की है । अगर उच्च न्यायालय चाहे तो इन नियमों में परिवर्तन कर सकती है और इसके लिये संसद् द्वारा विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है । अगर कलकत्ता तथा बम्बई के उच्च न्यायालय यह समझते हैं कि ये सोलीसिटर न्याय के काम में सहायता नहीं दे पाते हैं तो व न्यायालय अपने नियम में परिवर्तन करने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं । इसलिये जब दोनों आयोगों ने इस प्रथा को चालू रखने की सिफारिश की है तो फिर संसद् को इनकी समाप्ति के लिये विधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

[श्री अ० कु० सेन]

जहां तक वकीलों द्वारा फीस लिये जाने का सम्बन्ध है कि वह फीस निर्धारित कर दी जायें ताकि वकील उस निर्धारित फीस से अधिक न ले सकें। बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों ने कराधान नियमों के अधीन यह निर्धारित कर दिया है कि वकील, सोलीसिटर, एडवोकेट आदि को कितनी फीस लेनी चाहिये। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि यदि कोई वकील अधिक फीस लेता है तो वह उसके व्यवसाय के विरुद्ध बात होगी। मान लीजिये कि कोई वादी अधिक फीस देना चाहता है तो वकील किस प्रकार इन्कार कर सकता है। रह जाती है बात इनकम टैक्स देने की आखिर वकील भी तो उस आय पर आयकर देता ही है। हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते कि निर्धारित फीस से अधिक लेना वकीली व्यवसायी प्रथा से विरुद्ध है।

†**श्री अ० कु० सेन** : जिन लोगों में फीस देने की सामर्थ्य नहीं है, उनसे इतनी ऊंची फीस लेना एक बुराई है। इसका इलाज यही है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाय जिसके अनुसार इतनी ऊंची फीस न दे सकने वालों को आर्थिक सहायता मिल सके। मैंने कई बार सिफारिश की है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस भी वकील की आय एक निर्धारित सीमा से अधिक हो, वह कुछ घंटे उन मुवक्किलों को दे जिनको वैधानिक सहायता दी जानी हो।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मंत्रित्व-काल में अखिल भारतीय विधि जीवी संस्था बन जायेगी। यह अपने आप में एक बड़ी चीज होगी। आशा है कि यह विधि जीवी संस्था संसद् और जनता के सामने अपने व्यवसाय का एक आदर्श पेश करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधि व्यवसायियों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने तथा विधि व्यवसायी परिषद् (बार काउंसिल) तथा एक अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ (आल इंडिया बार) स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ (परिभाषायें)

†**सभापति महोदय** : खण्ड २ के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ (राज्य विधि जीवी परिषदें)

†**श्री हजरनवीस** : मैं दो आनुषंगिक संशोधन रखना चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ३३ और ३४ में,

"Bombay" ("बम्बई") शब्द के स्थान पर " Gujarat " ("गुजरात") रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ २, पंक्ति ३४ में,

" Madras " ("मद्रास") शब्द के पश्चात्, " Maharashtra " ("महाराष्ट्र") जोड़ा जाये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं भी एक संशोधन रखना चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री को उसकी प्रतियां नहीं भेजी गयी हैं, क्योंकि उसकी पूर्व-सूचना आज ही सुबह दी गई थी । इसलिये यह नियम-बाह्य है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि इन विधि जीवी परिषदों में सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिले ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है, इसलिये किसी भी ज़िले के छूटने की कोई आशंका नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या ३ और ४ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ३३ और ३४ में,

" Bombay " ("बम्बई") के स्थान पर, " Gujarat " ("गुजरात") रख दिया जाय ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ३४ में,

"Madras" ("मद्रास") शब्द के पश्चात्, "Maharashtra" "महाराष्ट्र") जोड़ा जाये ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ और ५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ६ (राज्य विधिजीवी परिषदों के कृत्य)

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़): मैं अपने संशोधन संख्या ३५ और ३६ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : वे खण्ड ६ (ङ) के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : लेकिन उस खण्ड का क्षेत्र बड़ा सीमित है। मैं चाहता हूं एडवोकेटों की आय में इतनी असमानता न रहे ।

मैं अपने संशोधन संख्या ३५ और ३६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : "उपयुक्त" शब्द इसमें जोड़ना अनावश्यक है। हमने तो कहीं व्यापक व्यवस्था की है ।

हमारी व्यवस्था के अनुसार तो उसका काम सदस्य--एडवोकेटों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना होगा । इसलिये इन संशोधन पर आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५ और ३६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७--(भारतीय विधिजीवी परिषद् के कृत्य)

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं खण्ड ७ के उपखण्डों (ज) और (झ) का विरोध करता हूं ।

सरकार विधिजीवी परिषद् को आवश्यकता से अधिक शक्तियां प्रदान कर रही है । वह विश्वविद्यालयों में जाकर जांच-पड़ताल कर सकेगी । लेकिन यह परिषद् के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है । इसका अधिकार तो केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को है। परिषद् को विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता देनी चाहिये। इन उपखण्डों को हटा दिया जाना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं । सैद्धान्तिक रूप में परिषद् को ऐसी शक्तियां देना अनुचित होगा । गैर-सरकारी संगठनों को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : मैं माननीय सदस्यों के मत से सहमत नहीं । विधिजीवी परिषद् एक बड़ी दायित्वपूर्ण संस्था है । और वह जानती है कि विश्वविद्यालयों में विधि सम्बन्धी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : तब इन उपखण्डों में व्यवस्था यह होनी चाहिये कि परिषद् सरकार को इस सम्बन्ध में परामर्श दिया करेगी । अन्तिम निर्णय सरकार ही करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : इस व्यवस्था के अनुसार विधि की डिग्री हासिल करने के बाद हर कोई विधिजीवी परिषद् का सदस्य बन सकेगा । ऐसी हालत में आवश्यक हो जाता है कि परिषद् विधि सम्बन्धी शिक्षा के बारे में जांच-पड़ताल करें और पता लगाये कि किस विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता देना उचित रहेगा, और किसे अनुचित ।

परिषद् विश्वविद्यालयों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी । वह केवल यह देखेगी कि किसी विश्वविद्यालय की विधि सम्बन्धी डिग्री को मान्यता दे या नहीं । मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय भी विधि सम्बन्धी शिक्षा का उचित स्तर बनाये रखेंगे और उसका पाठयक्रम तैयार करने में परिषद से परामर्श करते रहेंगे ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय** : खण्ड ८ से १४ के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन नहीं हैं । मैं उनको एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ से १४ तक विधेयक के अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ से १४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सभापति महोदय** : खण्ड १५ के लिये एक संशोधन था, पर प्रस्ताव कर्त्ता अनुपस्थित हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६ से २३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २४ (राज्य की तालिका में एडवोकेट के रूप में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्ति)

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपने संशोधन संख्या २३ और २६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम संशोधन संख्या ४७ स्वीकार कर रहे हैं । ये सभी उसमें आ जाते हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ में, पंक्तियां २५ से २७ के स्थान पर, यह रख दिया जाये —

"(c) he has obtained a degree in law—

(i) before the appointed day, from any University in the territory of India; or

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

(ii) before the 15th day of August, 1947, from any University in any area which was comprised before that date within India as defined by the Govt. of India Act, 1935; or

(iii) After the appointed day, from any University in the territory of India or elsewhere, if the degree is recognized for the purposes of this Act by the Bar Council of India; or he is a barrister."

["(ग) उसने विधि की डिग्री प्राप्त की हो—

(१) नियत दिन से पहले, भारत के राज्य-क्षेत्र में स्थित किसी विश्व-विद्यालय से; अथवा

(२) १५ अगस्त, १९४७ से पहले, भारत सरकार अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में उस तिथि से पहले सम्मिलित किसी क्षेत्र में स्थित किसी विश्वविद्यालय से; अथवा

(३) नियत दिन के पश्चात भारत के राज्य-क्षेत्र या अन्य किसी स्थान में स्थित किसी विश्वविद्यालय से, यदि भारत की विधिजीवी परिषद ने उसकी उपाधि को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यता दी हो; अथवा वह एक बैरिस्टर हो।"] (४७)

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह संशोधन परिचालित किया गया था ?

†श्री अ० कु० सेन : संशोधन संख्या ३९ परिचालित किया गया था। हमने उसे इस संशोधन संख्या ४७ के साथ मिला दिया है। दोनों में थोड़ा ही अन्तर है। हम चाहते हैं कि यह विधेयक बिल्कुल त्रुटिहीन बन सके।

†श्री नथवानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ में, पंक्तियां ३४ से ३६ के स्थान पर, यह रख दिया जाये :—

"(ii) any person who has for at least two years held a judicial office in the territory of India or is a member of the Central Legal Service;

(iia) any person who has for at least two years held a judicial office in any area which was comprised before the 15th day of August, 1947, within India as defined in the Govt. of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area; and."

["(२) कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, या केन्द्रीय विधि सेवा का सदस्य हो;

(२क) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम, १९३५ द्वारा परिभाषित भारत में १५ अगस्त, १९४७ से पहले सम्मिलित किसी क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका हो; तथा।"] (४१)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संशोधनों की सूची संख्या ६ में, संशोधन संख्या ४१ के रूप में मुद्रित, सर्वश्री अजित सिंह सरहदी, नथवानी और जगन्नाथ राव द्वारा प्रस्तावित संशोधन में—

भाग (२क) के पश्चात्,

यह रख दिया जाय—

"(iib) any person who has practised before any High Court and who has discontinued practice by reason of his taking up employment under the Government, a local authority or any other person ;"

["(२ख) कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो और जिसने सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति के अधीन सेवा स्वीकार करने के कारण अपनी वकालत छोड़ दी हो;"] (५०)

मेरा यह संशोधन संख्या ५० श्री नथवानी के संशोधन संख्या ४१ के सम्बन्ध में है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : सरकार इन दोनों ही संशोधनों को स्वीकार करेगी । हमने दोनों को मिलाकर एक में कर दिया है ।

†**सभापति महोदय** : वह तो संशोधन संख्या ४७ है । माननीय मन्त्री अपने कागजात ठीक से देख लें ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं अपने संशोधन संख्या १८, १९ और २० प्रस्तुत करता हूं ।

सब-डिवीजनल न्यायालयों के अधिकांश वकील अपने नाम के पंजीयन के लिये ५०० रुपये नहीं दे सकेंगे ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी राज्यों ने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : हमारे देश में उलूबेरिया और अम्ता जैसे गरीब न्यायालय भी हैं । हमें ध्यान रखना चाहिये कि पश्चिमी बंगाल में एक वकील की औसत आमदनी १०० रुपये ही है । वे अपने परिवारों तक का पोषण नहीं कर पाते । इसे घटा कर २५० रुपये कर देना चाहिये ।

†**श्री श्री नारायण दास** : मेरा एक संशोधन संख्या २६ भी है । उसके प्रति सरकार का क्या विचार है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वह भी एक सरकारी संशोधन में आ गया है ।

श्री अरविन्द घोषाल के संशोधन के सम्बन्ध में, मैं वचन देता हूं कि मैं फिर एक बार राज्यों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करूंगा यदि वे इस पंजीयन-शुल्क को घटाने को सहमत हो जायें । पर मेरा ख्याल है कि ५०० रुपये से घटाना सम्भव नहीं होगा ।

संयुक्त समिति में हम सभी सहमत हो गये थे कि विधिजीवी परिषद का प्रवेश-शुल्क तो कम से कम २५० रुपये होना ही चाहिये । नहीं तो परिषद् का खर्च तक पूरा नहीं हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

मैं माननीय प्रस्तावक की यह बात मानता हूं कि यदि विधिजीवी परिषद् आगे कभी कोई दूसरा पाठ्यक्रम संविहित करेगी, तो अभी जिन लोगों को परिषद् के सदस्य बनने का अधिकार है उनमें से कुछ लोग सदस्यता के अधिकारी नहीं रह जायेंगे। इसलिये हम इस संशोधन से सहमत हैं कि ऐसे लोगों पर वह पाठ्यक्रम लागू नहीं होगा। हमने यह संशोधन स्वीकार कर लिया है।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य ने अभी वह संशोधन औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय मन्त्री इस संशोधन का प्रारूप तैयार कर ले। तब तक हम दूसरे खण्डों पर विचार करेंगे।

†**श्री अ०कु० सेन :** यह उचित ही है कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले जिन लोगों ने विधि की डिग्री हासिल कर ली है, उन पर नयी व्यवस्था लागू न की जाये। मैं इसे संशोधन में रखूंगा। हम उसे सरकारी संशोधन के रूप में रखेंगे।

†**सभापति महोदय :** इसलिये अभी कुछ समय तक इस खण्ड पर विचार स्थगित रहेगा। हम इसे बाद में लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ से २८ तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २५ से २८ तक विधेयक जोड़ दिये गये।

खण्ड २९—(केवल एडवोकेट्स ही मान्यता-प्राप्त विधि जीवी होंगे)

†**श्री नथवानी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३ में,

खण्ड २९ के स्थान पर, यह रख दिया जाये :—

"29. Subject to the provisions of this Act and any rules made there under, there shall, as from the appointed day, be only one class of persons entitled to practise the profession of law, namely, advocates."

("२९. इस अधिनियम की व्यवस्थाओं और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के बाद से केवल एक ही श्रेणी के लोगों को विधि-व्यवसाय करने का अधिकार होगा, अर्थात् एडवोकेट्स को।")

यह एक शाब्दिक संशोधन है कि "विधि जीवियों" के स्थान पर "एडवोकेट्स" रख दिया जाये, तभी यह खण्ड ३३ के साथ मेल खाता है। (४३)

†**श्री अ० कु० सेन :** हम यह संशोधन स्वीकार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह हैं :

पष्ठ १३ में,

खण्ड २९ के स्थान पर यह रख दिया जाये :—

"29. Subject to the provisions of this Act and any rules made thereunder, there shall, as from the appointed day, be only one class of persons entitled to practise the profession of law, namely, advocates."

("२९. इस अधिनियम की व्यवस्थाओं और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के बाद से केवल एक ही श्रेणी के लोगों को विधि-व्यवसाय करने का अधिकार होगा, अर्थात् एडवोकेट्स को।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है ।

"कि खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २९. संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३०—(एडवोकेट्स का विधि व्यवसाय करने का अधिकार)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३,—

(१) पंक्ति २४ में "(1)" ("(१)") के स्थान पर, यह रख दिया जाये—

"Subject to the provisions of this Act;"

("इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन")

(२) पंक्तियां ३३ से ३६ हटा दी जायें।" (४८)

†**श्री अ० कु० सेन** : सरकार इसे स्वीकार कर रही है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ १३, —

(१) पंक्ति २४ में "(1)" ("(१)") के स्थान पर, यह रख दिया जाये—

"Subject to the provisions of this Act;"

("इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन")

(२) पंक्तियां ३३ से ३६ हटा दी जायें।" (४८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** सरकार को इतनी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये । हमें संशोधन को समझने और उन पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिय ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मुझे कोई आपत्ति नहीं । अभी इस समय कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो ३०–४० वर्षों से वकालत करते आ रहे हैं । लेकिन उच्चतम न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत उनको वकालत करने का अधिकार नहीं है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** सभी माननीय सदस्यों को संशोधनों को समझने का मौका तो दिया जाना चाहिये । उसके बाद ही उनको मतदान के लिये रखा जाना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य स्वयं एक वकील हैं । वह इससे सहमत ही होंगे । यह संशोधन इसीलिये स्वीकार किया जा रहा है कि वर्तमान एडवोकेट्स को विधि-व्यवसाय करने का अधिकार बना रहे ।

मैं संशोधन को समझे बिना तो उसे स्वीकार नहीं कर लूंगा ।

खण्ड ३१—(अटर्नीज के लिये विशेष व्यवस्था)

†**श्री अरविन्द घोषाल :** मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

आम शिकायत है कि सालिसिटरों की परीक्षा उचित ढंग से नहीं की जाती ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं कि इस शिकायत में कोई सार नहीं । उच्चन्यायालय स्वयं ही यह परीक्षा लेता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१ से ३४ तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३१ से ३४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३५ से ५१ तक विधेयक के अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३५ से ५१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ५२--(बचत)

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** इस नियम से उन एडवोकेटों को बड़ी कठिनाई पड़ेगी, जो १९५७ से पहले पंजीयित हुए थे । यदि उनसे अब परीक्षा में बैठने के लिये कहा जायेगा, तो उनको बड़ी कठिनाई होगी । इसलिये उनको इससे विमुक्ति दी जानी चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं माननीय सदस्य का आशय नहीं समझ सका ।

उच्चतम न्यायालय को परीक्षा लेने से कैसे रोका जा सकता है ? उसे परीक्षा लेने का अधिकार है । १९५७ से पहले एडवोकेट बनने वालों को उस परीक्षा से विमुक्ति दी जाये या नहीं इसका फैसला भी उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है । हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५२ से ५७ तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५२ से ५७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २४--(राज्य की तालिका में एडवोकेट के रूप में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्ति)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्ड २४ पर विचार करेंगे ।

†**श्री हजरनवीस :** में अपना संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ११ में,

पंक्तियों ३२ और ३३ के स्थान पर, यह रख दिया जाये--

"(i) a barrister who has received practical training in England or a person who has obtained a degree in law from any University in India before the appointed day."

("(१) कोई बेरिस्टर जिसने इंगलैण्ड में व्यावहारिक प्रशिक्षण पाया हो अथवा कोई व्यक्ति जिसने नियत दिन से पहले भारत के किसी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की हो ।") (५१)

[श्री हजरनवीस]

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : इससे वर्तमान विधि स्नातकों पर बाद के किसी नियम का प्रभाव नहीं पड़ पायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ४७, ५० और ४१ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ–११ में, पंक्तियां २५ से २७ के स्थान पर, यह रख दिया जाये--

"(c) he has obtained a degree in law--

(i) before the appointed day, from any University in the territory of India; or

(ii) before the 15th day of August, 1947, from any University in any area which was comprised before that date within India as defined by the Govt. of India Act, 1935 ; or

(iii) After the appointed day, from any University in the territory of India or elsewhere, if the degree is recognized for the purposes of this Act by the Bar Council of India ; or he is a barrister".

["(ग) उसने विधि की डिग्री प्राप्त की हो--

(१) नियत दिन से पहले, भारत के राज्य-क्षेत्र में स्थित किसी विश्वविद्यालय से; अथवा

(२) १५ अगस्त, १९४७ से पहले, भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारभाषित भारत में उस तिथि से पहले सम्मिलित किसी क्षेत्र में स्थित किसी विश्वविद्यालय से; अथवा

(३) नियत दिन के पश्चात्, भारत के राज्य-क्षेत्र या अन्य किसी स्थान में स्थित किसी विश्वविद्यालय से, यदि भारत की विधि जीवी परिषद् ने उसकी उपाधि को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यता दी हो; अथवा

वह एक बैरिस्टर हो ।"] (४७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"(ii) any person who has for at least two years held a judicial office in the territory of India or is a member of the Central Legal Service ;

"(iii) any person who has for at least two years held a judicial office in any area which was comprised before the 15th day of August, 1947, within India as defined in the Govt. of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area ; and".

["(२) कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य-क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, या केन्द्रीय विधि सेवा का सदस्य हो;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२क) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम, १९३५ द्वारा पारिभाषित भारत में १५ अगस्त, १९४७ से पहले सम्मिलित किसी क्षेत्र में कम से कम दो बर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका हो; तथा ।") (४१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संशोधनों की सूची संख्या ६ में, संशोधन संख्या ४१ के रूप में मुद्रित, सर्वश्री अजित सिंह सरहदी, नथवानी और जगन्नाथराव द्वारा प्रस्तावित संशोधन में—

भाग (२क) के पश्चात्,

यह रख दिया जाये—

"(iib) any person who has practised before any High Court and who has discontinued practice by reason of his taking up employment under the Government, a local authority or any other person."

["(२ख) कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो और जिसने सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति के अधीन सेवा स्वीकार करने के कारण अपनी वकालत छोड़ दी हो; "] (५०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २३,

पंक्ति १० के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये—

("४. बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६०, (१९६० का ११) . . . धारा ३१.") (७)

[श्री हजरतवीस]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १--(संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

"Eleventh Year" ("ग्यारहवां वर्ष") के स्थान पर,

"Twelfth Year" ("बारहवां वर्ष") रख दिया जाये ।" (१)

[श्री हजरतवीस]

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस विधेयक का नाम "एडवोकेट्स एक्ट, १९६१" के स्थान पर "लीगल प्रेक्टिश्नर्स एक्ट" ("विधिजीवी अधिनियम") रखना अधिक संगत होगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : इस आपत्ति में कोई सार नहीं । इससे अटर्नियों को विधि-व्यवसाय करने की अनुमति तो मिलती नहीं । उसकी अनुमति तो सम्बंधित उच्च न्यायालय देता है । उनके नाम राज्य विधिजीवी परिषदों या केन्द्रीय विधिजीवी परिषद की तालिका में नहीं रहेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ५ में,

"1960" ("१९६०") के स्थान पर,

"1961" ("१९६१") रख दिया जाये ।". (२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

†**श्री हजरतवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

'Eleventh Year" ("ग्यारहवें वर्ष") के स्थान पर,

'Twelfth Year" ("बारहवें वर्ष") रख दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

"Eleventh Year" ("ग्यारहवें वर्ष") के स्थान पर,

"Twelfth Year" ("बारहवें वर्ष") रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह ह :

"कि अधिनियमनसूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमनसूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में, जोड़ दिया गया ।

विधयक का नाम

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : मैं कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि हम विधि को सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का एक साधन नहीं मानते ।

हम मानते हैं कि विधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है । और इसीलिये विधि व्यवसायियों पर एक बड़ा दायित्व आ जाता है ।

हम एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं । यह धारणा बन गयी है कि हम उन वकीलों का समर्थन करते हैं जो अत्यधिक फीस लेते हैं । यह ऐसी बात नहीं है । इस लिए यह बात आवश्यक है कि मनुष्य को चित्रपट के दोनों पहलू देखने चाहिएं । जो अच्छा पक्ष हो उसी को अधिक महत्व देना चाहिए ।

†**श्री त्यागी** : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरे विचार में माननीय विधि मंत्री ने यह विधेयक बनाकर इस व्यवसाय की बड़ी भारी सेवा की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस समय यह बात अवश्य कहना चाहूंगा कि उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों को बार परिषदों से विलग करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें किसी न किसी प्रकार से अब भी साथ लाने का प्रयास करना चाहिए और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मुझे पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। इस समय मैं यही कहना चाहता हूं कि यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में देश के वकीलों ने बड़ा भाग लिया तथापि आज जिलों में वकीलों की हालत सुधारने की बहुत गुंजायश है। हर रोज़ वकीलों का स्तर गिरता जा रहा है। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिलों में अभी भी ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको सुनकर दुख होता है। इस दिशा में एक बार कौंसिल की स्थापना की बात बड़ी लाभदायक है।

जहां तक स्टाम्प शुल्क की अदायगी का प्रश्न है यह चीज भी समाप्त हो जानी चाहिए। यदि बार कौंसिलों के साथ न्यायाधीशों का संयोग भी हो तो ज्यादा अच्छा रहे।

देश में कुछ ऐसे वकील भी हैं जो देश के लिए सर्वस्व लुटा चुके हैं और उनकी सनदें भी चली गयीं हैं। उनकी वापसी के लिए भी सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक वकीलों के कदाचरण का सम्बन्ध है मेरे विचार में बार कौंसिलें स्वयमेव इस बात पर विचार करके फैसला किया करेंगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया कि विधि मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि ५०० से अधिक की रकम नहीं ली जायेगी। क्या वह यह भी कहेंगे कि स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाया करेगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : आगामी सम्मेलन १९६२ में होगा। श्री नारायणन कुट्टि मेनन ने वकीलों के बारे में जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। हमारा व्यवसाय काफी बड़ा व्यवसाय रहा है। श्री त्यागी ने यह बताकर कि न्यायाधीशों के अलग होने से बार कौंसिलों में काफी अभाव रहेगा, हमारी बड़ी सेवा की है। हम संसद् का यह दुख न्यायाधीशों तक पहुंचायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आय कर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर और अधिकर संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को श्री आचार, श्री सुब्बया अम्बलम्, श्री अमजद अली, श्री प्रेमजी आसर, श्री बहादुर सिंह, श्री प्र० चं० बरुआ, श्री द० रा० चावन, श्री श्रीनारायण दास, श्री मूलचंद दुबे, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री द० डा० कट्टी, श्री कुन्हन, श्री भावसाहेब

†मूल अंग्रेजी में

राव साहेब महागांवकर, श्री मैथ्यु मणियंगाडन, श्री मी० रू० मसानी, श्री नारायण कुट्टि मेनन, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री च० द० पांडे, श्री नवल प्रभाकर, श्री राम शंकरलाल, श्री शिवराम रांगो राने, श्री जगन्नाथ राव, श्री क० ब० रामकृष्ण रेड्डी, श्री अ० कु० सेन, श्री लैसराम अचौ सिंह, डा० राम सुभग सिंह, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री राधेलाल व्यास तथा प्रस्तावक का एक प्रवर समिति को सौपा जाय और इसे आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

यह विधेयक भारतीय आयकर विधान के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। सब से पहले सन १८६० में आयकर लगाया गया था। १८६० से लेकर १८८६ तक ही २३ अधिनियम बने। कारण यह था कि उस समय जनता को इस नयी चीज का ज्ञान नहीं था इस कारण वे धोखे में आ सकती थी। उस युग में भी अनेक प्रकार की समस्यायें उठतीं थीं।

१८८६ में काफी बड़े परिवर्तन किये गये। आयों को चार भागों में विभक्त किया गया। कृषि की आय को छोड़कर शेष सब पर कर लगाया जाने लगा। उस समय कर की दरें कम थीं और व्यवस्था सरल थी। माल के अफसर ही वह काम भी साथ साथ किया करते थे। कलेक्टर को कर निर्धारण के बारे में करदाता से समझौता करने का अधिकार था।

किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयकर को बढ़ाना पड़ा। अतएव प्रक्रिया को भी बदलना पड़ा। १९१८ में संशोधित कानून बनाया गया। कलेक्टर के समझौते के अधिकार समाप्त कर दिए गये। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे जटिल चीज़ों को स्वयं या करदाता की प्रार्थना पर उच्च-न्यायालय के पास भेज सकते हैं।

१९२२ में फिर पुनरीक्षण हुआ। इस प्रश्न के अध्ययन के लिए प्रान्तीय समितियां बनाई गयीं। इसके बाद अखिल भारतीय समिति भी बनाई गयी। अब उसी कानून को बदला जा रहा है।

यद्यपि वर्तमान अधिनियम का नाम आयकर अधिनियम १९२२ है तथापि यह पहले वाले कानून से काफी अलग हैं। १९३९ में कर विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर इसमें काफी हेरफेर किये गये थे। इनके अनुसार "स्टैप" से "स्लैव" प्रणाली लागू की गयी; विदेश में अर्जित आय पर भी कराधान किया जाने लगा था। इसी प्रकार की अनेक बातों के साथ अपीलीय सहायक आयुक्त भी बनाये गये।

१९३९ से अब तक लगभग ३५ अधिनियम बने हैं। १९४१ में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी। १९४४ में "जैसे ही आप कमाएं कुछ अदा भी करें" नाम की योजना चालू की गयी। आयकर अधिनियम की धारा ३४ में १९४९ में दुबारा संशोधन किया गया। इसी के साथ अनेक प्रकार की रियायतें भी दी गयीं।

१९५३ में कराधान जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश किया और आयकर अधिनियम के उपबन्धों में हेरफेर किया गया। अतः खण्ड २३क को एक तरह बदला ही गया। जो पब्लिक कम्पनी ठीक लाभों का वितरण न करे उन पर अधिकर लगाया गया। शेष जो भी हेरफेर हमने इस सम्बन्ध में हाल ही में किये हैं उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता क्योंकि वे सभी को स्मरण हैं।

[श्री ब्रजराज सिंह]

आयकर जांच आयोग की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि जिन लोगों को आयकर के अपवंचन करने की आदत हो गयी है उनका पता लगाया जाय । किन्तु उसकी कुछ धारायें संविधान से शक्ति परस्तात हो गयीं । इससे और भी परिवर्तन करने पड़े । इसके बाद कानून को आसान बनाने के लिये इसका परीक्षण दोबारा से करना पड़ा । १९५६ में यह काम विधि आयोग को सौंपा गया । उसकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी गयी हैं ।

उसके बाद से कई प्रत्यक्ष कर लागू किये जा चुके हैं । सम्पदा शुल्क, व्यय कर, दान कर आदि अधिनियम लागू किये जा चुके हैं । इनका पालन भी आयकर विभाग ही को करना था । इन कानूनों की व्यवस्था करने के लिये सरकार को परामर्श देने के लिये एक समिति बनाई गई । श्री त्यागी की समिति ने १९५९ में अपना प्रतिवेदन भेजा है । उनकी सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को सभा के सामने रख दिया गया है ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि इस विधेयक में पुराने विधेयक की बुनियादी बातों को रखा गया है । अस्पष्ट शब्दों या वाक्यों के स्थान पर आसान चीजें रखी गई हैं । जो लोग केवल वेतन पाते हैं कभी कभी वे पेचीदा फार्मों को देख कर घबरा जाते हैं । किन्तु इन चीजों का सम्बन्ध केवल वैतनिक लोगों से ही नहीं । व्याप्ति और भी अधिक है ।

आर्थिक गति विधि न केवल व्यक्ति ही करते हैं वरन् फर्में, समवाय आदि भी करते हैं । वस्तुतः कर सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण या इनको संहिता में बांधना बड़ा दुर्धर्ष काम है । करदाताओं को अपने अधिकारों और दायित्वों की सही तसवीर जानने का हक है और इस विधेयक में यह बात ध्यान में रखी गई है ।

इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य तीन हैं (१) करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करना, (२) व्यवस्था को सुगम बनाना और (३) कर अपवंचन की कोशिश की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना ।

आज के कानून के अनुसार एक नागरिक पर विदेश में उपार्जित आय पर भी करारोपण हो सकता है । परन्तु अब यदि उनके प्रेषण की तिथि को बाकी देय रकम की अदायगी कर दी जाया करेगी तो विदेशोपार्जित लाभों पर उस प्रकार कर नहीं लगेगा । इनके बावजूद भी इससे ऐसे लोगों के हृदयों में आशंका रहती थी । उस आशंका को दूर करने के उद्देश्य से अब विदेशोपार्जित लाभों पर से कर सम्बन्धी उपबन्ध समाप्त करने का विचार है ।

दूसरी चीज यह है कि पहले जो व्यापारी बाहर से भारत में आते थे यदि वे ४ वर्ष में ३६५ दिन भारत में रहें हों तो उनके आयकर सम्बन्धी मामले पर तब विचार होता था जब उनकी यात्रा साधारण या आकस्मिक होती थी । किन्तु इसका निर्णय ही नहीं हो पाता था । अब तब तक उस व्यापारी को निवासी नहीं माना जायगा जब तक कम से कम तीस दिन तक वह भारत में न रहे ।

इसके बाद पूंजीगत लाभों सम्बन्धी कराधान को युक्तिसंगत बनाया गया है । यह उपबन्ध पूंजीगत लाभ करों के बारे में है । इसी क्षेत्र में जो दूसरा परिवर्तन किया गया है वह अर्जिता की लागत का अन्दाज करने का एक तरीका है । उदाहरणार्थ १–१–१९५४ को मार्केट मूल्य के स्थान पर नये मूल्य रखने का विकल्प दिया गया है । इसके बाद इस चीज पर भी विचार किया जाता है कि क्या सम्पत्ति का अर्जन १–४–१९५६ के बाद या पहले किया गया था ।

जहां तक खण्ड २४१ का सम्बन्ध है कि सरकार ६ महीने से अधिक के विलम्ब से की जाने वाली अदायगी पर ६ प्रतिशत ब्याज दे उस बारे में सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है परन्तु ब्याज की दर को घटा कर ४ प्रतिशत रखा गया है।

दूसरे छटी हुई आयों के आंकने की बात के पुनरारम्भ के लिये समय सीमा निर्धारित की जा रही है। पहले काफी ज्यादा परिवर्तन कर दिये गये थे और उस समय वैसा करना आवश्यक भी था। किन्तु अब उन सब चीजों का निबटारा हो चुका है इस कारण उसी तरह की हालत को रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अतः अब सरकार ने यह बात मान ली है कि जहां छट १ लाख रुपये से अधिक है तब इस उपबन्ध का प्रवर्तन सीमित रूप से हो। । दुबारा आंकने की बात पर समय सीमा भी रखी गयी है।

वर्तमान कानून के अन्तर्गत पति और पत्नी की आय को साथ मिला कर देखा जाता है और उसी के आधार पर आयकर लगता है पर चूंकि विधि आयोग ने इसे ठीक नहीं म न: इस कारण सरकार ने उसकी बात मान कर आवश्यक रूप भेद कर दिये हैं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड ९१ की ओर भी दिलाना चाहता हूं। धारा ४९घ के अन्तर्गत एक वासी करदाता को थोड़ी रियायत मिलती है। चूंकि यह व्यवस्था वासियों पर लागू होती है इस कारण गैर-वासियों के सामने काफी कठिनाई आती है। इस कारण इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों को दूर करने के लिये एकतरफा रियायत देने का ही निश्चय कर लिया गया है।

विधेयक में रियायतों के अनेक उपबन्ध हैं। वर्तमान कानून में मान्य भविष्य निधियों आदि के बारे में भी उपबन्ध हैं। किन्तु हाल ही में अनेक उद्योगों की स्थापना हुई है जिनमें उपदान की व्यवस्था है। इन उपदानों को मान्यता देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब उन्हें विधिवत् मान्यता देने की बात पर विचार किया जा रहा है। यह चीज विधेयक की चौथी अनुसूची के भाग ग में हैं।

अब मैं उन बातों के बारे में बताऊंगा जो प्रक्रिया के बारे में हैं। बातें तो कई हैं पर मैं केवल तीन का उल्लेख करूंगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को पता है कि विधि आयोग ने तो इसे समाप्त करने की सिफारिश कर दी थी। परन्तु सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपील करने सम्बन्धी उपबन्ध चालू रहेगा। साथ ही यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि विधि सम्बन्धी किसी प्रश्न के बारे में उच्च न्यायालयों के निर्णयों से यदि कोई विवाद हो, और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उसे उच्च न्यायालय के पास भेजने की आवश्यकता हो और यदि न्यायाधिकरण उसे आवश्यक समझता तो वह उस मामले को सीधे उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में चालू राजस्व वसूली अधिनियमों तथा दंड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध उपबन्धों के बारे में विधि आयोग ने जिन उपबन्धों की सिफारिश की है, सरकार का विचार है कि उसे स्वीकार कर लिया जाय साथ ही सामान्य रूप से यह भी विचार है कि निवास न करने वाले व्यक्तियों के वर्ग को समाप्त कर दिया जाय।

इस विधेयक के कुछ उपबन्ध प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करते हुये रखे गये हैं। एक प्रस्ताव यह भी है कि किसी वर्ग में किसी न्यास की आय के २५ प्रतिशत से अधिक भाग के जमा होने पर उस पर कर लिया जायेगा और उस न्यास के मूल उद्देश्य की पूर्ति के अतिरिक्त किये गये किसी काम को कर से मुक्त नहीं किया जायेगा। इस समिति की

[श्री ब्रजराज सिंह]

एक और सिफारिश थी, जिसे कि विधेयक में रखा गया है। वह यह है कि करदाताओं को यह पूर्व निर्धारित तिथि के पूर्व कर का सारा विवरण प्रस्तुत कर देना चाहिए। विधेयक के खण्ड २२०(२) में कहा गया है कि जो करदाता अपने करों का भुगतान कर मांग नोटिस में दी गयी तिथि के बाद करेंगे, उन्हें कर राशि पर ४ प्रतिशत ब्याज देना होगा। कर भुगतान न करने के लिये उस पर लगाये गये किसी अन्य दंड के अतिरिक्त ब्याज होगा। समिति की इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस अधिनियम में उसे सम्मिलित कर लिया। यदि समवाय अधिनियम की धारा २३क के अन्तर्गत उल्लिखित समवाय अपने करों का भुगतान नहीं करते, तो उन करों की वसूली उनके निदेशकों तथा अंशधारियों से की जायेगी। साथ ही इनमें एक अन्तर रखा गया है कि यह बात समवाय अधिनियम में उल्लिखित गैर-सरकारी समवायों पर भी लागू होगी।

समिति की यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली गयी है कि लाभ के साथ पहले का घाटा तभी बताने दिया जाये जब कि समवाय के लाभ वाले वर्ष के अंशधारी वही हों जो कि समवाय के घाटे वाले वर्षों में भी अंशधारी थे। करापवंचन सम्बन्धी अपराधों के लिए दंड और मुकदमा चलाने के बारे में अधिनियम के उपबन्धों को और निवारक बनाने के लिए अब उन्हें कड़ा कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम दंड विहित कर दिया गया है। करापवंचन में सहायता देना या साथ देना अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध बना दिया गया है। यह व्यवस्था की गयी है कि जिस दिशा में अपनी आय को छिपाने का जो भी कोई प्रयत्न करेगा उसे कम से कम ५०० रुपये और अधिक से अधिक ५००० रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। उपआयुक्त के स्तर का अधिकारी यह दंड दे सकेगा।

मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मेरा निवेदन है कि यह विधेयक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण है। मेरा विचार यह है कि इस पर चर्चा करने के लिए अधिक समय निर्धारित किया जाना चाहिए। खेद की बात है कि विधेयक के विभिन्न खंडों पर समुचित चर्चा के अपेक्षित सामग्री उपलब्ध करने के साधनों की व्यवस्था नहीं की गयी। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी सभा के सामने ऐसा महत्वपूर्ण विधान लाया जाय, तो सभी अपेक्षित और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि विधान को समुचित विवाद और चर्चा के शीघ्रता से न पारित कर दिया जाय।

हो सकता है कि सरकार का यह दावा ठीक हो कि गत १० वर्षों में उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय बढ़ी है, परन्तु इस अवधि में आयकर के रूप में एकत्रित होने वाली राशि निरन्तर कम होती गयी है। आयकर की बड़ी बड़ी राशियां अभी बकाया पड़ी हैं। यह सब हुआ भी तब है जब कि कर वसूली व्यवस्था का खर्च २½ गुना बढ़ा दिया गया है। हमारे देश में आय कर की एक अन्य विशेषता यह है कि कम आय वाले करदाताओं की संख्या बढ़ गयी है और इस के मुकाबले में अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या कम हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेद की बात है कि यद्यपि नौवहन उद्योग का लाभ कई गुना बढ़ गया है, फिर भी इस उद्योग को ४० प्रतिशत छट दी जा रही है । यह अच्छा है कि उद्योगों को दिये जाने वाले छट को २५ प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिशत कर दिया गया है, कर की छट, विदेशी मुद्रा तथा निर्यात को बढ़ावा देने के रूप में नये उद्योगों को अधिकाधिक रियायतें दी जा रही हैं। इस प्रकार सरकार औद्योगिक में एकाधिकार को बढ़ा रही है । म इस बात पर जोर दूंगा कि प्रवर समिति को इस प्रश्न के इस महत्वपूर्ण अंग पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

आय कर जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने तीन क्रमिक निर्णयों द्वारा आय पर कराधान (जांच आयोग) अधिनियम के कार्यकारी उपबन्धों को विधि प्रतिकूल घोषित कर दिया है। इस का परिणाम यह हुआ है कि इस का कोई प्रभाव नहीं रहा और इस से विपरीत परिणाम निकलने की आशंका है । इसके लिए एक यह बात भी करनी पड़ी कि आयोग को फिर बहुत से मामले छोड़ देने पड़े। इस पर सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई और एक बड़ी राशि राजकोष में आने से रह गयी ।

गत १० वर्षों में सरकार किसी भी करापवंचक को पकड़ कर उस के विरूद्ध मकदमा चलाने में सफल नहीं हो सकी । त्यागी समिति ने कहा है कि दहशत पैदा करने वाले दंड का कोई उपबन्ध न होने के कारण ही लगातार कर पवंचक हो रहा है । प्रवर समिति को इस समस्या पर विचार करनी चाहिए । मेरा मत तो यह है कि प्रवर समिति को चाहिए कि वह करापवंचन के लिए सार्वजनिक रूप में कोड़े से पिटाई कराने का या ऐसा ही कोई उपबन्ध रखे। प्रवर समिति को चाहिए कि वह सभी त्रुटियों को दूर करे ताकि कोई भी करापवंचक बिना दंड के बच न पाये । एक ऐसा भी उपबन्ध होना चाहिए कि करापवंचकों का नाम समाचार पत्रों में भी निकाला जाय।

सरकार ने १९५० से १९६० के बीच एक भी व्यक्ति को कर अपवंचन करने के अपराध में सजा नहीं दी है । यह बहुत दुख की बात है । इस से ज्ञात होता है कि इस संबंध में वर्तमान उपबन्धों का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया ।

अतः प्रवर समिति से मेरा अनुरोध है कि वे इन उपबंधों की विस्तृत जांच करे। इन उपबंधों में ऐसी व्यवस्था की जाये कि कोई भी व्यक्ति कर अपवंचन से नहीं बच सके ।

कर अपवंचन करने वाले लोग देश के शत्रु हैं अतः सरकार को इनको कोड़ों की सजा देने के संबंध में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये । मेरा सुझाव है कि आकाश-वाणी से उन लोगों के नाम प्रसारित होने चाहिये जो कर अपवंचन करते हैं ।

वर्तमान विधेयक बहुत शीघ्रता से प्रस्तुत किया गया है तथा सभा में इस पर चर्चा करने के लिये जो समय दिया गया है वह अपूर्ण है तथापि मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस पर विस्तार से विचार करेगी और उस में उपयुक्त सुधार किये जायेंगे ।

अशोक होटल में परोसे जाने वाले गोमांस के बारे में आधे घंटे की चर्चा

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे प्रश्न को इस सदन् में उपस्थित करने जा रहा हूं कि जिसे सुन कर प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय का मस्तिष्क लज्जा से झुक जायगा वह यह है कि भारत सरकार के संरक्षण में आज दिल्ली में अशोक होटल के नाम से जो एक बहुत बड़ा होटल चलाया जा रहा है उस में गोमांस का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है । अब से कुछ समय पहले मैं ने ४ मार्च सन् १९६१ को अशोक होटल में गोमांस परोसे जाने के संबंध में एक प्रश्न पूछा था । मेरे उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमंत्री महोदय श्री अनिल के० चन्दा ने यह उत्तर दिया था :—

> "अशोक होटल में ठहरने वाले लोगों में से ९० प्रतिशत: विदेशी होते हैं । उन में से अनेक गोमांस से बने व्यंजन परोसा जाना पसन्द करते हैं । ये व्यंजन उन लोगों में काफी लोक-प्रिय से हैं । इसलिए अशोक होटल में, दिल्ली के अन्य होटलों की भांति, गोमांस से बने व्यन्जन परोसे जाते हैं, किन्तु केवल उन्हीं लोगों को, जो उन के लिए आर्डर देते हैं । गोमांस दिल्ली से बाहर के क्षत्रों से प्राप्त किया जाता है । सदा की भांति गोमांस की आवश्यक मात्रा के सम्भरण के लिए टेंडर मांगे गये हैं । दिल्ली में गोमांस के प्रयोग की न तो सांविधिक रूप से और न कार्यपालिका के किसी आदेश द्वारा मनाही है । इसलिए दिल्ली में किसी भी होटल को इस बात के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । "

म कहना इस संबंध में यह चाहता हूं कि आप ने इस में यह कहा है कि ९० प्रतिशत यात्री जो कि इस होटल में आ कर ठहरते हैं, विदेशी होते हैं । अब मेरी जानकारी इस संबंध में यह है कि जिस समय यह होटल आरम्भ हुआ था उस समय यह बात सत्य थी कि इस में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या ९० प्रतिशत के लगभग थी लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों इस होटल में ठहरने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है । लेकिन एक बात देख कर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा कि जब विदेशी यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है और भारतीय यात्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है तब इस अशोक होटल में गोमांस की खपत धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही है अपेक्षाकृत इस के कि वह कम होती ।

मैं विशेष रूप से एक और बात पूछना चाहता हूं, थोड़ा इसको बतलाइये तो सही कि जब कोई विदेशी यात्री हिन्दुस्तान आता है, यहां के एतिहासिक स्थलों और स्सांस्कृतिक स्थानों को देखने के लिए हमारे देश में आता है तो क्या वहां से यह इरादा कर के चलता है कि मैं किसी ऐसे होटल में ठहरूंगा कि जहां गोमांस दिया जायेगा ? दिल्ली के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी जब उन्हें जाना पड़ता है तो जिन दूसरे प्रान्तों में उन्हें जाना पड़ता है क्या उन सब स्थानों में भी उन के लिए गोमांस की व्यवस्था रहती है ?

सब से बड़ी आवश्यक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले इस तरह का एक अध्यादेश जारी किया था कि शासन की ओर से जितनी भी बड़ी बड़ी दावतें दी जायेंगी उन में शराब के ऊपर प्रतिबंध रहेगा । जब शासन इस तरह का निर्णय शराब के लिय ले चुका है तब सरकारी संरक्षण में जो होटल चल रहा है उस में गो मांस का प्रयोग हो तो यह तो एक बहुत ही हीन और लज्जा की सी बात मालूम पड़ती है ।

एक बात जो मैं उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि गऊ जहां हमारे भारत की आर्थिक स्थिति का एक बहुत बड़ा आधार है वहां इस बात को कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है अपितु और गौरव को अनुभव करता हूं कि गाय को धार्मिक दृष्टि से भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्थान है । गाय के संबंध में ऋगवेद में एक स्थान पर इस प्रकार से चर्चा आती है :—

"माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्यानां
अमृताय नाभिः अनुवोचंचिकितुषे जनायं गां अनागां अदितिं वधिष्ठा ।"

इन शब्दों द्वारा मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि गाय के प्रति आरम्भ से ही इस देशवासियों की वह भावना रही है जो कि एक पुत्र की अपनी माता के प्रति रहती है, एक भाई की अपनी बहिन के प्रति रहती है और एक बाप की अपनी बेटी के प्रति रहती है। नालायक से नालायक बाप भी दुनिया को बुरी दृष्टि से देख सकता है लेकिन अपनी पुत्री को बुरी तरह से नहीं देख सकता । नालायक से नालायक भाई दुनिया को बुरी निगाह से देख सकता है लेकिन अपनी बहिन को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। नालायक से नालायक पुत्र दुनिया को बुरी दृष्टि से देख सकता है लेकिन अपनी मां को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। जो पवित्र दृष्टि एक पुत्र की अपनी माता के लिए है, एक भाई की अपनी बहिन के लिए है और एक पिता की अपनी पुत्री के लिए है, वही पवित्र दृष्टि यहां के देशवासियों की गऊ माता के प्रति सदा से रहती हुई चली आई है। इस बात को कहते हुए मैं गौरव अनुभव करता हूं कि गऊ हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं का एक बहुत बड़ा आधार है। सन् १८५७ में जब हमारे देश में क्रान्ति की चिंगारी उठी थी तो उस चिंगारी के पीछे जहां और कई कारण थे वहां उनमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि भारतीय सिपाहियों ने बंदूकों को हाथ लगाने से इसलिए इंकार कर दिया था कि कारतूसों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। सन् १८५७ के बाद आर्यसमाज के प्रवर्त्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोकरुणा निधि नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि यह भावना प्रतिपादित की थी कि जिस राजा के राज्य में गऊ का वध होता है उस राज्य के राजा और प्रजा दोनों का विनाश होता है। यह उसमें स्पष्ट भाषा में लिखा था। भगवान तिलक ने भी जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की थी कि जिस दिन यह देश स्वतंत्र हो जायेगा तो पांच मिनट में पहली कलम से जो कानून बनाया जायगा उसमें गोवध के ऊपर प्रतिबंध लगाया जायेगा । गांधी जी के सम्बन्ध में मैं जरा विस्तार से यूं कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश की शासन सत्ता गांधी जी को अपना एक आदर्श पुरुष मान कर चलती है। गांधी जी ने २५ जनवरी १९२५ को अपने विचार व्यक्त करते हुए हरिजन में लिखा था कि मेरे विचार के अनुसार गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं है। कई बातों में तो मैं इसे स्वराज्य के प्रश्न से भी बड़ा मानता हूं। मेरे नजदीक गोवध और मनुष्य वध दोनों एक समान हैं। पीछे एक ऐसा समय भी हमारे देश में आया था जब खिलाफत आंदोलन की सहानुभूति में भारतीय नेताओं ने एक बड़ा वक्तव्य दिया। जब उसके बारे में गांधी जी से जाकर कुछ लोगों ने पूछा कि बापू यह प्रश्न तो दूसरे देश का है और खिलाफत आंदोलन में भारतवर्ष को सहयोग देने के लिए आप क्यों प्रेरणा दे रहे हैं तो उस समय गांधी जी ने जो उनको उत्तर दिया था वह ६ अक्तूबर सन् १९२१ को उनके पत्र में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था कि मैं मुहम्मद अली की खिलाफत

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मैय्या का इसलिए साथ दे रहा हूं ताकि वह मेरी गाय मैय्या को बचायें। गांधीवादी सरकार जो कि गांधी जी को अपना आदर्श मान कर चलती है मैं नहीं समझता कि उनके उन शब्दों को क्यों भूल जाती है और आज अशोक होटल में गोमांस के प्रयोग को क्यों नहीं समाप्त कर देती। मैं नहीं समझता कि इस गांधीवादी सरकार द्वारा अशोक होटल में गोमांस के प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश की सरकार प्रजातंत्र के आधार पर बनी हुई सरकार है और एक प्रजातंत्रीय सरकार का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह प्रजा की भावनाओं का आदर करे। इस देश का एक बहुत बड़ा मत इस ओर है कि गोवध बंद हो। वह नहीं चाहता कि इस देश में गोवध हो। जब इस देश की एक बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की है तो प्रजा की भावना को क्यों ठुकराया जाता है। प्रजा की भावना को ठुकराने का अभिप्राय से यह हुआ कि वह फिर प्रजातंत्र नहीं रह गया क्योंकि जिसमें से प्रजा निकल गयी वह खाली तंत्र रह जायेगा। प्रजा उसमें साथ नहीं रहेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन जरा मुगल शासन के ऊपर तो दृष्टि डालिये। कभी जो मुगलकालीन शासक इतने क्रूर माने जाते थे उन्होंने भी सर्वसाधारण की भावनाओं का आदर किया था। आज भी भूपाल के पुस्तकालय में बाबर का वसीयतनामा लिखा हुआ रक्खा है। उसने मरने से पहले अपने पुत्र हुमायुं के नाम जो वसीयतनामा लिखा था उसमें दो बातें बाबर ने विशेष रूप से लिखी थीं। हुमायुं को सम्बोधित करते हुए उसने लिखा था कि अगर भारतवर्ष में तुम अपनी सलतनत को ज्यादा देर तक कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें दो काम करने चाहिएं। एक तो भारतवर्ष में गोवध को कभी जारी मत करना और दूसरे हिन्दुओं के धर्ममंदिरों को तुड़वाने के लिए कभी प्रोत्साहन मत देना। जब मुगल शासकों ने जनता की भावनाओं का आदर किया और उनकी उपेक्षा नहीं की तब यह गांधीवादी सरकार जो कि एक प्रजातंत्री सरकार होने का दावा करती है और आये दिन दुहाई देती है वह प्रजा की इतनी बड़ी भावना की किस प्रकार से उपेक्षा करती चली जाती है? मुझे तो यह कल्पना करके कष्ट होता है कि आज कहीं गांधीजी जीवित होते और अपनी आंखों से नई दिल्ली के इस वातावरण को देखते और देखते कि भारत सरकार के संरक्षण में चलाये जा रहे अशोका होटल में गोमांस का प्रयोग होता है, तो उनकी आत्मा कराह उठती। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जहां के लोगों और शासन की भावनायें सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से गाय के बारे में हमसे भिन्न हैं, लेकिन फिर भी वहां की गवर्नमेंट ने अपने यहां यह नियम बना दिया है कि सप्ताह में तीन दिन गोमांस के भक्षण पर प्रतिबन्ध रहेगा। लेकिन हमारी सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। एक ओर तो हमारी सरकार कहती है कि देश में अन्न की वृद्धि हो और खेती बढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर इस गांधीवादी सरकार के द्वारा देश में गोमांस के भक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार के द्वारा उन भावनाओं को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है, जो कि इस देश की संस्कृति और परम्पराओं के अनुरूप हैं।

मुझे और भी आश्चर्य होता है कि सरकार गोमांस सम्बन्धी आंकड़ों को छिपाना क्यों चाहती है। इस सदन में १६ फरवरी, १९६१ को यह पूछा गया कि हमारे देश में गोमांस का उत्पादन और खपत कितनी होती है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उप-कृषि मंत्री, श्री कृष्णप्पा, ने कहा कि मीट मार्केटिंग सम्बन्धी रिपोर्ट (१९५५) के अनुसार १९४९ में इस देश में गोमांस के उत्पादन और खपत की मात्रा ९५,८४७ टन थी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि १९४९ के बाद से देश में गोश्त के उत्पादन और उसकी खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इसलिये हमने कोई आंकड़े नहीं रखे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इन आंकड़ों आदि को छिपाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि जब देश की जनता इन आंकड़ों को देखेगी, तो सरकार के खिलाफ उसकी भावनायें उभड़ेंगी और इसीलिये १९४९ के बाद के कोई आंकड़ें नहीं रखे गये हैं।

जहां तक अशोका होटल के सम्बन्ध में आंकड़ों का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि जब तीन दिन पहले मैंने उन से इस सम्बन्ध में जानकारी लेनी चाही, तो उन्होंने बड़ी शीघ्रता से वह जानकारी उपलब्ध कराई। इसके लिये मैं उनके और उनके विभाग का आभारी हूं। यों तो अशोक होटल अक्तूबर, १९५६ से काम कर रहा है। वहां के पुराने आंकड़ों को छोड़ कर मैं अपेक्षतया हाल ही के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं।

१९५८–५९ में अशोका होटल में १४,३८० रुपये, १९५९–६० में १५,७३९ रुपये और १९६०–६१ में १७,९८८ रुपये के गोमांस की खपत हुई। इसके अतिरिक्त इन तीन सालों में वहां पर गाँय की २,४१६ जीभें मंगाई गई, जिनकी कीमत २,०१८ रुपये थी। इस प्रकार बोन्ज आदि की कीमत सम्मिलित कर वहां पर कुल मिला कर ५१,६२१ रुपये के गोमांस की खपत हुई। अगर इसी अनुपात से पिछले वर्षों के आंकड़े भी जोड़े जायें, तो मेरा अनुमान है कि अब तक अशोका होटल में लगभग एक लाख रुपये के गोमांस की खपत हो चुकी है, जो कि हमारे देश के लिये एक लज्जा की बात है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सम्राट अशोक को अपने राज्य का आदर्श माना है। उसके चक्र को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया है, उसकी मुहर को राज्य की मुहर में स्थान दिया है और उपाध्यक्ष महोदय, उसका आदर्श-वाक्य, "धर्मचक्र प्रवर्तनाय", इस सदन में आपके मस्तक के ऊपर बिजली के अक्षरों में चमक रहा है। लेकिन यह कितने दुख की बात है कि जिस अशोक को हम स्थान-स्थान पर आदर्श मान कर चलते हैं, उसके नाम पर जो होटल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गोमांस का प्रयोग किया जाता है। यदि आज से दो सौ बरस बाद कोई शराब की दुकान खोले और उसका नाम "गांधी मन्दिरालय" रख दे, तो उससे जितना कष्ट हम को होगा, उतना ही कष्ट आज अशोका होटल में गोमांस का प्रयोग देख कर होता है। इस अवस्था में तो उसका नाम औरंगजेब होटल रख दिया जाये, तो ठीक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तारीख में लिखा है कि औरंगजेब शराब नहीं पीता था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज गोमांस के प्रकरण में की चर्चा कर रहा हूं।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अन्त में यह कह कर मैं समाप्त करता हूं कि हमारे हिन्दू धर्म-शास्त्रों में एक पौराणिक कथा आती है कि जब कोई आत्मा स्वर्ग में जाये, तो उसको गाय की पूंछ को पकड़ कर पहले वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। उस वैतरणी नदी के विषय में सबने सुना हुआ है, किन्तु देखा नहीं है, लेकिन एक वैतरणी यहां भी है, जिसको सबने देखा सुना हुआ है। मेरा तात्पर्य यह है कि हर पांच साल के बाद निर्वाचन की जो वैतरणी आती है, हमारे कांग्रेस के मित्र गाय की सन्तान बैलों की पूंछ पकड़ कर उस वैतरणी को पार करते हैं। इसलिये उनके लिये यह उचित है कि वे देश में गोवध को बन्द करायें और अशोका होटल में गोमांस के प्रयोग और प्रचलन पर प्रतिबन्ध लगायें।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम हैं कि बहुत से राज्यों में बहुत से स्थानीय निकायों ने यह कानून बना रखा है कि उनके यहां गोवध नहीं हो सकता है और इसी प्रकार दिल्ली के स्थानीय निकायों का भी यह कानून है कि यहां पर गोवध नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि यहां पर गोमांस का प्रयोग न किया जाये और लोगों की धार्मिक भावनाओं पर आघात न किया जाये? स्टैट् समैन के द्वारा टेंडर मांग कर, कलकत्ता से गोमांस मंगा कर और अशोका होटल में उसका प्रयोग करके क्या सरकार यहां के स्थानीय निकायों के उन कानूनों की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रही है? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि देश में इस प्रकार का कानून बने कि गाय, बकरी आदि जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, उनका बध न किया जाये, क्योंकि इससे देश को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा?

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली): जहां तक गोवध का सम्बन्ध है, उसका हमारे देश की आजादी के साथ निकट का सम्बन्ध रहा है। माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि जब यहां अंग्रेजों का राज्य था, . . .

उपाध्यक्ष महोदय: हाफ-एन-आवर डिस्कशन में माननीय सदस्य सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

उस समय जितने भी देशी राज्य थे, अंग्रेजों के साथ उनकी जो संधियां होती थीं, उनकी पहली शर्त यह होती थी कि हमारे राज्य में गोवध नहीं होगा। जब पारसी गुजरात में आये, तो उनके सामने पहली शर्त यही रखी गई कि आप रहें, लेकिन यहां पर गोवध नहीं होगा। इसी प्रकार राजा रणजीत सिंह के यहां जो फ्रैंच आफिसर्ज थे, उनके साथ भी यही शर्त थी कि गोवध नहीं किया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में गोवध का न होना आजादी का प्रतीक और निशानी रहा है, तो फिर आजाद भारत में गोवध चलता रहे, यह कहां तक उचित है।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह कहा है कि अशोक होटल में गौमांस का परोसा जाना लज्जाजनक है मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने यह आर्थिक कारणों के आधार पर कहा है या धार्मिक कारणों के आधार पर ।

नगरपालिका की उपविधियों के अधीन गौवध निशिद्ध है तथापि सत्य यह है कि जितने भी होटल अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को ठहराते हैं वे गौमांस परोसते हैं। अशोक होटल भी इसी प्रकार का एक होटल है । अतः वहां भी गौमांस परोसा जाता है । यह वहां के प्रतिदिन के भोजन का अंग नहीं है तथापि यह वहां उपलब्ध है और जो चाहे खा सकता है ।

गौमांस पाश्चात्य लोगों के भोजन का एक लोकप्रिय अंग है ।

जहां तक इस के आर्थिक पहलू का प्रश्न है मैं उनसे उस चर्चा का उल्लेख करूंगा जो कि सेठ गोविन्द दास जी द्वारा प्रस्तुत गौरक्षा विधेयक पर हुई थी। उस समय महा अधिवक्ता को इस सम्बन्ध में अपनी विधि सम्मत राय देने को बुलाया गया था । प्रधान मंत्री ने भी इस चर्चा पर हस्तक्षेप किया था ।

महा अधिवक्ता ने यह राय दी थी कि केन्द्रीय सरकार गौ वध निषेध विवेयक पारित नहीं कर सकती है। यह एक राज्य का विषय है और राज्य ही इस सम्बन्ध में निर्णय करने के अधिकारी हैं। भारत सरकार ने दुधारु गौओं के वध को रोकने के लिये एक समिति नियुक्त की। उसके प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि यदि गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तो भारत में जंगली गायों की समस्या पैदा हो जायेगी ।

उच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया कि भैंसों सांडों और बैलों के वध पर, उनके सूख जाने के पश्चात् भी पूर्ण प्रतिषेध लगाना सामान्य जनता के हित में नहीं कहा जा सकता है। १९६० में एक अन्य निर्णय के दौरान यह निर्णय दिया गया कि गौ वध पर रोक लगाना नागरिक के बुनियादी अधिकारों पर आघात करने के समक है ।

मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि हम पशु वध पर पूर्ण रोक लगा देवें तथापि डिब्बा बन्द गौमांस के आयात की अनुमति दे दें तो क्या उन्हें उस पर आपत्ति होगी । इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर कोई आघात नहीं पड़ेगा। वस्तुतः उनके तर्क हिन्दू भावनाओं पर आधारित है। उनके प्रस्ताव का आशय यह है कि एक सरकारी होटल में मांस परोसे जाने से हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस लगती है । अतः इसे बन्द कर दिया जाये ।

हमारे देश की बहुत अधिक जनता उस धर्म का पालन करती है जिसके अधीन सुअर का मांस निषिद्ध है। कई लोग ऐसे वर्गों के हैं जहां किसी भी पशु की हत्या वर्जित है। इसका यह आशय निकला कि हम सरकारी होटलों में किसी प्रकार का मांस नहीं परोस सकते हैं। श्री जगदीश चन्द्र वसु की खोजों के अनुसार वनस्पतियों में भी जीवन है अतः हमें किसी प्रकार का भोजन करना ही नहीं चाहिये। महाभारत के बंगाली अनुवाद में कई स्थानों में यह उल्लेख है कि प्राचीन ऋषि भी गौमांस खाते थे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिस शब्द के बारे में कह रहे हैं, उसको हमारे यहां संस्कृत में "गोधन अतिथि" करके लिखा हुआ है। यहां पर "गो" का अभिप्राय "वाणी" से है, यानी अगर किसी के यहां कोई अतिथि आए तो उसके आने से वाणी को नम्र करके बोला जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

जब किसी के यहां कोई अतिथि जाता है तो उसके स्वागत के लिये वाणी को नम्र किया जाता है, उसके लिये यह आया है। इसका अभिप्राय गाय मारना नहीं है। इसका अभिप्राय अतिथि से है जिसके स्वागत के लिये वाणी को नम्र बनाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह कह रहे हैं कि किसी बंगाली स्कालर ने उसका तर्जुमा दूसरी तरह से किया है।

वस्तुतः शास्त्रों में क्या कहा गया है इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। सच्चाई यह है कि हमारे देश की बहुत अधिक जनता गौमांस खाती है। गरीब मुसलमान इस कारण गौमांस खाते हैं कि वह सस्ता होता है। गौमांस का निषेध करना उनके बुनियादी अधिकारों पर आघात करने के बराबर है।

जहां तक अशोक होटल का सम्बन्ध है हम सरकारी होटल होने के नाते उसके लिये कोई विशेष प्रधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। हमें ज्ञात होना चाहिये कि होटलों में हमारा एकाधिकार नहीं है। हम अन्य होटलों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं अतः उसे कुशलता से चलने देना चाहिये।

जहां तक होटल में गौमांस की खपत बढ़ने का सम्बन्ध है। प्रारम्भ में होटल में औसतन ८० ग्राहक प्रतिदिन ठहरते थे। इस समय हमारे यहां यात्रियों की संख्या ३४० है। इस कारण गौमांस की खपत बढ़ी है। इसके साथ-साथ वहां अन्य प्रकार के गोश्त की भी खपत बढ़ी है। तथापि होटल की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए गौमांस की खपत अधिक नहीं बढ़ी है।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि अशोक होटल में गौमांस की खपत बढ़ने के कारण अन्य होटलों में भी गौमांस की खपत बढ़ी है। मेरे विचार से यह कोरा अनुमान है। वस्तुतः अशोक होटल के पूर्व भी अन्य होटलों में गौमांस दिया जाता था।

जहां तक सरकारी पार्टियों का सम्बन्ध है वहां शराब और गौमांस दोनों ही निषिद्ध हैं। गौमांस तभी दिया जाता है जब कोई ग्राहक इसकी मांग करता है।

जहां तक शराब का प्रश्न है दिल्ली राज्य की विधि के अधीन यदि कोई विदेशी सार्वजनिक-स्थानों में शराब पीना चाहे तो उसके लिये एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। शराब केवल उसके ही कमरे में रखी जा सकती है। अशोक होटल में भी वही नियम और कायदे लागू हैं जो कि दिल्ली के अन्य होटलों में लागू हैं अतः मेरा अनुरोध है कि अशोक होटल के केवल सरकारी होटल होने के कारण कठिनाइयां न लादी जायें। अशोक होटल का संचालन उसी प्रकार किया जायेगा जिन सिद्धान्तों पर अन्य होटल चलेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

{ गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१ / ७ वैशाख, १८८३ (शक) }

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६३४९—७१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१७५४	पेट्रो-केमिकल परियोजना	६३४९–५०
१७५५	राज्यों को केन्द्रीय सहायता की रूपरेखा	६३५०—५२
१७५६	डाक तथा तार विभाग का भवन-निर्माण कार्य	६३५२—५४
१७५७	ट्रांजिस्टर रेडियो . . .	६३५४–५५
१७५८	चुनाव प्रचार के लिये राजनैतिक दलों को प्रसारण की सुविधायें	६३५६–५७
१७६०	नागालैंड	६३५७—५९
१७६१	शार्क मछली के तेल का कारखाना	६३५९
१७६२	जलपाइगुड़ी-भूटान सड़क .	६३६०–६१
१७६३	नागा विद्रोहियों की गति-विधियां	६३६१—६४
१७६६	लौह-अयस्क का निर्यात .	६३६४—६६
१७६७	सम्भरण और निपटान के महानिदेशक के कार्यालय का पुनर्गठन	६३६७–६८
१७६८	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया . .	६३६८—७०
१७६९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विधान	६३७०–७१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर . . .	६३७१—६४०२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१७५९	पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारी	६३७२
१७६४	नागालैंड में स्थित सशस्त्र सेनायें	६३७२
१७६५	जापान की लौह अयस्क की बिक्री	६३७२–७३
१७७०	प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना	६३७३
१७७१	पटसन कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	६३७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७२	निष्क्रान्त सम्पत्ति की अलाटमेंट सम्बन्धी फाइल का गुम हो जाना	६३७३–७४
१७७३	दण्डकारण्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य के लिये ट्रेक्टर	६३७४
१७७४	यूरोपीय सामान्य मार्केट	६३७५
१७७५	कारखाने की इमारत की रूपरेखा	६३७५
१७७६	कोयला खनन यंत्र	६३७५–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३९८०	महाराष्ट्र में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा	६३७६
३९८१	महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां	६३७६
३९८२	मध्य प्रदेश में आर्थिक तथा औद्योगिक सर्वेक्षण	६३७६–७७
३९८३	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग	६३७७
३९८४	इंडो-चाइना	६३७७–७८
३९८५	वेनिला के पौधे लगाना	६३७८
३९८६	साइकलों का निर्माण	६३७८
३९८७	पंजाब में उद्योगों की स्थापना	६३७८–७९
३९८८	पुस्तकों का आयात	६३७९
३९८९	रूस को कच्ची ऊन का निर्यात	६३७९
३९९०	उड़ीसा में कृषि उपकरणों का निर्माण	६३७९–८०
३९९१	सिन्दरी में मेथानोल संयंत्र	६३८०
३९९२	उत्तर प्रदेश का पूंजी व्यय	६३८०
३९९३	मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार	६३८१
३९९४	इथियोपिया को प्रविधिक सहायता	६३८१
३९९५	छोटे पैमाने के उद्योग	६३८२
३९९६	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	६३८२
३९९७	दिल्ली अग्रिम केन्द्र	६३८२–८३
३९९८	कोयला धोने के कारखानों की लागत	६३८३
३९९९	दण्डकारण्य परियोजना में लघु उद्योग	६३८३–८४
४०००	लाग्रोस	६३८४
४००१	कुटीर उद्योगों में भारतीय निजी बुनकर	६३८४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४००२	नाहन फाउन्डरी लिमिटेड	६३८५
४००३	पंजाब में कपड़ा मिल .	६३८५
४००४	निष्काम्य भूमि का कपटपूर्ण आवंटन	६३८५–८६
४००५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी . .	६३८६
४००६	बस्ती में रोजगार दफ्तर . .	६३८७
४००७	कर्मचारी भविष्य निधि	६३८७
४००८	पुरानी अमरीकी मशीनों का आयात	६३८७
४००९	एमरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (राजस्थान)	६३८८
४०१०	कनाट सर्कस में सेन्ट्रल पार्क .	६३८८
४०११	राज्य उपक्रमों में जनता का सहयोग	६३८८
४०१२	त्रिपुरा में उद्योगपतियों को दिये गये ऋण .	६३८९
४०१३	ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की कार की चोरी	६३८९
४०१४	आकाशवाणी द्वारा संसद् की कार्यवाही की समीक्षा	६३८९–९०
४०१५	चीनी सैनिकों की गिरफ्तारी	६३९०
४०१६	तिब्बती शरणार्थी	६३९१
४०१७	भू-दृश्य समिति . .	६३९१
४०१८	अमृतसर के निकट मारे गये पाकिस्तानी	६३९१–९२
४०१९	कालका में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती	६३९२
४०२०	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग निगम	६३९२–९३
४०२१	नमक का उत्पादन .	६३९३
४०२२	अलसी की खली का निर्यात	६३९३
४०२३	अलौह धातु नियंत्रण आदेश . .	६३९३–९४
४०२४	विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये पैंशन .	६३९४
४०२५	अनुसूचित जातियों के लोगों को दिल्ली में सीमेंट बेचने के लाइसेंस	६३९४–९५
४०२६	कासाब्लांका में व्यापार मेला . . .	६३९५
४०२८	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सियांग नदी पर झूलता हुआ पुल	६३९५
४०२९	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देख-रेख के अन्तर्गत बिजली घर	६३९५–९६
४०३०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी .	६३९६
४०३१	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारी	६३९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश) :		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४०३२	मीटर रीडर	६३९६-९७
४०३३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवा सूचियां .	६३९७
४०३४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारी	६३९७-९८
४०३५	एन्ड्रयूज़ गंज कालोनी, नई दिल्ली में बाजार	६३९८
४०३६	उत्तर प्रदेश में 'मिक्सोलीन' के निर्माण के लिये संयंत्र .	६३९८
४०३७	विशाखापटनम से लौह अयस्क का निर्यात	६३९८-९९
४०३८	विशाखापटनम में छोटे पैमाने के उद्योग	६३९९
४०३९	नारियल का उत्पादन .	६३९९
४०४०	छोटे पैमाने के उद्योग	६३९९
४०४१	सहकारी शिक्षा-फिल्म	६४००
४०४२	औद्योगिक बस्तियां .	६४००
४०४३	समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं का परिचालन . .	६४००-०१
४०४४	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले पदाधिकारी .	६४०१
४०४५	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी कक्षायें .	६४०१-०२
४०४६	केरल में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिये सरकारी विज्ञापन . . .	६४०२
४०४७	नई दिल्ली के खादी तथा ग्रामोद्योग भवन में काम के घंटे	
स्थगन प्रस्ताव		६४०२-०३
अध्यक्ष महोदय ने दुर्गापुर में दामोदर घाटी निगम के तापीय बिजली घर (थर्मल पावर-स्टेशन) के खराब हो जाने के कारण कलकत्ते में बिजली के बन्द हो जाने के बारे में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्वश्री त्रिदिव कुमार चौधरी, अरविन्द घोषाल, प्रभात कार, तंगामणि और ब्रजराज सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६४०३-०४
(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :--		
(एक) कम्पनीज़ समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(दो) सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १७ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३७ की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश—सभा-पटल पर रखे गये . . ६४०४

प्राक्कलन समिति के एक सौ पच्चीसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये

मंत्री द्वारा वक्तव्य ६४०४–०५

योजना तथा श्रम और रोज़गार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) ने २२ अप्रैल, १९६१ को आसनसोल के निकट पूर्व कजोरा कोयला-खान में हुई दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ६४०६—३३

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ ।

विधेयक पारित ६४३३–३४

विधि व्यवसायी विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन . . ६४३४—३९

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आयकर विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ६४४०—४६

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अशोक होटल में परोसे जाने वाले गोमांस के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ के ४ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी ।

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

शुक्रवार २२ अप्रैल, १९६१/वैशाख ८, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक पर विचार और पारित करना, आयकर विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—L.S III—559 (Ai) L.S.D.—29-6-61—125.

	पृष्ठ
पारित करने का प्रस्ताव	६४३३—३४
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन	६४३३
श्री त्यागी .	६४३४
श्री बासप्पा .	६४३४
श्री अ० कु० सेन .	६४३४
आयकर विधेयक, १९६१—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४—३९
श्री मोरारजी देसाई . .	६४३४—३८
श्री वें० प० नायर	६४३८—३९
अशोक होटल में गोमांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०—४६
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	६४४०—४४
श्री अनिल कु० चन्दा .	६४४५—४६
दैनिक संक्षेपिका . . .	६४४७—५१

PLS. 41. LV. 55. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय, की संसदीय शाखा में मुद्रित ।